सम-सामयिक

घटना चक्र

परीक्षा संवाद के 26 वर्ष

2019

उ.प्र. सिविल जज,
एच.जे.एस. एवं
अन्य प्रादेशिक न्यायिक परीक्षाओं
हेतु उपयोगी

निर्णय लेखन

JUDGMENT WRITING



Website : http//www.ssgcp.com/
https://www.facebook.com/ssgcpl
https://www.facebook.com/ssgc.gs.qa
https://plus.google.com./+Ssgcpssgcp
https://twitter.com/SamsamyikGhatna
https://www.shop.ssgcp.com

अभिवचन, विवाद्यकों एवं आरोपों की रचना सहित

Alongwith Pleading, Framing of Issues & Charges

© प्रकाशकाधीन :
संस्करण - प्रथम
संस्करण वर्ष - 2019
मुद्रण क्रम - प्रथम
ले.- SSGC
ISBN No.: 978-93-88616-36-2
मूल्य : 135/-
मुद्रक- भार्गव ऑफसेट

संपर्क-

सम-सामयिक घटना चक्र
188A/128 एलनगंज, चर्चलेन
इलाहाबाद- 211002
Ph.: 0532-2465524, 2465525
Mob.: 9335140296
e-mail : ssgcald@yahoo.co.in
Website : ssgcp.com
e-shop Website : shop.ssgcp.com

■ इस प्रकाशन के किसी भी अंश का पुनः प्रस्तुतीकरण या किसी भी रूप में प्रतिलिपिकरण (फोटोप्रति या किसी भी माध्यम में ग्राफिक्स के रूप में संग्रहण, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिकीकरण द्वारा जहां कहीं या अस्थायी रूप से या किसी अन्य प्रकार के प्रसंगवश इस प्रकाशन का उपयोग भी) कॉपीराइट के स्वामित्व धारक के लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार से इसके भंग होने या अनुमति न लेने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

*इस प्रकाशन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद के न्यायालय न्यायाधिकरण के अधीन होगा।

संकलन सहयोग-

सम-सामयिक घटना चक्र टीम
द्वारा
दिवाकर द्विवेदी
विधि परामर्शी
उ.प्र. आबकारी विभाग
के निरंतर मार्गदर्शन में तैयार

समारंभ

निर्णय का सामान्य अर्थ एक न्यायालय का विनिश्चय अथवा ऐसा आदेश है, जिससे अभियुक्त की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति में मामले का समापन होता है। एक सिविल जज में भी अपने मामलों की सुनवाई के पश्चात समापन हेतु निर्णय लेखन की क्षमता होना अनिवार्य है। इस क्षमता के आकलन हेतु उ.प्र. सिविल जज मुख्य परीक्षा में द्वितीय प्रश्न-पत्र के अंतर्गत निर्णय लेखन तथा अभिवचन जिसके अंतर्गत वाद-पत्र, परिवाद-पत्र, विवाद्यक एवं आरोप से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाते रहे हैं। एक सम्यक निर्णय लेखन के लिए भाषाई कौशल, विधिक ज्ञान एवं तर्कपूर्ण विचारण की क्षमता एक अनिवार्य जरूरत है। वैसे तो निर्णय लेखन पर अधिसंख्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, किंतु विशिष्ट रूप से उ.प्र. सिविल जज परीक्षा हेतु निर्णय लेखन की प्रामाणिक पुस्तक का नितांत अभाव है। इस पुस्तक की रचना ऐसे ही अभाव को दूर करने का एक विनम्र प्रयास है।

इस पुस्तक में सिविल जज परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्णय लेखन के साथ-साथ वाद-पत्र, परिवाद-पत्र, विवाद्यक तथा आरोप लेखन पर भी समुचित पाठ्य सामग्री संकलित है। पुस्तक को बेहतर बनाने के लिए पाठकों से सुझाव सहर्ष आमंत्रित हैं।

■ ■ ■

विषय सूची

1. निर्णय एक परिचय 1-21
   - निर्णय क्या है?
   - सिविल मामले में निर्णय से संबंधित प्रावधान
   - आपराधिक मामले में निर्णय से संबंधित प्रावधान
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट 22-23
3. परिवाद 24-25
   - परिवाद क्या है?
   - परिवाद का मॉडल
4. आरोप 26-68
   - आरोप क्या है?
   - आरोप की अंतर्वस्तु
   - आरोप से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं
   - विभिन्न आरोपों के मॉडल की सूची
   - विभिन्न आरोपों के मॉडल
5. आपराधिक मामले में निर्णय से संबंधित प्रावधान 69-78
   - सामान्य
   - निर्णय के विभिन्न चरण
6. आपराधिक वादों से संबंधित निर्णय के मॉडल लेखन 79-102
   - परिवाद पर आधारित मामला जिसमें आपराधिक दुर्विनियोग का आरोप है।
   - पुनरीक्षण से संबंधित निर्णय
   - परिवाद पर आधारित मामला जिसमें 'दहेज मांगने व क्रूरता से संबंधित निर्णय
   - प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ दर्ज अभियोग में निर्णय

- भरण-पोषण संबंधी वाद का निर्णय
- मारपीट से संबंधित मामले का निर्णय

7. सिविल मामले मे निर्णय 103-106
- वाद-पत्र
- वाद-पत्र का प्रारूप
- प्रतिवाद-पत्र
- विवाद्यक

8. वाद-पत्र, प्रतिवाद-पत्र व विवाद्यक के विभिन्न मॉडल 107-134
1. संविदा भंग से संबंधित मामले का अभिवचन व विवाद्यक
2. स्थायी निषेधाज्ञा के मामले का अभिवचन व विवाद्यक
3. भाटक के संदाय से संबंधित मामले का अभिवचन व विवाद्यक
4. क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले का अभिवचन व विवाद्यक
5. वादी के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण अभियोजन लाने के वाद की क्षतिपूर्ति हेतु मामले का अभिवचन व विवाद्यक
6. विभिन्न मामले से संबंधित विवाद्यक

9. सिविल मामले में निर्णय का प्रारूप 135-136

10. सिविल मामले से संबंधित मॉडल निर्णय 137-154
1. स्थायी व्यादेश के मामले में पारित निर्णय
2. स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में पारित निर्णय
3. विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत वाद में निर्णय

11. उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में पूछे गए प्रश्नों का विवरण 155-160

●●●

अध्याय-1
निर्णय - एक परिचय

निर्णय क्या है?

निर्णय पक्षकारों के अधिकारों व दायित्वों के संबंध में विश्लेषणात्मक निर्धारण को कहते हैं, जो कि मामले के तथ्यों एवं न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित होता है। निर्णय एक न्यायाधीश का मत या कथन होता है, जो वह किसी विषय पर देता है। निर्णय एक न्यायाधीश के न्यायिक विवेक व जानकारी को दर्शित करता है।

निर्णय चाहे सिविल प्रकृति के मामलों में किया जाए या आपराधिक मामलों के वादों में किया जाए, दोनों प्रकृति के निर्णयों के लिए क्रमशः सिविल प्रक्रिया संहिता व दण्ड प्रक्रिया संहिता में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जिनका अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। यहां पर उन प्रक्रियाओं पर संक्षिप्त में वर्णन किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि निर्णय के लिए आवश्यक तत्व क्या-क्या हैं।

सिविल मामले में निर्णय से संबंधित उपबंध -

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की **धारा 2 (9)** में **निर्णय** को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार, निर्णय में न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश में किए गए कथन समाहित होते हैं। **धारा 2 (14)** में **आदेश** व **धारा 2 (2)** में **डिक्री** को परिभाषित किया गया है। डिक्री से ऐसे न्यायनिर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जहां कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारंभिक या अन्तिम हो सकेगी। यह समझा जाएगा कि इसके अन्तर्गत वाद-पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है किन्तु इसके अन्तर्गत-

(क) न तो कोई ऐसा न्यायनिर्णयन आएगा जिसकी अपील, आदेश की अपील की भांति होती है। और

(ख) न व्यक्तिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा।

स्पष्टीकरण - डिक्री तब प्रारंभिक होती है, जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्यवाहियां की जानी हैं। वह तब अन्तिम होती है जब कि ऐसा न्यायनिर्णयन वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। वह भागतः प्रारंभिक और भागतः अन्तिम हो सकेगी।

धारा 2 (14) "आदेश" से सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की पारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो डिक्री नहीं है।

निर्णय लिखते समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए-

1. निर्णय में वर्णित आधार तर्कसंगत होना चाहिए।

2. निर्णय स्पष्ट होना चाहिए।
3. निर्णय में न्यायाधीश का व्यक्तिगत मत, जो घटना के संबंध में हो वह नहीं आना चाहिए।
4. सिविल मामलों में निर्णय पारित करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि निर्णय वाद-पत्र व विवाद्यक के बाहर न जाए।
5. निर्णय में सभी आधार तर्कसंगत एवं विधिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।
6. निर्णय में एक ही तथ्य को बार-बार अभिलिखित करने से बचना चाहिए।
7. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही संरचना में व सभी तथ्यों का पूर्ण रूप से सामावेश होना चाहिए।
8. सिविल मामलों में निर्णय पारित करते समय विवाद्यकों का निस्तारण करना होता है।
9. पारित निर्णय न्यायालय की भाषा में होना चाहिए तथा इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि निर्णय ऐसा हो, जो किसी की भी समझ में आसानी से आ सके।
10. निर्णय पारित करते समय न्यायाधीश को अपनी भाषा पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, उसे अपनी भाषा संयत व संसदीय तरीके से रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति/अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि करनी हो, तो उसे भी संयमित तरीके से करना चाहिए।
11. निर्णय पक्षकारों की उपस्थिति व खुले न्यायालय में सुनाया जाना चाहिए।
12. एक परीक्षार्थी के रूप में निर्णय पारित करना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विभिन्न प्रदेशों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है। मध्य प्रदेश राज्य में होने वाली परीक्षा में सिविल मामलों में वाद-पत्र व पतिवाद-पत्र के कथनों से संबंधित तथ्य दिए गए होते हैं एवं प्रश्न में ही वादी की तरफ से प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का भी कथन किया जाता है एवं अभिवचनों के आधार पर पक्षकारों की तरफ से जो तर्क दिए जाते हैं वह भी दिया जाता है। ऐसे मामलों में निर्णय लेखन कला करना बहुत आसान हो जाता है। निर्णय लेखन के साथ-साथ विज्ञान भी है। अतएव निर्णय लेखन की एक पद्धति है, जिसके माध्यम से ही अच्छा निर्णय लेखन किया जा सकता है।
13. सिविल मामलों में विवाद उत्पन्न होने के बाद से निर्णय होने तक के प्रक्रम को जानना आवश्यक होता है। यदि हम इस प्रक्रम को जानते हैं, तो निर्णय पारित करना बहुत आसान हो जाता है।
    1. सिविल मामला
    2. किसी प्रकार के विवाद होने पर जो सिविल प्रकृति का है, तो उसके संबंध में आवश्यक अनुतोष प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना होता है।
    3. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 से 20 तक में उन न्यायालयों का वर्णन

किया गया है, जहां पर वाद सही संस्थित किया जाता है। यह तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वाद क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही दाखिल किए जाएं।

4. सक्षम न्यायालय के चयन के वाद वादी द्वारा न्यायालय में वाद-पत्र प्रस्तुत किया जाता है (वाद-पत्र पर विस्तृत जानकारी आगे है)।
5. वादी की तरफ से वाद-पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरांत प्रतिवादी को नोटिस/ समन जारी किया जाता है, जिस पर प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हो करके अपना जवाब प्रस्तुत करता है, जो प्रतिवाद-पत्र कहा जाता है।
6. न्यायालय में प्रतिवाद-पत्र प्रस्तुत होने के बाद उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक तैयार किए जाते हैं। विवाद्यक पक्षकारों के मध्य मूल विवाद का विषय होता है जिस पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना होता है।
7. विवाद्यक के रचना के बाद क्रमशः वादी व प्रतिवादी द्वारा अपने-अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं।
8. सिविल मामलों में निर्णय के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है।

(आदेश 20 निर्णय व डिक्री)

नियम 1. **निर्णय कब सुनाया जाएगा** - (1) न्यायालय, मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात् निर्णय खुले न्यायालय में या तो तुरन्त या इसके तत्पश्चात् यथासाध्य शीघ्र सुनाएगा और जब निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाना है तब न्यायालय उस प्रयोजन के लिए कोई दिन नियत करेगा जिसकी सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी।

परन्तु जहां निर्णय तुरन्त नहीं सुनाया जाता वहां न्यायालय, निर्णय, उस तारीख से, जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, **तीस दिन** के भीतर सुनाने का पूरा प्रयास करेगा किन्तु जहां मामले की आपवादिक और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर ऐसा करना साध्य नहीं है वहां न्यायालय निर्णय सुनाने के लिए कोई भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा और ऐसा दिन साधारणतः उस तारीख से, जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, **साठ दिन** के बाद का नहीं होगा और इस प्रकार नियत किए गए दिन की सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी।

(2) जहां लिखित निर्णय सुनाया जाना है वहां यदि प्रत्येक विवाद्यक पर न्यायालय के निष्कर्षों को और मामले में पारित अन्तिम आदेश को पढ़ दिया जाता है, तो वह पर्याप्त होगा और न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह सम्पूर्ण निर्णय को पढ़कर सुनाए।

(3) निर्णय खुले न्यायालय में आशुलिपिक को बोलकर लिखाते हुए केवल तभी सुनाया जा सकेगा, जब न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है।

परन्तु जहां निर्णय खुले न्यायालय में बोलकर लिखाते हुए सुनाया जाता है, वहां यह इस प्रकार सुनाए गए निर्णय की अनुलिपि उसमें ऐसी शुद्धियां करने के पश्चात् जो आवश्यक हों, न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, उस पर वह तारीख लिखी जाएगी जिसको निर्णय सुनाया गया था और वह अभिलेख का भाग होगी।

नियम 2. **न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति** - न्यायाधीश ऐसे निर्णय को (सुनाएगा) जो उसके पूर्ववर्ती ने लिखा तो है किन्तु सुनाया नहीं है।

नियम 3. निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा। निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करेगा और जब उस पर एक बार हस्ताक्षर कर दिया गया है तब **धारा 152** द्वारा उपबन्धित के सिवाय या पुनर्विलोकन के सिवाय उसके पश्चात् उसमें न तो कोई परिवर्तन किया जाएगा और न कोई परिवर्धन किया जाएगा।

नियम 4. **लघुवाद न्यायालयों के निर्णय** - (1) लघुवाद न्यायालयों के निर्णयों में अवधार्य प्रश्नों और उनके विनिश्चय से अधिक और कुछ अन्तर्विष्ट होना आवश्यक नहीं है।

(2) **अन्य न्यायालयों के निर्णय** - अन्य न्यायालयों के निर्णय के मामले का संक्षिप्त कथन, अवधार्य प्रश्न, उनका विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

नियम 5. **न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा** - उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों से सहित देगा।

नियम (5-क) जिन मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व प्लीडरों द्वारा न किया गया हो उनमें न्यायालय द्वारा पक्षकारों को इस बात की इत्तिला दिया जाना कि अपील कहां की जा सकेगी - उस दशा के सिवाय जिसमें दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व प्लीडरों द्वारा किया गया है, न्यायालय ऐसे मामलों में जिनकी अपील हो सकती है, अपना निर्णय सुनाते समय न्यायालय में उपस्थित पक्षकारों को यह इत्तिला देगा कि किस न्यायालय में अपील की जा सकती है और ऐसी अपील फाइल करने के लिए परिसीमा काल कितना है और पक्षकारों को इस प्रकार दी गई

इत्तिला को अभिलेख में रखेगा।

नियम 6. **डिक्री की अन्तर्वस्तु** -

(1) डिक्री निर्णय के अनुरूप होगी, उसमें वाद का संख्यांक (पक्षकारों के नाम और वर्णन, उनके रजिस्ट्रीकृत पते) और दावे की विशिष्टियां होंगी और अनुदत्त अनुतोष या वाद का अन्य अवधारण उसमें स्पष्टतया विनिर्दिष्ट होगा।

(2) वाद में उपगत खर्चों की रकम भी और यह बात भी कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा या किस सम्पत्ति में और किस अनुपात में संदत्त किए जाने हैं, डिक्री में कथित होगी।

(3) न्यायालय निर्देश दे सकेगा कि एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार द्वारा देय खर्चे किसी ऐसी राशि के विरुद्ध मंजूर किए जाएं जिसके बारे में यह स्वीकार किया गया है या पाया गया है किए वह एक-दूसरे को शोध्य है।

नियम 6क. **डिक्री तैयार करना** -

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाएगा कि डिक्री जहां तक संभव हो शीघ्रता से और किसी भी दशा में उस तारीख से **पन्द्रह दिन** के भीतर जिसको निर्णय सुनाया जाता है, तैयार की जाए।

(2) डिक्री की प्रति फाइल किए बिना डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकेगी और किसी ऐसी दशा में न्यायालय द्वारा पक्षकार को उपलब्ध कराई गई प्रति **आदेश 41 के नियम 1** के प्रयोजनों के लिए डिक्री मानी जाएगी। किन्तु जैसे हो डिक्री तैयार हो जाती है, निर्णय निष्पादन के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए डिक्री का प्रभाव नहीं रखेगा।

नियम 6ख. निर्णयों की प्रतियां कब उपलब्ध कराई जाएंगी- जहां निर्णय सुना दिया गया है वहां निर्णय की प्रतियां पक्षकारों को निर्णय के सुनाए जाने के ठीक पश्चात् अपील करने के लिए ऐसे प्रभारों के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जो उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

नियम 7. **डिक्री की तारीख** - डिक्री में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था और न्यायाधीश अपना समाधान कर लेने पर कि डिक्री निर्णय के अनुसार तैयार की गई है डिक्री पर हस्ताक्षर करेगा।

नियम 8. जहां न्यायाधीश ने डिक्री पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपना पद रिक्त कर दिया है वहां प्रक्रिया- जहां न्यायाधीश ने निर्णय सुनाने के पश्चात् किन्तु डिक्री पर उसका उत्तरवर्ती या यदि उस न्यायालय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, तो ऐसी किसी न्यायालय का न्यायाधीश जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय था, हस्ताक्षर करेगा।

नियम 9. **स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए डिक्री** - जहां वाद की विषय-वस्तु स्थावर सम्पत्ति है वहां डिक्री में ऐसी सम्पत्ति का ऐसा वर्णन अन्तर्विष्ट होगा जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हो और जहां ऐसी सम्पत्ति सीमाओं द्वारा या भू-

व्यवस्थापन या सर्वेक्षण के अभिलेख के संख्यांकों द्वारा पहचानी जा सके वहां डिक्री में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे।

नियम 10. **जंगम सम्पत्ति के परिदान के लिए डिक्री** - जहां वाद जंगम सम्पत्ति के लिए और डिक्री ऐसी सम्पत्ति के परिदान के लिए है, वहां यदि परिदान नहीं कराया जा सकता है, तो डिक्री में धन के उस परिणाम का भी कथन किया जाएगा जो अनुकल्पतः दिया जाएगा।

नियम 11. **डिक्री किस्तों द्वारा संदाय के लिए निदेश दे सकेगी** - (1) यदि और जहां तक कोई डिक्री धन संदाय के लिए है, तो और वहां तक न्यायालय उस संविदा में, जिसके अधीन धन संदेय है, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी (उन पक्षकारों को जो अन्तिम सुनवाई में स्वयं या प्लीडर द्वारा उपसंजात थे, सुनने के पश्चात निर्णय के पूर्व डिक्री में किसी पर्याप्त कारण से यह आदेश सम्मिलित कर सकेगा) कि डिक्रीत रकम का संदाय ब्याज के सहित या बिना, मुल्तवी किया जाए या किस्तों मे किया जाए।

(2) **डिक्री के पश्चात् किस्तों में संदाय का आदेश** - ऐसी किसी डिक्री से पारित किए जाने के पश्चात् न्यायालय निर्णीत-ऋणी के आवेदन पर और डिक्रीदार की अनुमति से आदेश दे सकेगा कि ब्याज के संदाय संबंधी, निर्णीत-ऋणी की सम्पत्ति की कुर्की-संबंधी, उससे प्रतिभूति लेने संबंधी या अन्य ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, डिक्रीत रकम का संदाय मुल्तवी किया जाए या किस्तों में किया जाए।

नियम 12. **कब्जा और अन्तःकालीन लाभों के लिए डिक्री**–(1) जहां वाद स्थावर सम्पत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण करने और भाटक या अन्तःकालीन लाभों के लिए है वहां न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा, जो–

(क) सम्पत्ति के कब्जे के लिए हो;

(ख) ऐसे भाटकों के लिए हो, जो वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व किसी अवधि में सम्पत्ति पर प्रोद्भुत हुए हों या उसे भाटक के बारे में जांच करने का निदेश देती हो;

(ख-क) अन्तःकालीन लाभों के लिए हो या ऐसे अन्तःकालीन लाभों के बारे में जांच करने का निदेश देती हो,

(ग) वाद के संस्थित किए जाने से लेकर निम्नलिखित में से, अर्थात

(1) डिक्रीदार को कब्जे का परिदान,

(2) डिक्रीदार को न्यायालय की मार्फत सूचना सहित निर्णीत-ऋणी द्वारा कब्जे का त्याग, अथवा

(3) डिक्री की तारीख से तीन वर्षों की समाप्ति,

इनमें से जो भी कोई घटना पहले घटित हो या उस तक के भाटक या अन्तःकालीन

लाभों के बारे में जांच का निदेश देती हो।

जहां खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन जांच का निदेश दिया गया है, वहां भाटक या अन्तःकालीन लाभों के संबंध में अन्तिम डिक्री ऐसी जांच के परिणाम के अनुसार पारित की जाएगी।

नियम 12-क **स्थावर सम्पत्ति के विक्रय या पट्टे की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री** - जहां स्थावर सम्पत्ति के लिए विक्रय या पट्टे की किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन के लिए किसी डिक्री में यह आदेश है कि क्रय-धन या अन्य राशि क्रेता या पट्टेदार द्वार संदत्त की जाए वहां उसमें वह अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी भीतर संदाय करना होगा।

नियम 13. **प्रशासन-वाद में डिक्री** - (1) जहां वाद किसी सम्पत्ति के लेखा के लिए और न्यायालय की डिक्री के अधीन उसके सम्यक् प्रशासन के लिए है वहां न्यायालय अन्तिम डिक्री पारित करने के पूर्व ऐसे लेखाओं के लिए जाने और जांचों के किए जाने का आदेश वाली और ऐसे अन्य निदेश वाली जो न्यायालय ठीक समझे, प्रारंभिक डिक्री पारित होगा।

(2) किसी मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का न्यायालय द्वारा प्रशासन किए जाने में, यदि ऐसी सम्पत्ति उसके ऋणों और दायित्वों के पूरे संदाय के लिए अपर्याप्त साबित हो, तो प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के अपने-अपने अधिकारों के बारे में और ऐसे ऋणों और दायित्वों के बारे में जो साबित किए जा सकते है और वार्षिकियों के और भावी और समाश्रित के मूल्यांकन के बारे में क्रमशः उन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जो न्याय-निर्णीत या घोषित दिवालिया व्यक्तियों की सम्पदाओं के बारे में उस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर तत्समय प्रवृत हों जिनमें प्रशासन-वाद लम्बित है और वे सभी व्यक्ति जो ऐसे किसी मामले में ऐसी सम्पत्ति में से संदाय पाने के हकदार होंगे, प्रारंभिक डिक्री के अधीन आ सकेंगे और उस सम्पत्ति के विरुद्ध ऐसे दावे कर सकेंगे जिनके लिए वे इस संहिता के आधार पर क्रमशः हकदार हैं।

सिविल मामलों में निर्णय पारित करते समय उपरोक्त प्रावधानों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। एक परीक्षार्थी के रूप में यह अति आवश्यक है कि प्रश्न-पत्र में दी गई समस्या के आधार पर उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार निर्णय परित किया जाए।

आपराधिक वादों के निर्णय के संबंध में प्रावधान

धारा 353. निर्णय - (1) आरंभिक अधिकारिता के दण्ड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण के खत्म होने के पश्चात् तुरन्त या बाद में किसी समय, जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी,–

(क) सम्पूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा। या

(ख) सम्पूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा। या

(ग) अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्णय दिया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि से लिखवाएगा और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा, और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा।

(3) जहां निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग, यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे और यदि वह उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है, तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां निर्णय उपधारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, वहां सम्पूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके प्लीडरों के परिशीलन के लिए तुरन्त निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा।

(6) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, किन्तु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी वैयक्तिक हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई है और दण्डादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोषमुक्त किया गया है :

परन्तु जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं हैं जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है, तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलम्ब से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है।

(7) किसी भी दण्ड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण विधितः अमान्य न समझा जाएगा कि उसके सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अनुपस्थित था या पक्षकारों पर या उनके प्लीडरों पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामील करने में कोई लोप या त्रुटि हुई थी।

(8) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह **धारा 465** के उपबन्धों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है।

धारा 354. निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु -

(1) इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, **धारा 353** में निर्दिष्ट

प्रत्येक निर्णय, –

(क) न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा;

(ख) अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट करेगा;

(ग) वह अपराध (यदि कोई हो) जिसके लिए और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या अन्य विधि की वह धारा, जिसके अधीन अभियुक्त दोषसिद्ध किया गया है, और वह दण्ड जिसके लिए वह दण्डादिष्ट है, विनिर्दिष्ट करेगा;

(घ) यदि निर्णय दोषमुक्ति का है, तो उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है और निदेश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया जाए।

(2) जब दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की दो धाराओं में से किसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों में से किसके अधीन आता है, तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पतः निर्णय देगा।

(3) जब दोषसिद्धि, मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में दिए गए दण्डादेश के कारणों का और मृत्यु के दण्डादेश के लिए विशेष कारणों का कथन होगा।

(4) जब दोषसिद्धि एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए है किन्तु न्यायालय तीन मास से कम अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित करता है, तब वह ऐसा दण्ड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा उस दशा के सिवाय जब वह दण्डादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है या वह मामला इस संहिता के उपबन्धों के अधीन संक्षेपतः विचारित नहीं किया गया है।

(5) जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दण्डादेश दिया जाता है, तो वह दण्डादेश यह निदेश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकार तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

(6) धारा 117 के अधीन या धारा 138 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश में और धारा 125, धारा 145 या धारा 147 के अधीन किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में, अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्च और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

धारा 355. महागनर मजिस्ट्रेट का निर्णय -

महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय को इनमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से अभिलिखित करने के बजाय निम्नलिखित विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा, अर्थात

(क) मामले का क्रम संख्यांक; (ख) अपराध किए जाने की तारीख; (ग) यदि कोई परिवादी है, तो उसका नाम; (घ) अभियुक्त व्यक्ति का नाम और उसके माता-पिता का नाम और उसका निवास-स्थान; (ङ) अपराध जिसका परिवाद किया गया है या जो

साबित हुआ है; (च) अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो); (छ) अंतिम आदेश; (ज) ऐसे आदेश की तारीख; (झ) उन सब मामलों में, जिनमें धारा 373 के अधीन या धारा 374 की उपधारा (3) के अधीन अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है, निर्णय के कारणों का संक्षिप्त कथन।

धारा 356. पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश -

(1) जब कोई व्यक्ति, जिसे भारत में किसी न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 215, धारा 489क, धारा 489ख, धारा 489ग या धारा 489घ के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए या उसी संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, किसी अपराध के लिए, जो उन धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय है या उन अध्यायों से किसी के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तब, यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो वह उस व्यक्ति को कारावास का दण्डादेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात् उसके निवास-स्थान की और ऐसे निवास-स्थान की किसी तब्दीली की या उससे उसकी अनुपस्थिति की इनमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से सूचना ऐसे दण्डादेश की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक दी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जहां तक वे उसमें उल्लिखित अपराधों के संबंध में हैं, उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्र और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उन्हें करने के प्रयत्नों को भी लागू होते हैं।

(3) यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है, तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन अपील न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, किया जा सकता है।

(5) राज्य सरकार, छोड़े गए सिद्धदोषों के निवास-स्थान की निवास-स्थान की तब्दीली की या उससे उनकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है।

(6) ऐसे नियम उनके भंग किए जाने के लिए दण्ड का उपबन्ध कर सकते हैं और जिस व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम को भंग करने का आरोप है उसका विचारण उस जिले में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान के रूप में अन्त में सूचित स्थान है।

धारा 357. प्रतिकर देने का आदेश -

(1) जब कोई न्यायालय जुर्माने का दण्डादेश देता है या कोई ऐसा दण्डादेश (जिसके अन्तर्गत मृत्यु दण्डादेश भी है) देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन-

(क) अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए;

(ख) किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है;

(ग) उस दशा में, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के, या ऐसे अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, उन व्यक्तियों को, जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दण्डादिष्ट व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 (1855 का 13) के अधीन हकदार है, प्रतिकर देने में किया जाए;

(घ) जब कोई व्यक्ति, किसी अपराध के लिए, जिसके अन्तर्गत चोरी, आपराधिक, दुर्विनियोग, अपराधिक न्यासभंग या छल भी है, या चुराई हुई सम्पत्ति को उस दशा में जब वह यह जानता है या उसको यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करने या रखे रहने के लिए या उसके व्ययन में स्वेच्छा या सहायता करने के लिए, दोषसिद्ध किया जाए, तब ऐसी सम्पत्ति के सद्भावनापूर्व क्रेता को, ऐसी सम्पत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी जाने की दशा में उसकी हानि के लिए, प्रतिकर देने में किया जाए।

(2) यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है, जो अपीलनीय है तो ऐसा कोई संदाय, अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञान अवधि के बीच जाने से पहले या यदि अपील उपस्थित की जाती है, तो उसके विनिश्चय के पूर्व, नहीं किया जाएगा।

(3) जब न्यायालय ऐसा दण्ड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय, अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दण्डादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है।

(4) इस धारा के अधीन आदेश, अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।

(5) उसी मामले से संबंधित किसी पश्चात्वर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को, जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है, हिसाब में लेगा।

धारा 358. निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर -

(1) जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराता है, तब यदि उस मजिस्ट्रेट को, जिसके द्वारा वह मामला सुना जाता है यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तार कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था, तो वह मजिस्ट्रेट अधिनिर्णय दे सकता है कि ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए एक हजार रुपये से अनधिक (दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2005 द्वारा प्रतिस्थापित) इतना प्रतिकर, जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे, गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा।

(2) ऐसे मामलों में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए उसी रीति से एक हजार रुपये से अनधिक उतना प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा, जितना ऐसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे।

(3) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत समस्त प्रतिकर ऐसे वसूल किया जा सकता है मानो वह जुर्माना है और यदि वह ऐसे वसूल नहीं किया जा सकता तो उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा वह संदेय है, तीस दिन से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करें, सादे कारावास का दण्डादेश किया जाएगा जब तक कि ऐसी राशि उससे पहले न दे दी जाए।

धारा 359. असंज्ञेय मामलों में खर्चा के लिए आदेश -

(1) जब कभी किसी असंज्ञेय अपराध का कोई परिवाद न्यायालय में किया जाता है तब, यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर देता है तो, वह अभियुक्त पर अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उसे यह आदेश दे सकता है कि वह परिवादी को अभियोजन में उसके द्वारा किए गए खर्चे, पूर्णतः या अंशतः दे और यह अतिरिक्त आदेश दे सकता है कि उसे देने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा और ऐसे खर्चों के अन्तर्गत आदेशिका फीस, साक्षियों और प्लीडरों की फीस की बाबत किए गए कोई व्यय भी हो सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा। जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।

धारा 360. सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश -

(1) जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है केवल जुर्माने से या सात वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है अथवा जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री ऐसे अपराध के लिए, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है, दोषसिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध साबित नहीं की गई है तब, यदि

उस न्यायालय को, जिसके समझ उसे दोषसिद्ध किया गया है, अपराधी की आयु, शील या पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया, ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है, तो न्यायालय उसे तुरन्त कोई दण्डादेश देने के बजाय निदेश दे सकता है कि उसे प्रतिभुओं सहित या रहित उसके द्वारा यह बन्ध-पत्र लिख देने पर छोड़ दिया जाए कि वह (तीन वर्ष से अनधिक) इतनी अवधि के दौरान, जितनी न्यायालय निर्दिष्ट करे, बुलाए जाने पर हाजिर होगा और दण्डादेश पाएगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा।

परन्तु जहां कोई प्रथम अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, जो उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, दोषसिद्ध किया जाता है और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए वहां वह उस भाव की अपनी राय अभिलिखित करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वह कार्यवाही निवेदित करेगा और उस अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा अथवा उसकी उस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के लिए जमानत लेगा और वह मजिस्ट्रेट उस मामले का निपटारा उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित रीति से करेगा।

(2) जहां कोई कार्यवाही प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा उपबन्धित रूप में निवेदित की गई है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा दण्डादेश या आदेश दे सकता है जैसा यदि मामला मूलतः उसके द्वारा सुना गया होता तो वह दे सकता और यदि वह किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ला सकता है अथवा ऐसी जांच किए जाने या ऐसा साक्ष्य लिए जाने का निदेश दे सकता है।

(3) किसी ऐसी दशा में जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग, छल या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दो वर्ष से अनधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है, यदि वह न्यायालय, जिसके समक्ष वह ऐसे दोषसिद्ध किया गया है, ठीक समझे, तो वह अपराधी की आयु, शील, पूर्ववृत्त या शारीरिक या मानसिक दशा को और अपराध की तुच्छ प्रकृति को, या किन्हीं परिशमनकारी परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया था, ध्यान में रखते हुए उसे कोई दण्डादेश देने के बजाय सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ सकता है।

(4) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।

(5) जब किसी अपराधी के बारे में इस धारा के अधीन आदेश दिया गाया है तब उच्च

न्यायालय या सेशन न्यायालय, उस दशा में जब उस न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, अपील किए जाने पर, या अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है और ऐसे अपराधी को उसके बदले में विधि के अनुसार दण्डादेश दे सकता है।

परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय इस उपधारा के अधीन उस दण्ड से अधिक दण्ड न देगा, जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा अपराधी दोषसिद्ध किया गया था।

(6) धारा 121, 124 और 373 के उपबन्ध इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में पेश किए गए प्रतिभुओं के बारे में जहां तक हो सके, लागू होंगे।

(7) किसी अपराधी के उपधारा (1) के अधीन छोड़े जाने का निदेश देने के पूर्व न्यायालय अपना समाधान कर लेगा कि उस अपराधी का, या उसके प्रतिभू का (यदि कोई हो) कोई नियत वास स्थान या नियमित उपजीविका उस स्थान में है, जिसके संबंध में वह न्यायालय कार्य करता है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की सम्भाव्यता है, जो शर्तों के पालन के लिए उल्लिखित की गई है।

(8) यदि उस न्यायालय का, जिसे अपराधी को दोषसिद्ध किया है, या उस न्यायालय का, जो अपराधी के संबंध में उसके मूल अपराध के बारे में कार्यवाही कर सकता था, समाधान हो जाता है कि अपराधी अपने मुचलके की शर्तों में से किसी का पालन करने में असफल रहा है, तो वह उसके पकड़े जाने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है।

(9) जब कोई अपराधी ऐसे किसी वारण्ट पर पकड़ा जाता है तब वह वारण्ट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल लाया जाएगा और वह न्यायालय या तो तब तक के लिए उसे अभिरक्षा में रखे जाने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकता है जब तक मामले में सुनवाई न हो, या इस शर्त पर कि वह दण्डादेश के लिए हाजिर होगा, पर्याप्त प्रतिभूति लेकर जमानत मंजूर कर सकता है और ऐसा न्यायालय मामले की सुनवाई के पश्चात् दण्डादेश दे सकता है।

(10) इस धारा की कोई बात, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) या बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी।

धारा 361. कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना - जहां किसी मामले में न्यायालय -

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही **धारा 360** के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबन्धों के अधीन कर सकता था; या

(ख) किसी किशोर अपराधी के संबंध में कार्यवाही, बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था,

किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है वहां वह ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा।

धारा 362. न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना -

इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अन्तिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा।

धारा 363. अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना-

(1) जब अभियुक्त को कारावास का दण्डादेश दिया जाता है, तब निर्णय के सुनाए जाने के पश्चात् निर्णय की एक प्रति उसे निःशुल्क तुरन्त दी जाएगी।

(2) अभियुक्त के आवेदन पर, निर्णय की एक प्रमाणित प्रति या जब वह चाहे तब, यदि सम्भव है, तो उसकी भाषा में या न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद, अवितम्ब उसे दिया जाएगा और जहां निर्णय की अभियुक्त द्वारा अपील हो सकती है वहां प्रत्येक दशा में ऐसी प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

परन्तु जहां मृत्यु का दण्डादेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पुष्ट किया जाता है, वहां निर्णय की प्रमाणित प्रति अभियुक्त को तुरन्त निःशुल्क दी जाएगी चाहे वह उसके लिए आवेदन करे या न करे।

(3) उपधारा (2) के उपबन्ध धारा 117 के अधीन आदेश के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस निर्णय के संबंध में लागू होते हैं जिसकी अभियुक्त अपील कर सकता है।

(4) जब अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश दिया जाता है और ऐसे निर्णय से साधिकार अपील होती है, तो न्यायालय उसे उस अवधि की जानकारी देगा जिसके भीतर यदि वह चाहे तो अपील कर सकता है।

(5) उपधारा (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को इस निलंबित आवेदन करने और विहित प्रभार देने पर ऐसे निर्णय या आदेश देने या किसी अभिसाक्ष्य की या अभिलेख के अन्य भाग की प्रति दी जाएगी।

परन्तु यदि न्यायालय किन्हीं विशेष कारणों से ठीक समझता है, तो उसे वह निःशुल्क भी दे सकता है।

(6) उच्च न्यायालय नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकता है कि किसी दाण्डिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को, जो निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित न हो उस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस दिए जाने पर और ऐसी शर्तें के अधीन दे दी

जाए जो उच्च न्यायालय ऐसे नियमों द्वारा उपबन्धित करे।

धारा 364. निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा -

मूल निर्णय कार्यवाही के अभिलेख में फाइल किया जाएगा और जहां मूल निर्णय ऐसी भाषा में अभिलिखित किया गया है, जो न्यायालय की भाषा से भिन्न है और अभियुक्त अपेक्षा करता है, तो न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा।

धारा 365. सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना-

ऐसे मामलों में, जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, यथास्थिति, न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दण्डादेश की (यदि कोई हो) एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसको स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है।

धारा 366. सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना -

(1) जब सेशन न्यायालय मृत्यु दण्डादेश देता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दण्डादेश तब तक निष्पादित किया जाएगा जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए।

(2) दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय वारण्ट के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करेगा।

धारा 367. अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति -

(1) यदि ऐसी कार्यवाही के प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय यह ठीक समझता है कि दोषसिद्ध व्यक्ति को दोषी या निर्दोष होने से संबंधित किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच की जाए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाए, तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा उसके किए जाने या लिए जाने का निदेश दे सकता है।

(2) जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निदेश न दे, दोषसिद्ध व्यक्ति को, जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से, अभिमुक्ति दी जा सकती है।

(3) जब जांच या साक्ष्य (यदि कोई हो) उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है या नहीं लिखा गया है तब ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजा जाएगा।

धारा 368. दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति- उच्च न्यायालय धारा 366 के अधीन प्रस्तुत किसी मामले में,-

(क) दण्डादेश की पुष्टि कर सकता है या विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दण्डादेश दे सकता है; अथवा

(ख) दोषसिद्धि को बातिल कर सकता है और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोषसिद्ध कर सकता

था, या उसी या संशोधित आरोप पर नए विचारण का आदेश दे सकता है; अथवा

(ग) अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त कर सकता है-

परन्तु पुष्टि का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो गई हो या यदि ऐसी अवधि के अन्दर अपील पेश कर दी गई तो जब तक उस अपील का निपटारा न हो गया हो।

धारा 369. नए दण्डादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना -

इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दण्डादेश का पुष्टिकरण या उसके द्वारा पारित कोई नया दण्डादेश, या आदेश, यदि ऐसे न्यायालय में दो या अधिक न्यायाधीश हों, तो उनमें से कम-से-कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया, पारित किया और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

धारा 370. मतभेद की दशा में प्रक्रिया -

जहां कोई ऐसा मामला न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष सुना जाता है और ऐसे न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हैं वहां मामला धारा 392 द्वारा उपबन्धित रीति से विनिश्चित किया जाएगा।

धारा 371. उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया -

मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात् उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी विलम्ब के बिना, आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पदीय हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजेगा।

आपराधिक वादों में निर्णय पारित करते समय यह ध्यान रखना होगा कि दी गई समस्या पर निर्णय किस श्रेणी के न्यायालय द्वारा किया जा सकता है तथा उस श्रेणी के न्यायाधीश के निर्णय की क्षमता क्या है अर्थात वह क्या दण्डादेश पारित कर सकता है। उदाहरण के लिए चोरी के अपराध का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायाधीश के साथ-साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्तर के न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। परंतु श्रेणी के न्यायाधीशों के दण्ड देने के अधिकार में अंतर है। इसी प्रकार महानगर मजिस्ट्रेट को कुछ विशेष प्रक्रियाएं अपनानी होती हैं जिसका ज्ञान होना आवश्यक है।

*****

अध्याय-2

प्रथम सूचना रिपोर्ट

आपराधिक न्याय प्रशासन को प्रभावी करने का प्रथम चरण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना है। प्रथम सूचना रिपोर्ट **धारा 154 (1), 154(3) व धारा 156(3) द.प्र.सं.** के माध्यम से दर्ज करायी जाती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अपराध की सीमित सूचना होती है, वो वादी द्वारा थाना प्रभारी को दी जाती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत की जाने वाले प्रार्थना-पत्र में जिन तथ्यों का वर्णन होता है, उसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित धाराओं में अंकित की जाती है तथा इसके उपरान्त ही विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है एवं मामले का निस्तारण होता है।

किसी मामले में निर्णय करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट का व्यापक महत्व होता है तथा जो घटना के विषय में जानकारी देता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट जो थाने में दर्ज होती है, उसमें घटना, पीड़ित, अपराधी आदि के संबंध में पूर्ण विवरण होता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट जो थाने मे अंकित होना है उसमें निम्न तथ्य समाहित होते हैं-

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट जो थाने मे दर्ज है उस पर एक विशेष नंबर अंकित किया जाता है, जो मु.अ.स. ----- कहा जाता है।
2. जो प्रार्थनापत्र या घटना की सूचना पाने पर दी गई है उसके संबंध में जो अपराध बनता है उसकी धाराएं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित होती हैं।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का वर्णन होता है जिसमे घटना का दिन, दिनांक, समय आदि होता है। जिस थाने पर सूचना दी जाती है उसका नाम, सूचना का समय अंकित किया जाता है।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना लिखित की गई है या मौखिक है वह तथ्य की अंकित किया जाता है।
5. घटनास्थल का भी पूरा विवरण अंकित किया जाता है।
6. शिकायतकर्ता का भी पूरा विवरण अंकित किया जाता है।
7. थाने पर जो सूचना दी जाती है जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जाती है, उसमें अभियुक्तगण का पूरा नाम, पता व विवरण अंकित किया जाता है। यदि अभियुक्त के विषय में जानकारी प्राप्त है।

8. यदि घटना में कोई सम्पत्ति नष्ट हुई है, तो उसका विवरण दिया जाएगा।

9. थाने पर अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट में उस सूचना के अंश को भी अंकित किया जाता है।

10. जिस व्यक्ति द्वारा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किया गया है उसका भी विवरण अंकित होता है।

किसी मामले में निर्णय करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट का व्यापक महत्व होता है तथा जो घटना के विषय में जानकारी देता है।

निर्णय करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए-

1. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गई है, यदि हां तो उसका क्या कारण है।

2. दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रस्तुत होने की स्थिति में

3. जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

*****

अध्याय-3
परिवाद

परिवाद क्या है?

1. दाण्डिक वादों के कार्यवाही में जब किसी अपराध से व्यथित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो अपराध से व्यथित न भी हो, उस मामले मे कार्यवाही मा. न्यायालय से सीधे चाहते हैं, तो वह न्यायालय के समक्ष अपना परिवाद-पत्र प्रस्तुत करता है।

2 परिवाद में निम्न तथ्य समाहित करना होता है-

   1. परिवाद किस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है उसका नाम अंकित किया जाएगा।
   2. परिवाद किस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, पता अंकित किया जाता है।
   3. जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका नाम यदि मालूम है, तो उसका नाम, पता, उम्र आदि का वर्णन किया जाता है।
   4. परिवाद में घटना का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण लिखा जाता है, जिससे उस घटना के होने की बात कही जा रही है, उसका पूर्ण वर्णन होना चाहिए। जैसे घटना कहां पर हुई थी, घटना कब हुई थी, घटना किसके द्वारा कारित हुई थी। घटना के समय वादी क्या कर रहा था। घटना के वक्त और कौन लोग उपस्थित थे तथा घटना के पीछे क्या आशय था। इन तथ्यों को क्रमांक के अनुसार वर्णित करना चाहिए।
   5. परिवाद-पत्र में यदि घटना कारित करने वाले अभियुक्त के विषय में पूरी जानकारी हो, तो उसका नाम, पिता का नाम, आदि का वर्णन करना चाहिए।
   6. परिवाद-पत्र में इस तथ्य का वर्णन किया जाना आवश्यक है कि घटना जिसका आरोप या कथन परिवाद-पत्र में शामिल है, उसे परिवादी/आवेदक द्वारा किन-किन मौखिक साक्ष्यों के द्वारा स्थापित/साबित किया जाएगा।
   7. परिवाद-पत्र के अन्त में जिस अनुतोष की याचना न्यायालय से की जाती है, उसका वर्णन किया जाता है।

काल्पनिक घटना पर आधारित परिवाद-पत्र का मॉडल-

दिनांक 10.04.2017 को सायं 4.00 बजे रामकुमार चौहान अपनी दुकान पर बैठा था तभी मोहन कुमार अपने लड़के श्याम व अजीत के साथ आया और रामकुमार को पुरानी रंजिश के कारण गालियां आदि देने लगा। रामकुमार द्वारा मना करने पर उसको लाठी-डंडा से

मारा-पीटा और दुकान में रखा सामान तोड़ दिया तथा 1000/- रु. लूट ले गया।

इस घटना पर परिवाद निम्नवत् तैयार किया जाएगा-

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ----- (जनपद का नाम)

परिवाद सं. -----

रामकुमार पुत्र राज कुमार उम्र 35 वर्ष निवासी ..... जनपद

बनाम

1. मोहन कुमार पुत्र मनोज कुमार उम्र 60 वर्ष
2. श्याम कुमार पुत्र मोहन कुमार उम्र 30 वर्ष
3. अजीत कुमार पुत्र मोहन कुमार उम्र 20 वर्ष निवासी ..... जनपद

महोदय,

अवगत कराना है कि

1. परिवादी ग्राम ----- का निवासी है तथा कानून को मानने वाला व्यक्ति है।
2. विपक्षीगण परिवादी के पड़ोसी हैं तथा ये लोग बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं तथा परिवादी से जलन व विद्वेष रखते हैं पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में वाद लम्बित है।
3. दिनांक 10.04.17 को सायं 4.00 बजे रामकुमार चौहान अपनी दुकान पर बैठा था तभी मोहन कुमार अपने लड़के श्याम व अजीत के साथ आया और रामकुमार को पुरानी रंजिश के कारण गालियां आदि देने लगा। रामकुमार द्वारा मना करने पर उसको लाठी डंडा से मारा-पीटा और दुकान में रखा सामान तोड़ दिया तथा 1000/- रु. लूट ले गया।
4. घटना के समय दुकान पर मौजूद रमेश व सुरेश ने बीच-बचाव किया तब जाकर अभियुक्तगण भागे और जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दिया।

अनुरोध है कि अभियुक्तगण को तलब कर उचित धाराओं से दंडित करने का कष्ट करें।

दिनांक

परिवादी

.....

.....

*****

अध्याय-4

आरोप

आरोप क्या है?

आपराधिक मामलों में आरोप व आरोप का विरचन एक महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि आरोप से ही निर्णय का आधार तैयार होता है। आरोप के माध्यम से अभियुक्त को यह पता चलता है कि उसके ऊपर किस अपराध के करने की बात कही गई है तथा वादी व साक्षियों का साक्ष्य भी आरोप के विषय में ही होता है। न्यायाधीश के लिए निर्णय करते समय आरोप एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जिस पर उसका निर्णय आधारित होता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-17 में **धारा 211 से 224** में आरोप के विषय में प्रावधान किए गए है, जो निम्नवत् हैं-

क- आरोपों का प्रारूप

धारा 211. आरोप की अन्तर्वस्तु

(1) इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है।

(2) यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है, तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा।

(3) यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है, तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को इस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप हैं।

(4) वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपरोध किया जाना कथित है आरोप में उल्लेखित होगी।

(5) यह तथ्य की आरोप लगा दिया गया है उस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई हैं।

(6) आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा।

(7) यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोषसिद्धि के कारण वर्धित दण्ड का या भिन्न प्रकार के दण्ड का भागी है और वह आशयित हैं किसी पूर्व दोषसिद्धि उस दण्ड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे तो पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे, और यदि ऐसा कथन रह गया हो, तो न्यायालय दण्डादेश देने के पूर्व किसी भी समय इसमें जोड़ सकेगा।

आरोप से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं-

धारा 212. समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां-

(1) अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में और जिस व्यक्ति के (यदि कोई हो) विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के (यदि कोई हो) विषय में यह अपराध किया गया उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियां जैसी अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, आरोप में अन्तर्विष्ट होगी।

(2) जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से धन या अन्य जंगम सम्पत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक-ठीक तारीखों का विनिर्देश किए बिना, यथास्थिति, उस संकल राशि का विनिर्देश या उस जंगम सम्पत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, और उन तारीखों का, जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है, विनिर्देश कर दिया जाता है और ऐसे विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा।

परन्तु ऐसी तारीखों में से पहली और अन्तिम के बीच का समय एक वर्ष से अधिक का न होगा।

धारा 213. कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए -

जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211 और 212 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, पर्याप्त सूचना नहीं देती तब उस रीति की, जिसमें अभिकथित अपराध किया गया ऐसी विशिष्टियां भी, जैसी उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है, आरोप में अन्तर्विष्ट होंगी।

धारा 214. आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दण्डनीय हैं -

प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें उस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दण्डनीय है।

धारा 215. गलतियों का प्रभाव-

अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप को मामले के किसी प्रक्रम में तब ही तात्विक माना जाएगा जब उसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं।

धारा 216. न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता हैं -

(1) कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता हैं।

(2) ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा।

(3) यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय मे विचारण को तुरन्त आगे चलाने के अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है। मानों परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप हैं।

(4) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरन्त आगे चलाने में इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नए विचारण का निदेश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो, स्थगित कर सकता हैं।

(5) यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है, जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित आरोप आधारित है, अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई हैं।

धारा 217. जब आरोप परिवर्तित किया जाता हैं तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना -

जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है तब अभियोजक और अभियुक्त को,

(क) किसी ऐसे साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाने की या पुनः समन करने की और उसकी ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार नहीं है कि, यथास्थिति अभियोजक या अभियुक्त तंग करने के या विलम्ब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से ऐसे साक्षी को पुनः बुलाना या उसकी पुनः परीक्षा करना चाहता हैं।

(ख) किसी अन्य ऐसे साक्षी को भी, जिसे न्यायालय आवश्यक समझे, बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

ख- आरोपों का संयोजन

धारा 218. सुभिन्न अपरधों के लिए पृथक आरोप -

(1) प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकतः किया जाएगा।

परन्तु जहां अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता हैं और मजिस्ट्रेट की राय है कि ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकता हैं।

धारा 219. एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा -

(1) जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, जो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अन्तिम अपराध तक बारह माह के अंदर ही किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों या नहीं तब उस पर उनमें से तीन से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण आरोप लगाया और विचरण में किया जा सकता हैं।

(2) अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन समान दण्ड से दण्डनीय होते हैं।

परन्तु इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि भारतीय दंड़ संहिता (1860 का 45) की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 380 के अधीन दण्डनीय अपराध है, और भारतीय दण्ड संहिता या किसी विशेष या स्थनीय विधि की किसी धारा के अधीन दण्डनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का ऐसे अपराध करने का प्रयत्न है, जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो।

धारा 220. एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण -

(1) यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों के जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता हैं और उसका विचारण किया जा सकता हैं।

(2) जब धारा 212 की उपधारा (2) में या धारा 219 की उपधारा (1) में उपबन्धित रूप में, आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से सम्पत्ति के दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या अधिक अपराधों का अभियोग है, तब उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता हैं और विचारण किया जा सकता हैं।

(3) यदि अभिकथित कार्यों से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की, जिससे अपराध परिभाषित या दण्डनीय हो, दो या अधिक पृथक् परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं, तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता हैं।

(4) यदि कई कार्य जिनमें से एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं, मिलकर

भिन्न अपराध बनते हैं, तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अंकित व्यक्ति पर एक ही विचारण में लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है।

(5) इस धारा की कोई बात भारतीय दण्ड संहिता (1860) की धारा 71 पर प्रकाश न डालेगी।

धारा 221. जहां इस बारे में संदेह है कि कौन-सा अपराध किया गया है -

(1) यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से जो सिद्ध किए जा सकते हैं कई अपराधों में से कौन-सा अपराध बनेगा तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे आरोपों मे से कितनों ही का एक साथ विचारण किया जा सकेगा या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पतः आरोप लगाया जा सकेगा।

(2) यदि ऐसे मामले मे अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है, जिसके लिए उस पर उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था वो वह उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था।

आपराधिक न्यासभंग की या छल कोटि में आ सकता है उस पर चोरी करने, चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्यासभंग करने और छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा अथवा उस पर चोरी करने का या चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करने का या आपराधिक न्यासभंग करने का या छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा।

धारा 222. जब वह अपराध जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अंतर्गत है-

(1) जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें की विशिष्टियां हैं, जिनमें से केवल संयोग से एक पूरा होता अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है किन्तु शेष विशिष्टियां साबित नहीं होती हैं तब वह उस छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था।

(2) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं, जो उसे घटाकर छोटे अपराध का दायी बना देते हैं तब वह छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था।

(3) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध को करने के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है। यद्यपि प्रदान के लिए पृथक् आरोप न लगाया गया हो।

(4) इस धारा की कोई बात किसी छोटे आपराध के लिए उस दशा में दोषसिद्ध प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी। जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुईं थीं।

धारा 223. किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप में आरोप लगाया जा सकेगा -

निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सके और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा, अर्थात्

(क) वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है,

(ख) वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है,

(ग) वे व्यक्ति जिन पर बारह मास की अवधि के अन्दर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग हैं.

(घ) वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग हैं।

(ड.) वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का, जिसके अन्तर्गत चोरी, उद्यापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग भी है, और वे व्यक्ति जिन पर ऐसी सम्पत्ति को, जिसका कब्जा प्रथम नामित व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध द्वारा अन्तरित किया जाना अभिकथित है, प्राप्त करने या रखे, रखने या उसके व्ययन या छिपाने में ,सहायता करने का या किसी ऐसे अन्तिम नामित अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है,

(च) वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई सम्पत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 411 पर और धारा 414 किया अपराधों मे से किसी के अधीन अपराधों का अंकित हो के अध्याय 12 के अधीन कूटकत सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर उसी सिक्के के संबंध के उक्त अध्याय के अधीन किसी भी अन्य अपराध का या किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है और उस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग के उपबन्ध सब ऐसे आरोपों को यथाशक्य लागू होंगे।

(छ) वे व्यक्ति जिन पर भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के

परन्तु जहां अनेक व्यक्तियों पर पृथक् अपराधों का आरोप लगया जा रहा है और वे व्यक्ति इस धारा में विर्निदिष्टकोटियों में से किसी में है वहीं मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहते हैं और मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि इससे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा करना समीचीन हैं।

224. कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना -

जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध कई आरोप विरचित किया जाता हैं जिसमें एक कई अधिक शीर्ष हैं और जब उनमें से एक या अधिक के लिए दोषसिद्धि कर दी जाती हैं तब परिवादी, या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता हैं अथवा न्यायालय ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण

स्वप्रेरणा से रोक सकता हैं और उसे वापस लेने का प्रभाव ऐसे रोक सकता है और ऐसे वापस लेने का प्रभाव ऐसे आरोप या आरोपों के होगा, किन्तु यदि दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाती हैं, तो उक्त न्यायालय दोषसिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए। ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्यवाही कर सकता हैं।

आरोप के संबंध में महत्वपूर्ण बातें जिनका आरोप विरचित करते समय ध्यान रखना चाहिए-

(1) आरोप लगाने का आशय यह है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है, उसे उस अपराध के बारे में पूरी सूचना मिल जाए, जो उसके विरुद्ध लगाया गया है।

(2) आरोप न्यायालय के भाषा में होना चाहिए।

(3) आरोप विरचित करते समय न्यायाधीश को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

(4) समन मामले में किसी औपचारिक आरोप की विरचना की आवश्यकता नहीं होती है।

(5) यदि आरोप में केवल उस धारा का उल्लेख किया है जिसके अधीन कोई व्यक्ति अभियुक्त है और आरोप का सार उल्लेखित नहीं किया गया है, तो यह गम्भीर प्रक्रियात्मक त्रुटि है।

(6) आरोप में अनियमितता दोषसिद्धि को प्रभावित करती है।

(7) आरोप स्पष्ट एवं विनिर्दिष्ट होना चाहिए।

(8) आरोप इस प्रकार से विरचित किया जाए कि वह भारतीय दण्ड संहिता की उस धारा को निर्दिष्ट करे जिसका आरोप लगाया जा रहा है।

(9) यदि भारतीय दण्ड संहिता के किसी धारा का कोई विशिष्ट भाग आकर्षित होता है, तो वह भी स्पष्ट होना चाहिए।

(10) किसी अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप के स्वरूप के बारे में निश्चित रूप से और ठीक-ठीक जानकारी पाने का हक है।

(11) आपराधिक न्यास भंग के कितने की कार्य जो एक ही वर्ष के अन्दर किए गए हैं, उन्हें एक ही अपराध समझा जाता है।

(12) जहां कार्यों की श्रृखंला एक वर्ष से अधिक तक फैली है, वहां आरोपों का संयोजन अवैध होगा।

(13) अपराध कब किया, उस रीति का भी वर्णन किया जाना चाहिए।

(14) आरोप में निम्न तथ्य को समाहित करना आवश्यक हैः-

1. उस अपराध का नाम, जिसका अभियुक्त पर आरोप है।
2. अपराध का नाम, धारा, उस व्यक्ति का नाम, जिसके विरुद्ध अपराध किए जाने का आरोप है।
3. अभियुक्त का नाम व पता
4. परिवादी/पीड़ित व्यक्ति का नाम व पता
5. अपराध कारित करने की तारीख, समय व स्थान

(15) आरोप विरचित करते समय न्यायालय को विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य ही विचार

करना होता है। इस स्तर पर अभियुक्त को मात्र सुने जाने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। धारा 227ब 228 के कार्यवाही के समय अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(16) **धारा 227 व 228** के तहत आरोप के संबंध में कार्यवाही करते समय न्यायालय धारा 91 आई.पी.सी. के तहत कोई दस्तावेज आरोप विरचित करने के लिए या आरोप से अवमुक्त करने के लिए आहुत नहीं कर सकता है।

विभिन्न आरोपों के मॉडल की सूची

1. जान से मारने की धमकी का आरोप
2. उपहति व गाली देने का आरोप
3. अवैध चाकू की बरामदगी का आरोप
4. मार पीट व जान से मारने की धमकी का आरोप
5. मारपीट, गाली देने व जान से मारने की धमकी का आरोप
6. मारपीट के दौरान घोर उपहति कारित करना वह रिष्टि के अपराध का आरोप
7. उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने का आरोप
8. चोरी व बरामदगी का आरोप
9. मारपीट व चोरी का आरोप
10. मारपीट व हमला करने का आरोप
11. धोखे से दस्तावेज तैयार करने का आरोप
12. मारपीट व हड्डी टूटने का आरोप
13. घर में घुसकर मारपीट करना व लज्जाभंग का आरोप
14. मारपीट व घोर उपहति का आरोप
15. आरक्षित वन से लकड़ी की चोरी व बरामदगी का आरोप
16. लज्जाभंग व जान से मारने की धमकी का आरोप
17. घर में घुसकर मारपीट का आरोप
18. चोरी की मोटरसाइकिल रखना व फर्जी नम्बर लगाने का आरोप
19. वाहन चोरी व बरामदगी का आरोप
20. वाहन की चोरी व बरामदगी तथा प्रतिरूपण द्वारा छल का आरोप
21. चोरी का आरोप
22. लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से चोट कारित करना
23. मादक पदार्थ की बरामदगी का आरोप
24. लज्जाभंग का आरोप
25. मारपीट व चोरी का आरोप
26. घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप
27. गोवध अधिनियम के तहत अपराध का आरोप

28. दहेज की मांग व मारपीट का आरोप
29. खेती की फसल जलाकर नष्ट करने का आरोप
30. धोखाधड़ी करना व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का आरोप
31. फर्जी कागजात तैयार करना व प्रतिरूपण द्वारा छलकर आरोप
32. उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने से मृत्यु कारित करना
33. मादक पदार्थ प्राप्त होने पर सत्र न्यायालय द्वारा आरोप का विरचन
34. धारा 304 भा.द.सं. का आरोप

विभिन्न आरोपों के मॉडल

1. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम ...

मुकदमा नम्बर - 2115/2016

सरकार-- बनाम--राम सिंह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम ... आप अभियुक्त राम सिंह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-04.04.2012 को समय करीब 12.10 बजे आप अपने मोबाइल नम्बर 1234567890 से वादी मुकदमा के मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दिए इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

2. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम ...

मुकदमा नम्बर-253/2012

सरकार-- बनाम--संजय वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण संजय, सन्दीप एवं अजय कुमार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-20.06.2010 को समय करीब 17.50 बजे शाम बहद स्थान चमनगंज थाना रामपुर जनपद का नाम में आप लोग ग्राम चैहरिया टोला थाना घुघली, जनपद का नाम में आप लोगों ने वादी मुकदमा राकेश के भाई को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा राकेश के भाई को लात-मुक्के से मारकर गम्भीर उपहति कारित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-324 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध हैं, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के भाई को गाली-गुप्ता दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

3. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम ...

मुकदमा नम्बर-227/2016

सरकार— बनाम––मोबीन अहमद

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त मोबीन अहमद को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप दिनांक-21.06.2011 को समय करीब 18.30 बजे बहद स्थान जनता चौक, माल गोदाम की तरफ थाना नौतनवां जनपद का नाम में आपके पास एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ, जो **धारा 4 आर्म्स एक्ट 1959** के नोटीफिकेशन संख्या-जी.आर.एस.-1309 दिनांकित-01.08.1962 सेक्शन-21 के अधिनियम, 1891 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित है, इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-4/25** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

4. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम ...
मुकदमा नम्बर-3072/2011
नबुवतनिशा-- बनाम--रहीम वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण रहीम, अमीन, जुम्मन एवं आर. मोहम्मद को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-07.09.2011 को समय करीब 8.30 बजे सुबह बहद स्थान कोहरगड्डी थाना परसामलिक जनपद का नाम में आप लोगों ने वादिनी मुकदमा को लात-मुक्का, थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा को जान-माल की धमकी दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

5. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम
मुकदमा नम्बर-106/2009
सरकार-- बनाम--सुनील

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त सुनील को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-02.11.2007 को समय करीब 8-9 बजे सुबह बहद स्थान मौजा कौलही थाना नौतनवां जनपद का नाम में खेत जोतवाने के विवाद को लेकर आप वादी मुकदमा सोमई को लात-मुक्का, थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा को गाली-गुप्ता दिया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा को जान-माल की धमकी दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

6. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-4418/2007

सरकार-- बनाम—बजरंगी वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण बजरंगी, मोहन, रामविलास एवं उषा देवी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-05.04.1998 को समय करीब 8.00 बजे सुबह बहद स्थान महुआरी थाना रामपुर जनपद का नाम में आप लोग पुरानी रंजिश को लेकर वादिनी मुकदमा सरस्वती व उसकी लड़कियों को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा सरस्वती व उसके दोनों लड़कियों को लाठी-डण्डा से मारकर साधारण चोट कारित किए। इस प्रकार आपका कृत्य **धारा-325 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनीं मुकदमा व उसकी लड़कियों को गाली-गुप्ता दिया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा के बोंरिग की मशीन तोड़कर क्षति पहुंचा कर नुकसान कारित किए हैं। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-427 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

7. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-913/2013

सरकार--बनाम-श्रीकिशुन गुप्ता

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त श्रीकिशुन को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप दिनांक-06.11.2012 को समय करीब 2.00 बजे दिन बहद स्थान महाव नदी के पास थाना परसामलिक जनपद का नाम में आप द्वारा लापरवाहीपूर्वक व तेज गति से मोटरसाइकिल वाहन संख्या-यू.पी.-56-ई.-7178 को चला रहे थे। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-279 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप ने उपरोक्त मोटरसाइकिल को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए रामअचल को ठोकर मार दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-337 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप ने उपरोक्त मोटरसाइकिल को लापरवाही पूर्वक चला कर रामअचल को ठोकर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिए। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य **धारा-338 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

8. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-1336/2011

सरकार-- बनाम--मुक्ति यादव वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त विन्ध्यांचल को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आपने दिनांक-24.11.2000 को रातः 9.00 बजे बहद ग्राम खम्हौरा टोला बंजरिया थाना निचलौल जनपद का नाम में वादी मुकदमा की भैंस चोरी कर लिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-379 भा.द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से चोरी की गई भैंस आपके कब्जे से बरामद हुई। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-411 भा.द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

9. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-231/2015

पुनीता-- बनाम--रामलाल वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण रामलाल, विरेन्द्र, दिनेश एवं उमेश को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-06.11.2014 को समय करीब 7.30 बजे सायं बहद स्थान बहुआर थाना निचलौल जनपद का नाम में आप ने वादिनी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त तिथि समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा के गुप्तांग के साथ छेड़-छाड़कर स्त्री लज्जाभंग किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा-354 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा को जान-माल की धमकी दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा का सोने का मंगलसूत्र चोरी से उठा ले गए। इस प्रकार का कृत्य **धारा-379 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की ।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

10. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-1830/2010

सरकार-- बनाम--श्रीमती शकुन्तला वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप

अभियुक्तगण श्रीमती शकुन्तला, नीरज, रामानन्द एवं श्रीमती अमरावती को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-06.06.2009 को समय करीब 6.00 बजे सायं बहद स्थान ग्राम रतनपुर टोला परसाजोतिया थाना नौतनवां जनपद का नाम में आप लोगों ने वादी मुकदमा की पत्नी व उसकी लड़की को मार-पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा की पत्नी व उसकी लड़की को गाली-गलौज दिया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा की पत्नी व उसकी लड़की को जान-माल की धमकी दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के घर में रखे सामान को तोड़कर क्षति पहुंचा कर नुकसान कारित किए हैं। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा-427 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा की पत्नी व उसकी लड़की को मारने के लिए दौड़ा लिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-352 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

11. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-1165/2011

सरकार-- बनाम—बाबूराम वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण बाबूराम एवं हीरालाल को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप लोगों ने दिनांक-27.09.1991 को बहद स्थान कार्यालय उपनिबन्धक निचलौल, थाना निचलौल जनपद का नाम में आप लोगों ने जमीन का बैनामा करने के लिए फर्जी कागजात तैयार कर वादी मुकदमा के साथ प्रतिरूपण द्वारा छल किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-419 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से जो फर्जी रजिस्ट्री संबंधी कागजात बरामद की गई, पर गलत तथ्य अंकित कर बेइमानी पूर्ण आशय से लाभ प्राप्त करने के लिए वादी के साथ धोखा किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-420 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने फर्जी कागजात के आधार पर बेईमानी पूर्ण आशय से लाभ प्राप्त करने के लिए वादी मुकदमा के साथ धोखा किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-467 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि आप लोगों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर कूटरचित प्रपत्र तैयार कर छल के प्रयोजन से गलत तथ्य अंकित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-468 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जनपद का नाम...

12. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-1402/2002

सरकार–– बनाम––झीनक वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण झीनक, ओंकार एवं कन्हई को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-15.08.1997 को समय करीब 7.30 बजे सायं बहद स्थान विषखोप टोला श्रीरामपुर, थाना परसामलिक जनपद का नाम में आप लोगों ने ईंट के टुकड़ों के फेंकने के विवाद को लेकर वादी मुकदमा चन्द्रिका व उसके भाई को को मार-पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को गाली-गुप्ता दिया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को को जान-माल की धमकी दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर वादी मुकदमा चन्द्रिका व उसके भाई को ईंट से मारकर गम्भीर चोट कारित किए। इस प्रकार का कृत्य **धारा-325 भा.दं.सं.** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने विवाद के बाद आक्रोशित होकर ईंट-पत्थर चला कर मारे पीटे जिससे वादी मुकदमा व उसके भाई तथा उसकी माता को गम्भीर चोटें आईं। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य **धारा-338 भा.द.सं.** के अन्तर्गत अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

13. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-1622/2016

सरकार-- बनाम--नूरआलम

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त नूरआलम को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

प्रथम यह कि दिनांक-10.05.2016 को समय करीब 9.00 बजे रात्रि बहद स्थान हरखोड़ा थाना निचलौल जनपद का नाम में आप ने वादिनी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा के गुप्तांग के साथ छेड़-छाड़कर स्त्री लज्जाभंग किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-354 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर मारा-पीटा। इस प्रकार का कृत्य **धारा-452 भा.दं.सं.** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा को गाली-गुप्ता दिया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा को जान-माल की धमकी दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा को कुल्हाड़ी से मारकर गम्भीर चोट कारित किए। इस प्रकार का कृत्य **धारा-325 भा.दं.सं.** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसङ्गांन में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

14. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-1756/2011

सरकार-- बनाम--गिरीश

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण ग्रीष उर्फ गिरीश यादव एवं इन्द्रेश को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-26.03.2009 को समय करीब 8.00 बजे दिन बहद स्थान ग्राम घोड़हवा थाना नौतनवां जनपद का नाम में आप लोगों ने वादी मुकदमा परमेश्वर को मारपीट कर कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा परमेश्वर को गाली-गुप्ता दिया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि आप लोगों ने उक्त तिथि, समय व स्थान पर वादी मुकदमा को लाठी-डण्डा से मारकर गम्भीर चोट कारित किए। इस प्रकार का कृत्य **धारा-325 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

15. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-1654/2010

सरकार-- बनाम--रामविलास

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण रामविलास एवं राजेश कुमार कन्नौजिया को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप लोगों ने दिनांक-22.02.2008 को प्रातः 7.00 बजे सुबह बहद ग्राम खैरारी अन्तर्गत थाना नौतनवां जनपद का नाम में आरक्षित वन क्षेत्र से लकड़ी काटकर चोरी से उठा ले गए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-379 भा.द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से चोरी की गई लकड़ी आप लोगों के कब्जे से बरामद हुआ। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-411 भा.द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से आप लोगों ने आरक्षित वन क्षेत्र से हरा वृक्ष काट कर वन सम्पदा का नुकसान कारित किए। इस प्रकार आप लोगो का यह कृत्य **धारा-26 भारतीय वन अधिनियम** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

16. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-3709/2011

कौशिल्या देवी-- बनाम--छेदी वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त छेदी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप द्वारा दिनांक-21.11.2011 को समय करीब 5.00 बजे शाम को बहद स्थान ग्राम हरदी थाना निचलौल जनपद का नाम में वादिनी मुकदमा कौशिल्या के साथ अश्लील हरकत कर स्त्री लज्जाभंग किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-354 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा को जान-माल की धमकी दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

17. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-1598/2011

सुनन्त खातून-- बनाम--अकबर वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण अकबर, आबिद, जाकीर एवं नौशाद को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-09.07.2011 को समय करीब 6.00 बजे शाम बहद स्थान मौजा मिश्रवलिया, थाना निचलौल जनपद का नाम में आप लोगों ने भूमि संबंधी विवाद को लेकर वादिनी मुकदमा सुनन्त को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा सुनन्त के घर में घुसकर मारपीट किए। इस प्रकार का कृत्य **धारा-452 भा.दं.सं.** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूँ कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

18. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...
मुकदमा नम्बर-5646/2017
सरकार-- बनाम--कन्हैया उर्फ चार्ली वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण सुनील सरोज, असलम, सुलतान एवं सदरे आलम उर्फ घसेठू को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप लोगों ने दिनांक-23.05.2017 को बहद स्थान बरोहिया बाजार मन्दिर के सामने अन्तर्गत थाना निचलौल जनपद का नाम में आप लोग वादी मुकदमा की मोटरसाइकिल चोरी करके उठा ले गए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-379 भा. द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से चोरी की गई मोटरसाइकिल आप लोगों के कब्जे से बरामद हुई। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-411 भा.द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से चोरी गई उक्त मोटरसाइकिल ,जो आप लोगों के पास से बरामद हुई थी, उक्त मोटरसाइकिल का आपने फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट यू.पी.-56पी.-5169 अंकित कर वादी के साथ प्रतिरूपण द्वारा छल किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-419 भा.दं.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से चोरी गई उक्त मोटरसाइकिल, जो आपके पास से बरामद की गई, उसका नम्बर प्लेट यू.पी.-56पी0-5169 अंकित कर बेईमानी पूर्ण आशय से लाभ प्राप्त करने के लिए वादी के साथ धोखा किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-420 भा.दं.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

19. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-5563/2017

सरकार-- बनाम--प्रदीप थापा

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त प्रदीप थापा को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप ने दिनांक-25.07.2017 को समय करीब 9.30 बजे रात्रि बहद स्थान

स्टेशन मोड़ अन्तर्गत थाना नौतनवां जनपद का नाम में वादी मुकदमा की मोटरसाइकिल चोरी से उठा ले गए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-379 भा.द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से चोरी की गई मोटरसाइकिल आपके कब्जे से बरामद हुई। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-411 भा.द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

20. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...
मुकदमा नम्बर-5686/2017
सरकार-- बनाम--कन्हैया उर्फ चार्ली वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम आप अभियुक्तगण कन्हैया उर्फ चार्ली, मुस्ताक अली एवं ओमप्रकाश को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप लोगों ने दिनांक-24.06.2017 को बहद स्थान मैरी रोड अन्तर्गत थाना निचलौल जनपद का नाम में आप लोग दो मोटरसाइकिल चोरी करके नेपाल बेचने जा रहे थे। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-379 भा.द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से चोरी की गई मोटरसाइकिलें आप लोगों के कब्जे से बरामद हुई। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-411 भा.द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से चुराई हुई मोटरसाइकिल को उसे चुराई हुई

जानते हुए बेईमानी से रखे थे। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-41 भा.दं.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बरामद की गई उपरोक्त दोनों मोटरसाइकिले चोरी की जानते हुए भी आप लोगों ने उसे छिपाने का प्रयास किया। इस प्रकार आप लोगों ने **धारा-414 भा.द.सं.** के अन्तर्गत अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से चोरी गई उक्त मोटरसाइकिल, जो आपके पास से बरामद हुई थी, उक्त मोटरसाइकिल का आपने फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट अंकित कर वादी के साथ प्रतिरूपण द्वारा छल किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-419 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान से चोरी गई उक्त मोटरसाइकिल, जो आपके पास से बरामद की गई, उसका नम्बर प्लेट नेपाली नम्बर अंकित कर बेईमानी पूर्ण आशय से लाभ प्राप्त करने के लिए वादी के साथ धोखा किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-420 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तम यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान से चोरी गई मोटरसाइकिलें, जो आप लोगों के कब्जे से बरामद हुई थी, पर फर्जी पंजीयन नम्बर डालने के लिए कूटरचित प्रपत्र तैयार कर किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-467 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अष्टम यह कि आप लोगों ने उपरोक्त बरामद मोटरसाइकिलों पर कूटरचित प्रपत्र तैयार कर छल के प्रयोजन से गलत रजिस्ट्रेशन नम्बर मोटरसाइकिल पर अंकित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-468 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

नवम यह कि आप लोगों ने उपरोक्त बरामद मोटरसाइकिलों को नेपाल में बेचने के लिए जो कागजात तैयार किया वह फर्जी जानते हुए भी असली के रूप में उपयोग में लाने के लिए वादी मुकदमा को दिया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-471 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

21. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-5367/2017

सरकार-- बनाम--कन्हैया उर्फ चार्ली वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण कन्हैया उर्फ चार्ली, मुस्ताक अली एवं ओमप्रकाश को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप लोगों ने दिनांक-12.06.2017 को समय करीब 1.45 बजे बहद स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निचलौल में वादी मुकदमा सत्येन्द्र प्रताप सिंह दन्त विज्ञानी की मोटरसाइकिल चोरी से उठा ले गए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-379 भा. द.सं.** के तहत कारित अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

22. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-259/2012

सरकार-- बनाम-गंगेश्वर

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम आप अभियुक्त गंगेश्वर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप दिनांक-09.11.2010 को समय करीब 4.30बजे बहद स्थान जूनियर हाईस्कूल बन्दी अन्तर्गत थाना निचलौल जनपद का नाम में आप द्वारा लापरवाही-पूर्वक व तेज गति से मोटरसाइकिल वाहन संख्या-यू.पी.-52एल.-3513 को चला रहे थे। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-279 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप ने उपरोक्त मोटरसाइकिल को लापरवाही-पूर्वक चलाते हुए विपिन कुमार सिंह पुत्र बैजनाथ प्रसाद को ठोकर मार दिए इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-337 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप ने उपरोक्त मोटरसाइकिल को लापरवाही-पूर्वक चला कर विपिन कुमार सिंह पुत्र बैजनाथ प्रसाद को ठोकर मार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिए। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य **धारा-338 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगो को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

23. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-5826/2017

सरकार———बनाम———विरेन्द्र कुमार

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप

अभियुक्त विरेन्द्र कुमार निषाद को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-11.07.2017 को समय करीब 4.35 बजे बहद स्थान खनुआ से बनैलिया रोड, हीरो होण्डा एजेन्सी अन्तर्गत थाना नौतनवां जनपद का नाम से आपके कब्जे से एक किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। जिसको रखने का आपके पास कोई प्रपत्र नहीं था। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-8/20 एन.डी.पी.एस.** एक्ट के तहत कारित अपराध है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

24. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...
मुकदमा संख्या-193/2015

सरकार-- बनाम--बदरे आलम

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त बदरे आलम को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप द्वारा दिनांक 21.06.2011 को समय करीब 6.00 बजे बहद स्थान बैठवलियां के आगे पेट्रोल पम्प के सामने अन्तर्गत थाना निचलौल जनपद का नाम वादिनी कंचन से अशलील शब्दों का प्रयोग कर स्त्री लज्जाभंग किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-354 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

25. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-665/2012

जलीमुननिशा-- बनाम--इसराफिल वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अकिधारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण इसराफिल, फिरोज, महमूद व महबूब को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-16.05.2012 को समय करीब 2.00 बजे दिन बहद स्थान खोन्हौली थाना निचलौल जनपद का नाम में पुरानी रंजिश को लेकर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि आप लोगों ने उक्त तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा को गाली-गुप्ता दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि आप लोगों ने उक्त तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा का 20 हजार रुपये नकद व जेवरात उठा ले गए। इस प्रकार का कृत्य **धारा-379 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

26. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा संख्या-1607/2011

रामनरायन कन्नौजिया-- बनाम--शैलेश पाण्डेय वगैरह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण शैलेश पाण्डेय एवं आशा देवी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-12.07.2011 को समय करीब 7.00 बजे सुबह बहद स्थान मौजा निचलौल मुहल्ला घोडहवा थाना निचलौल जनपद का नाम में आप लोगों वादी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि आप लोगों ने उक्त तिथि, समय व स्थान पर वादी मुकदमा को गाली-गुप्ता दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को जान-माल की धमकी दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि आप लोगों ने उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के घर में घुसकर मारपीट किए। इस प्रकार का कृत्य **धारा-452 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

27. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-1571/2003

सरकार-- बनाम--बिस्मिल्लाह

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त बिस्मिल्लाह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-22.06.2003 को समय करीब 17.15 बजे बहद स्थान परसामीर थाना कोतवाली जनपद का नाम में आप 3 राशि बैलों को मारते-पीटते वध हेतु ले जाते समय थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा बरामद किया गया, जिसके संबंध में आप के पास से कोई विधिक प्रमाण नहीं रहा है। इस प्रकार का कृत्य **धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि आप लोगों ने उक्त तिथि, समय व स्थान पर उक्त जानवरों को मारपीट कर एवं उनके साथ निर्दयता/क्रूरता का व्यवहार करते हुए ले जा रहे थे। इस प्रकार का कृत्य **धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

28. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-712/2012

माधुरी-- बनाम--रामअशीष

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्तगण रामअशीष यादव, घनश्याम यादव, सलहन्ता देवी, धुरूप यादव एवं अन्जनी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-25.04.2012 को समय करीब 11.00 बजे बहद स्थान पिपरा काजी टोला कपिया थाना निचलौल जनपद का नाम में आप लोगों ने वादिनी मुकदमा माधुरी देवी जिसकी शादी आप अभियुक्त रामअशीष से हुई थी से दहेज एक लाख रुपये की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किए। इस प्रकार का कृत्य **धारा-498ए. भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि आप लोगों ने उक्त तिथि समय व स्थान पर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरा न होने पर वादिनी मुकदमा को भद्दी-भद्दी गाली-गुप्ता दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा को जान-माल की धमकी दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.स.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि आप लोगों ने उक्त तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा से दहेज में एक लाख रुपये की मांग किए। इस प्रकार का कृत्य **धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

29. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-2120/2016

सरकार-- बनाम—चिखुरी गुप्ता

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त चिखुरी गुप्ता को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-12.04.2012 को समय करीब 3.30 बजे दिन में बहद स्थान ग्राम जमुई पण्डित थाना निचलौल जनपद का नाम में आपने वादी मुकदमा की खड़ी गेहूं की फसल को आग लगा कर जला दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-435 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

30. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-1383/2010

सरकार-- बनाम--दयानन्द

आरोप

मैं, (पीठासीन अधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त दयानन्द को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि बहद स्थान ग्राम कड़जा थाना झुङ्गीबारी कोतवाली जनपद का नाम में आप ने वादी मुकदमा से भिन्न तिथि को उसे विदेश भेजने के नाम पर पैसे लिए तथा दिनांक-23.07.2006 को उसे कूटरचित फर्जी वीजा देकर उसके साथ छल किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-419 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक व स्थान पर फर्जी वीजा पर बेईमानी पूर्ण आशय से लाभ प्राप्त करने के लिए वादी मुकदमा के साथ धोखा किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-420 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त दिनांक, स्थान पर वादी मुकदमा के साथ छल से विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व अन्य कागजात तैयार कर किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-467 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उक्त दिनांक, स्थान पर आप ने वादी मुकदमा के साथ छल के प्रयोजन से फर्जी कागजात तैयार किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा-468 भा.द.सं. के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को विदेश भेजने के लिए जो वीजा तैयार किया वह फर्जी जानते हुए भी असली के रूप में उपयोग में लाने के लिए वादी मुकदमा को दिया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-471 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

31. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-4481/2011

सरकार— बनाम––ओमप्रकाश

आरोप

मैं, पीठासीन अधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त ओमप्रकाश को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि दिनांक-04.04.2011 को बहद स्थान ग्राम पुरैना खण्डी चैरा, थाना घुघली जनपद का नाम में आप ने वादी मुकदमा का कूटरचित फर्जी त्यागपत्र बनाकर छल किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-419 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक व स्थान पर फर्जी त्यागपत्र पर बेईमानी पूर्ण आशय से लाभ प्राप्त करने के लिए वादी मुकदमा के साथ धोखा किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-420 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त दिनांक, स्थान पर वादी मुकदमा के साथ छल से मत्स्य पालन का फर्जी कागजात तैयार कर किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा-467 भा.द.सं. के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उक्त दिनांक, स्थान पर आप ने मत्स्य पालन विभाग के साथ छल के प्रयोजन से फर्जी कागजात तैयार किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-468 भा.द.सं.** के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम यह कि उक्त दिनांक, स्थान पर आप ने वादी मुकदमा को गाली गुप्ता-दिया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-504 भा.द.सं.** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम यह कि उक्त तिथि, स्थान पर आप ने वादी मुकदमा को जान-माल की धमकी दिए। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-506 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तम यह कि आपने मत्स्य पालन विभाग का पैसा लेकर रख लिया तथा वापस न करके आपराधिक न्यासभंग किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा-406 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जनपद का नाम...

32. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

मुकदमा नम्बर-891/2012

सरकार-- बनाम-सुशील कुमार

आरोप

मैं, पीठासीन अधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम... आप अभियुक्त सुशील कुमार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं-

प्रथम यह कि आप दिनांक-26.03.2007 को समय करीब 7.00 बजे बहद स्थान ओडवलिया बाजार थाना निचलौल, जनपद का नाम में आप द्वारा लापरवाहीपूर्वक व तेज गति से ट्रैक्टर जिसका पंजीकरण संख्या-यू.पी.-53जी.-6823 को चला रहे थे। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-279 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप ने उपरोक्त ट्रैक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लक्ष्मण शर्मा को ठोकर मार दिए इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा-337 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप ने उपरोक्त ट्रैक्टर को लापरवाहीपूर्वक चला कर लक्ष्मण शर्मा को ठोकर मार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिए। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य **धारा-338 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप द्वारा उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक ट्रैक्टर को चला कर लक्ष्मण शर्मा की मृत्यु कारित किए। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा-304ए भा.दं.सं. के अन्तर्गत कारित दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि उपरोक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जनपद का नाम...

उपरोक्त आरोप खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

33. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-02, जनपद का नाम...
विशेष सत्र परीक्षण संख्या-01/2016
मुकदमा अपराध संख्या-902/2015
धारा 8/20एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना-निचलौल, जनपद का नाम...
राज्य
बनाम
प्रदीप कसौधन

आरोप

मैं (पीठासीन अधिकारी) अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय-02) जनपद का नाम... आप अभियुक्त प्रदीप कसौधन को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

प्रथम यह कि दिनांक-20.03.2015 को समय करीब 8.30 बजे बहद स्थान सिरौली पेट्रोल पम्प अन्तर्गत थाना रामपुर जनपद का नाम में मुखबिर से सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा आपकी तलाशी ली गई तो दाहिने हाथ में लिए प्लास्टिक के थैले में नाजायज गांजा 1 किलो 120 ग्राम आपके कब्जे से बरामद किया गया, जिसके संबंध में आपके पास कोई वैध कागजात नहीं था। इस प्रकार आपने **एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा-8/20 के** अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त अपराध में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

33A. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-02, जनपद का नाम...

विषेश सत्र परीक्षण संख्या-01/2016
मुकदमा अपराध संख्या-337/2015
धारा 8/20एन.डी.पी.एस. ऐक्ट
थाना-निचलौल, जनपद का नाम...
राज्य
बनाम
प्रदीप कसौधन

09.08.2018

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त प्रदीप कसौधन मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित। आरोप के बिन्दु पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त प्रदीप कसौधन ने **धारा-8/20 एन.डी.पी.एस.** एक्ट का अपराध कारित किया है और अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त अपराध कारित किए जाने के संबंध में पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा गवाहों की सूची व दस्तावेज जिन पर अभियोजन केस आधारित है, का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है और प्रार्थना की गई है कि अभियुक्त प्रदीप कसौधन के विरुद्ध उपरोक्त धारा का आरोप विचरित किया जाए। उपरोक्त का विरोध करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो गवाहों की सूची व दस्तावेज जिन पर अभियोजन केस आधारित है, का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है वह अभियुक्त को झूठा फंसाने के लिए झूठे एकत्र किए गए हैं और प्रार्थना की गई है कि अभियुक्त को उपरोक्त झूठे मुकदमें से उन्मोचित किया जाए।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के सम्यक् अवलोकन से अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धारा का आरोप विरचित करने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। अतः अभियुक्त प्रदीप कसौधन के विरुद्ध **धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट** का आरोप विरचित किया गया, जो अलग से पत्रावली में संलग्न है। अभियुक्त प्रदीप कसौधन ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण किए जाने की याचना की। अतः पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य न्यायालय के कार्यदिवस

दिनांक-21.08.2018 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण को सम्मन जारी हो।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

34. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय-02), जनपद का नाम...
उत्तर प्रदेश राज्य---बनाम-----हरिलाल वगैरह
धारा-323,504,506,304 भारतीय दण्ड संहिता
मुकदमा अपराध संख्या-363/2016
थाना-नौतनवां, जनपद का नाम...

आरोप

मैं पीठासीन अधिकारी अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय-02), जनपद का नाम... आप अभियुक्त हरिलाल को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

प्रथम यह कि दिनांक-10.11.2016 को रात्रि लगभग 9.00 बजे बहद स्थान झुङ्गीबारी चौराहा अन्तर्गत थाना नौतनवां जनपद का नाम... में आप ने वादिनी मुकदमा पूनम के पिता तथा उसके चाचा को लाठी-डण्डा व लोहे की राड तथा चाकू से मारपीटकर स्वेच्छ्या उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने **भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा पूनम के पिता दिलीप सोनकर तथा उसके चाचा विजय सोनकर को गाली-गुप्ता देकर लोक शान्ति भंग करने हेतु प्रकोपित किया। इस प्रकार आपने **भारतीय दण्ड संहिता की धारा-504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा पूनम के दिलीप सोनकर तथा उसके चाचा विजय सोनकर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा पूनम के पिता दिलीप सोनकर तथा उसके चाचा विजय सोनकर को लाठी-डण्डा व लोहे की राड तथा चाकू से मारे पीटे जिसके परिणामस्वरूप उसके चाचा विजय सोनकर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार आपने **भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त अपराध में आपका परीक्षण इस

न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

34A. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय-02), जनपद का नाम...
उत्तर प्रदेश राज्य---बनाम-----हरिलाल वगैरह
धारा-323,504,506,304 भारतीय दण्ड संहिता
मुकदमा अपराध संख्या-363/2016
थाना-नौतनवां, जनपद का नाम...

07.05.2018

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त हरिलाल मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित। आरोप के बिन्दु पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त हरिलाल ने **धारा-323,504,506,304 भारतीय दण्ड संहिता** का अपराध कारित किया है और अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त अपराध कारित किए जाने के संबंध में पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा गवाहों की सूची व दस्तावेज जिन पर अभियोजन केस आधारित है, का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है और प्रार्थना की गई है कि अभियुक्त हरिलाल के विरुद्ध उपरोक्त धारा का आरोप विचरित किया जाए। उपरोक्त का विरोध करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो गवाहों की सूची व दस्तावेज जिन पर अभियोजन केस आधारित है, का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है वह अभियुक्त को झूठा फंसाने के लिए झूठे एकत्र किए गए है और प्रार्थना की गई है कि अभियुक्त को उपरोक्त झूठे मुकदमें से उन्मोचित किया जाए।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के सम्यक् अवलोकन से अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धारा का आरोप विरचित करने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। अतः अभियुक्त हरिलाल के विरुद्ध **धारा-323,504,506,304 भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप विरचित किया गया जो अलग से पत्रावली में संलग्न है। अभियुक्त हरिलाल ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण किए जाने की याचना की। अतः पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य न्यायालय के कार्यदिवस दिनांक-22.05.2018 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण को सम्मन जारी हो।

दिनांक-

(पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

*****

सम-सामयिक

अध्याय-5
आपराधिक मामलों में निर्णय से संबंधित प्रावधान

सामान्य

न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में निर्णय लिखते समय व विद्यार्थी के रूप निर्णय लिखने में भेद है। न्यायालय में निर्णय लिखते समय सभी तथ्य न्यायाधीश के समक्ष होते हैं, जैसे-

- प्रथम सूचना रिपोर्ट
- आरोप-पत्र
- आरोप जो विरचित किया गया
- पुलिस द्वारा की गई विवेचना का सार (केस डायरी)
- वादी मुकदमा या व्यक्तियों का नाम जिसकी तरफ से प्रस्तुत साक्षियों के मौखिक साक्ष्य, जो न्यायालय में लिखे होते हैं तथा उन पर विपक्षी अधिवक्ता के तर्क भी होते हैं।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट केस डायरी, आरोप-पत्र व अन्य पुलिस प्रपत्रों को साबित करने के लिए साक्षी का साक्ष्य उपलब्ध होता है।
- चिकित्सीय रिपोर्ट के संबंध में चिकित्सक का भी साक्ष्य उपलब्ध होता है।
- इसके उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत **धारा 313 द.प्र.सं.** अंकित होता है।
- अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों को लिखित किया जाता है वह भी पत्रावली में होता है।
- पत्रावली पर दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य भी होता है।
- इसके उपरान्त दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा मामलों में अपनी बहस की जाती है, जो न्यायाधीश द्वारा सुनी जाती है तथा उसके सामने स्थिति पूर्णतः स्पष्ट होती चली जाती है।

परन्तु विद्यार्थी या परीक्षार्थी के रूप में आप स्वयं पक्षकार भी होते हैं, दोनों तरफ के अधिवक्ता भी होते हैं व न्यायाधीश की भूमिका में भी स्वयं होते हैं।

प्रश्न-पत्र में दी गई समस्या में मात्र घटना का वर्णन करके दे दिया जाता है तथा उससे आपको एक पूरी कहानी तैयार करनी पड़ती है तथा स्वयं साक्ष्य भी संकलित करना होता है। उसके उपरान्त निर्णय तैयार करना होता है।

अतएव आप यह कह सकते हैं कि विद्यार्थी/परीक्षार्थी के रूप में निर्णय पारित करना कठिन कार्य है, परन्तु निरन्तर अभ्यास व निर्णय के व्यवस्थापन को अर्थात् निर्णय करने की प्रक्रिया को यदि आप समझ लेते हैं, तो आप एक अच्छा निर्णय परीक्षार्थी के रूप में लिख सकते हैं एवं इन पुस्तक के माध्यम से यही प्रयास किया जा रहा है।

उ.प्र. न्यायिक सेवा के मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न-पत्र में निर्णय लेखन का प्रश्न आता है उसमें एक पूरी घटना का विवरण अंकित होता है और विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध होता है। परंतु जो विवरण उपलब्ध होता है वह बहुत संक्षिप्त होता है आपको उसी के आधार पर अपने प्रश्न-पत्र पूछे गए प्रश्न स्वयं की सोच के आधार पर निर्णय तैयार करना होता है।

इस पुस्तक के माध्यम से निर्णय लेखन की कला को संक्षिप्त किया गया है एवं मात्र परीक्षापयोगी बनाया गया है एवं निर्णय लेखन को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। जिससें परीक्षा में निर्णय करना आसान हो सके। निर्णय को दो भागों व विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है।

निर्णय के विभिन्न चरण

प्रथम भाग

पहला चरण जिस पेज पर आप निर्णय अंकित कर रहे हैं उस पेज के सबसे ऊपर न्यायालय का नाम अंकित करेंगे, अर्थात् जिस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा रहा है।

1. यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न में न्यायालय का नाम अंकित है, तो वही नाम लिखा जाएगा।
2. यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न में न्यायालय का नाम अंकित नही है, तो जिस राज्य की आप परीक्षा दे रहे हैं, उस राज्य के न्यायालय का नाम लिखें।
3. आपारधिक वादों में निर्णय पारित करते समय यह सुनिश्चित अवश्य करें कि संबंधित निर्णय किस न्यायालय द्वारा पारित हो सकता है।
4. आपराधिक वादों के विचारण के संबंध में दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है जिसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय व सेशन न्यायालय है, जो अपराधों के दण्ड की मात्रा व गम्भीरता के आधार पर विचारण का क्षेत्राधिकार निर्धारित करते हैं यहां उदाहरण के लिए कुछ धाराओं का वर्णन, किया जा रहा है तथा उनसे संबंधित न्यायालयों का नाम भी अंकित किया जा रहा है। जिससे कि परीक्षा में यह स्पष्ट हो सके कि उस मामले का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले-

भा.द.सं. की निम्न धाराओं में वर्णित अपराधों का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है- 121, 121-क, 122, 123, 124, 124-क, 125, 126, 127, 128,

130, 131, 132, 194, 195, 201, 222, 232, 234, 238, 240, 251, 255, 302, 303, 304, 304-ख, 305, 306, 307, 308, 311, 313, 314, 315, 316, 328, 329, 331, 333, 366, 361-क, 366-ख, 367, 371, 372, 376, 376-क, 376-ख, 376, 376-घ, 437, 438, 439, 450, 459, 460, 489-क, 489-ख, 489-ग, 489-घ

मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले -

भा.द.स. की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जिनके अंतर्गत वर्णित अपराधों का विचारण मजिस्ट्रेट न्यायात्यों द्वारा किया जाता है। 323, 324, 325, 326, 327, 336, 337, 338, 341, 342, 356, 379, 380, 392, 389, 394, 504, 506

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 8 से 23 के मध्य विभिन्न न्यायालयों का वर्गीकरण किया गया है, जिसकी जानकारी होनी आवश्यक है।
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची का अवलोकन भी आवश्यक है, जिसके कॉलम 6 में किस न्यायालय द्वारा विचारण होगा उसका जिक्र किया गया है।
7. यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय के रूप में यदि सेशन न्यायालय है, तो इसमें जनपद एवं सत्र न्यायालय, अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय तथा अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय (त्वरित न्यायालय) अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय) शामिल हैं।
8. इसी क्रम में कुछ विशेष अपराधों के विचरणों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है, जो सामान्यतः सेशन न्यायालय होते हैं उदाहरणार्थ अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित अपराधों के मामलें व लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण संबंधी मामलों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन है।
9. जिन अपराधों के विचारण न्यायालय का नाम कोई भी मजिस्ट्रेट अंकित है तो वहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट व महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय समझे जाएंगे।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग (जनपद का नाम)

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जनपद का नाम)

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (जनपद का नाम)

दूसरा चरण द्वितीय चरण में न्यायालय का नाम लिखने के बाद जिस व्यक्ति द्वारा निर्णय किया जा रहा है, उसका नाम पद के साथ लिखा जाएगा, परन्तु ध्यान रहे परीक्षा में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। बल्कि उसके स्थान पर क, ख, ग लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा में मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों में पीठसीन अधिकारी का नाम के साथ उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा शब्द जोड़ा

जाता है वहीं पर सेशन न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने वाले अधिकारी के साथ उच्चतर न्यायिक सेवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

पीठासीन अधिकारी का नाम श्री -----

1. उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा या
2. उच्चतर न्यायिक सेवा या
3. मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा या
4. बिहार न्यायिक सेवा

तीसरा चरण इस चरण में जिस आपराधिक मामले का निस्तारण कर रहे हैं, उसका वर्णन किया जाता है, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि निर्णय किस वाद में पारित हो रहा है।

वाद सं.
मु.अ.सं.
धारा
थाना
जनपद

यहां पर वाद संख्या व मु.आ.सं. को स्पष्ट करना आवश्यक है। जब थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जाती है, उसी समय थाने में एक नम्बर अंकित किया जाता है, जो कि मुकदमा अपराध संख्या (मु.अ.सं.) कहलाता है तथा जब आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा उस पर एक नम्बर अंकित किया जाता है, जिसे वाद संख्या कहते है। परीक्षा में थाना व जनपद का नाम काल्पनिक होगा, यदि वह परीक्षा में नहीं दिया गया है। यदि परीक्षा में नाम दिया गया है, तो वही नाम अंकित किया जाएगा।

चौथा चरण चतुर्थ चरण में हम मामले के पक्षकारों का नाम लिखते है-

(1) यदि आपराधिक वाद राज्य की तरफ से अर्थात् थाने में दर्ज कराया गया है, तो वादी मुकदमा के रूप में **राज्य शब्द** का नाम लिखते हैं।

(2) यदि मामला परिवाद पर आधारित होता है, तो परिवादी का नाम, पिता का नाम, उम्र, पता आदि का तथ्य अंकित किया जाता है।

(3) इसके उपरान्त दोनों ही स्थिति में **बनाम** शब्द का प्रयोग करते हैं।

(4) बनाम शब्द के बाद अभियुक्त या अभियुक्तगणों का पूरा वर्णन अंकित करेंगे।

राज्य या (परिवादी का नाम यदि परिवाद पर है)

बनाम

1- मोहन तिवारी पुत्र राम लखन 40 वर्ष
निवासी रामपुर

2- सोहन तिवारी पुत्र रामलखन उम्र 35 वर्ष
निवासी रामपुर
अभियुक्तगण

पांचवां चरण इस चरण में राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित अधिकारी व अभियुक्त की तरफ से उपस्थित अधिकारी का नाम लिखते हैं

श्री .....

राज्य सरकार की तरफ से

अभियुक्त की तरफ से उपस्थित श्री .....

छठा चरण इसके उपरान्त निर्णय लिखने वाले पृष्ठ पर बीच में ''निर्णय'' शब्द अंकित करते हैं। उपरोक्त दर्शित चरण सिर्फ हमारे परीक्षा की दृष्टि से सुविधा के लिए है। अब तक हमने निर्णय लेखा का एक भाग पूरा कर लिया है। उपरोक्त वर्णित सभी चरणों को हम एक साथ लिखते हैं, तो निम्न रूप दर्शित होता है।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जनपद का नाम)

2- पीठासीन अधिकारी ..... 1. उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा
2. उच्चतर न्यायिक सेवा
3. मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा
4. बिहार न्यायिक सेवा

वाद सं.
मु.अ.सं.
धारा
थाना
जनपद

राज्य या (परिवादी का नाम यदि परिवाद पर है) -----

बनाम

1. मोहन तिवारी पुत्र राम लखन 40 वर्ष
निवासी रामपुर

राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित श्री -----

अभियुक्त की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता श्री -----

निर्णय

द्वितीय भाग (निर्णय लेखन)

सातवां चरण निर्णय शब्द लिखने के बाद अधिकतम तीन से चार लाइनों में मामले के विषय में तथ्य लिखा जाता है अर्थात् हम किस विषय पर निर्णय पारित कर

रहे हैं।

अभियुक्तगण 1. 2. के विरुद्ध थाना ..... के पुलिस द्वारा धारा ..... में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

आठवां चरण उपरोक्त तथ्य के बाद अभियुक्तगण के ऊपर जो आरोप है, उसका संक्षिप्त कथन जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है, उसका उल्लेख करते हैं। इस भाग से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना क्या है अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या अंकित है।

परन्तु यह तथ्य ध्यान में रहे यह सुविधा मात्र न्यायाधीश को प्राप्त है। परीक्षा के दौरान आपके सामने मात्र एक समस्या दी गई होती है। अतएव उस समस्या के आधार पर घटना की उपधारणा करनी होगी तथा एक कहानी बनानी होगी। यह मात्र आप अभ्यास से ही कर सकते हैं।

नौवां चरण घटना के संक्षिप्त विवरण के बाद अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति एवं जमानत कराने के संबंध में तथ्य का वर्णन किया जाएगा एवं धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में तथ्य अंकित किए जाएंगे एवं इसी भाग में जिस घटना का आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है, उसका वर्णन किया जाएगा एवं अभियुक्त द्वारा यदि आरोप से इन्कार किया गया है, तो वह तथ्य भी समाहित किया जाएगा। उदाहरण के लिए .....

थाना श्यामापुर की पुलिस द्वारा बाद विवेचना अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध मु.अ.सं. 12/15 धारा 504 भा.द.सं. में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आए। उनके द्वारा अपनी जमानतें कराई गई (यदि अभियुक्तगण की जमानत नहीं हुई है, तो यह तथ्य अंकित किया जाएगा)। अभियुक्तगण को नकलें दी गई अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504 भा.द.स. का आरोप विरचित किया गया। उनके द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और विचारण की मांग की गई।

दसवां चरण इसके उपरान्त अब अभियोजन पक्ष को अपना मौखिक साक्षी प्रस्तुत करना होता है। अभियोजन साक्षी को अभियोजन साक्षी 1, 2, 3 से दर्शित करते हैं।

यहां यह तथ्य ध्यान में रखना है कि यदि किसी दस्तावेज को किसी साक्षी द्वारा साबित किया जाता है, तो उस पर **प्रदर्श-क संख्या** के साथ डाला जाता है।

उदाहरण के लिए- वादी मुकदमा जब न्यायालय में उपस्थित आता है, तो वह पत्रावली में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट देखकर उसकी पहचान करता है, तो उस पर प्रदर्श-क 1 डाला जाता है।

इसके बाद के प्रपत्रों पर क्रमशः उसे साबित करने वाले अधिकारी की तरफ से प्रदर्श डाले जाते हैं।

उदाहरण के लिए

1- चिक एफ.आई.आर.- हेड मोहर्रिर द्वारा साबित

2- आरोप-पत्र, नक्शा नजरी-विवेचक द्वारा

3- चिकित्सीय प्रमाण-पत्र- संबंधित चिकित्सक द्वारा

अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी सं.1 के रूप में श्री बलराम कुमार साक्षी सं.2 के रूप में सोहनराम साक्षी सं.3 डॉ. राम कुमार के रूप में साक्षी सं.4 विवेक बलवीर को परिलक्षित कराया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत

साक्षी नं.-1 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श-1

साक्षी नं.-2 ने चिकित्सीय रिपोर्ट पर प्रदर्श-2

साक्षी नं.-3 ने चिक एफ.आई.आर., नक्शा, नजरी व आरोप पत्र पर क्रमशः प्रदर्श नं.-3, नं.-4 नं.-5 डालकर प्रमाणित किए।

यदि वादी की तरफ से कोई वस्तु प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर उस व्यक्ति की तरफ से प्रदर्श डाले जाते हैं जिसके दौरान मुकदमा संकलित किया है, या दिया है, ऐसे वस्तु पर वस्तु प्रदर्श संख्या डाला जाता है। जैसे

- घटना में प्रयुक्त वाहन
- घटना में प्रयुक्त हथियार
- जली साड़ी
- जले कपड़े आदि

यहां यह ध्यान रखना है कि इस भाग में हमें यह नहीं लिखना है कि साक्षियों ने क्या-क्या कहा है, चूंकि हम परीक्षार्थी के रूप में निर्णय लिख रहे हैं। अतएव आपका निर्णय संक्षिप्त व सारगर्भित होना चाहिए।

इस भाग का उदाहरण

ग्यारहवां चरण इस चरण में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समाप्त होने के बाद अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में किए गए कथनों का जिक्र करते हैं।

धारा 313 द.प्र.सं. के बयान में अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई गवाही के संबंध में अपना कथन किया जाता है एक अपने बचाव का आधार लिया जाता है तथा इस बाबत की अभियुक्त द्वारा न्यायालय को अवगत कराया जाता है कि वह अपने बचाव में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करेगा या नहीं। धारा 313 द.प्र.सं. का एक मॉडल इस पुस्तक के अंत में है।

उदाहरण- अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का

बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा साक्षियों के बयान को झूठा होना बताया तथा घटना से इन्कार किया एवं अपने बचाव में साक्ष्य दिए जाने का कथन किया गया।

बारहवां चरण इस भाग में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्यों का वर्णन किया जाता है। अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत साक्षी को बचाव साक्षी सं. 1, 2, 3 के रूप में दर्शित किए जाएंगे।

तेरहवां चरण इस चरण में उभय पक्षों की तरफ से साथ समाप्त होने के बाद बहस सुनी जाती है एवं इस तथ्य का निर्णय समावेश किया जाता है। उभयपक्षों के बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

चौदहवां चरण इसके उपरान्त अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर जो आरोप लगाए गए हैं उस संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं तथा उन साक्षियों से जो जिरह की गई है उसके उपरान्त। निष्कर्ष निकला है उसका विश्लेषण किया जाता है।

यह विश्लेषण आप द्वारा जो कहानी या परीक्षा में दिए गए प्रश्न के आधार पर उपधारणा की जाती है। यह विश्लेषण हर वाद में प्रस्तुत साक्ष्य पर निर्भर होता है।

पन्द्रहवां चरण उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय दो मत पर पहुंचती है। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों से या तो अभियुक्तगण निर्दोष साबित होंगे या दोषसिद्ध होंगे। दोनों स्थितियों में आदेश भिन्न-भिन्न होते है

1- निर्दोष होने पर- उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतएव अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

(2) यदि उपरोक्त विश्लेषण अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध साबित हुआ पाया जाता है, तो उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं एवं आज न्यायालय में उपस्थित हैं। अतएव उनके जमानत नामें व बंध-पत्र निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

सोलहवां चरण अभियुक्तण के दोषसिद्ध होने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश पारित करने के बाद तुरंत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक का अंकन होगा।

दिनांक

(नाम)

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

सत्रहवां चरण दोषसिद्ध किए गए अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना जाएगा। यह एक आवश्यक प्रावधान है। इसमें अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता न्यूनतम दण्ड का एवं अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिकतम दण्ड देने का अनुरोध किया जाता है। या अभियुक्त पक्ष की तरफ से कुछ और तर्क दिए जा सकते हैं।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा यह कथन किया गया कि यह अभिक्तगणों का प्रथम अपराध है तथा वे बहुत गरीब हैं अतएव उन्हें न्यूनतम दण्ड देने की कृपा करें। (2) अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है अतएव उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देते हुए रिहा कर दिया जाए। अभियोजन पक्ष की तरफ से इसका घोर विरोध किया गया एवं अधिकतम दण्ड का अनुरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया कृत्य गम्भीर प्रकृति का है तथा उन्हें कठोर दण्ड दिये जाना न्यायोचित होगा।

या

यदि न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने का निश्चय किया जाता है, तो

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना उनके द्वारा यह कथन किया गया कि (1) अभियुक्तगणों का यह प्रथम अपराध है तथा वे बहुत गरीब हैं अतएव उन्हें न्यूनतम दण्ड देने की कृपा करें। (2) अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है अतएव उन्हें परिवीक्षा के प्रावधानों का लाभ देते हुए रिहा कर दिया जाए। आभियोजन पक्ष की तरफ से इसका घोर विरोध किया गया एवं अधिकतम दण्ड देने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्षों को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के उपरान्त न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्तगण को तत्काल दण्डित करने के स्थान पर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए 1 वर्ष के सदाचरण के परिवीक्षा पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा।

अठारहवां चरण इस खंड के बाद न्यायाधीश का हस्ताक्षर होगा।

दिनांक

(नाम)

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

उन्नीसवां चरण इसके उपरान्त दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का आदेश अलग से पारित किया जाता है।

1. दोषमुक्ति का आदेश

आदेश

मु.अ.सं. ..... धारा ..... थाना .....
संबंधित अभियुक्तगण ..... पुत्र ..... को दोषमुक्त किया जाता है। जमानतनामा व बंध-पत्र निरस्त किया जाता है।
दिनांक

(नाम)
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित करके न्यायालय में उद्घोषित किया गया।
दिनांक

(नाम)
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(2) **आदेश**

मु.अ.सं. ..... धारा ..... थाना .....
से संबंधित अभियुक्तगण को धारा में दोषसिद्ध किया जाता है।
अभियुक्तगण धारा ..... दिन का कारावास ..... धारा ..... के लिए दिन का कारावास व जुर्माना करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर 3 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा को
दिनांक

(नाम)
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बीसवां चरण निर्णय के सबसे अंतिम भाग में, चाहे वह निर्णय दोषसिद्धि का हो या दोष मुक्ति का हो निम्न तथ्य अकिंत किए जाते हैं।
उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक

पीठासीन अधिकारी का नाम
न्यायालय का नाम
जनपद का नाम

*****

अध्याय-6
आपराधिक वादों से संबंधित निर्णय के मॉडल

1. **परिवाद पर आधारित मामला जिसमें आपराधिक दुर्विनियोग का आरोप हैः-**

प्रश्नगत मामले में परिवादी व अभियुक्तगण के मध्य अच्छे संबंध थे। अंभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उसने परिवादी द्वारा दिए गए धनराशि को बैंक में जमा नही किया। बाद में परिवादी द्वारा पूछने पर उसे मारा-पीटा तथा जान से मारने की धमकी दिया। परिवादी ने अपने मामले के समर्थन में साक्षी सं. 1 के रूप में रामकुमार, साक्षी सं. 2 गंगादीन व समीक्षा 3 परदेशी को परिक्षित कराया। उक्त घटना के आधार पर निर्णय तैयार किया गया है।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद का नाम...

उपस्थितः- पीठासीन अधिकारी का नाम, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा

परिवाद संख्या...

रामकुमार पुत्र लालबिहारी उम्र करीब 70 वर्ष...

निवासी मौजा-रामपुर, मुहल्ला बरगदवां, थाना संबंधित थाना, जनपद जनपद का नाम... ------परिवादी

बनाम

1- रामेन्द्र पुत्र लक्खीचन्द्र उम्र 33 वर्ष

निवासीगण मौजा-रामपुर, मुहल्ला बरगदवां, थाना (संबंधित थाना) (जनपद का नाम...) -------अभियुक्तगण

धारा-406,323 भारतीय दण्ड संहिता

थाना-का नाम... जनपद का नाम...

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद पर अभियुक्त रामेन्द्र का धारा-406,323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत विचारण किया गया।

परिवादी का संक्षेप में कथन यह है कि विपक्षी परिवादी के घर आते-जाते थे तथा परिवादी का उनसे काफी मधुर संबंध था और परिवादी विश्वास करके विपक्षी से कहा कि मेरे पास कुछ रुपया है, जिसे चलकर बैंक में जमा करवा दीजिए। परिवादी, विपक्षी को लेकर

दिनांक-27.03.2017 को समय करीब 11.00 बजे दिन भारतीय स्टेट बैंक, घोड़हवा गया तथा दो लाख रुपये खाते में जमा करने के लिए दिया, विपक्षी ने परिवादी का पैसा लेकर रसीद पर अपना हस्ताक्षर बनाकर मात्र डेढ़ लाख रुपये परिवादी के खाते में जमा कर दिए, परिवादी ने बैंक कर्मी से पूछा, तो बैंक कर्मचारी ने बताया कि आपके खाते में मात्र डेढ़ लाख रुपये जमा किए हैं। परिवादी ने विपक्षी से इस बाबत कहा तो विपक्षी ने बहन की गाली-गुप्ता देते हुए मारने-पीटने लगे और कहा कि तुमको धोखा देकर पचास हजार रुपये तुम्हारा मैंने ले लिया। तुम्हारा रुपया हड़प लेगें जो करना है जाओ करो, शोर पर अन्य लोग इकट्ठा हो गए तथा बीच-बचाव किए।

परिवादी ने घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दी तथा पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से दिया पुलिस से न्याय की उम्मीद न पाकर परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया।

परिवादी द्वारा परिवाद कथन के समर्थन में धारा-200, 202 दं.प्र.सं. के तहत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर, उक्त अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा-406,323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पाए जाने पर, उन्हें उक्त धाराओं में आहूत किया गया।

अभियुक्त को आहूत किया गया अभियुक्त उपस्थित आया और अपनी जमानत कराया। धारा-244 दं.प्र.सं. के तहत परिवादी ने स्वयं बतौर पी.डब्लू.यू.-1, पी.डब्लू.यू.-02 गंगादीन एवं पी.डब्लू.यू.-03 परदेशी को परीक्षित कराया। साक्षियों के आधार पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप दिनांक-13.06.2016 को धारा-406,323 भा.द.सं. के तहत विरचित किया गया अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

दं.प्र.सं. की धारा-246 के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को बतौर पी.डब्लू.-1 गंगादीन को बतौर पी.डब्लू.यू.-02 एवं परदेशी को बतौर पी.डब्लू.यू.-03 परीक्षित कराया है और उसके द्वारा यह कहा गया कि उसे अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराना है। ऐसी स्थिति में उसके साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली धारा-313 दं.प्र.सं. में नियत हुई।

अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने सफाई देने से इन्कार किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या परिवादी, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा-406,323 भा.द.सं. को युक्ति-युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है एवं प्रश्नगत प्रकरण में परिवादी को यह स्थापित करना होगा कि उसने दो लाख रुपया अभियुक्त को दिया था तथा उससे अनुरोध किया था कि वह बैंक चलकर के वह पैसा जमा कर दे जिस पर अभियुक्त द्वारा मात्र डेढ़ लाख रुपया जमा कर दिया एवं पचास हजार रुपये का गबन कर लिया गया एवं बाद परिवादी के साथ मार-पीट किया।

परिवाद के कथनानुसार, उक्त अभियुक्त घटना के दिन परिवादी को मारा-पीटा तथा

पचास हजार रुपये हड़प लिया व जान से मारने की धमकी दिया।

परिवादी के तरफ से कथन के समर्थन में दं.प्र.सं. की धारा-244 के तहत परिवादी स्वयं, गंगादीन व परदेशी को परीक्षित कराया एवं धारा-246 दं.प्र.सं. के तहत परिवादी व साक्षी गंगादीन एवं परदेशी को परीक्षित कराया।

परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 246 द.प्र.स. में बताया किः-

''मेरे चार लड़के हैं सारे लड़के अलग-अलग रहते हैं, मेरा खाता पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक में है। भारतीय स्टेट बैंक के खाते में रामेन्द्र ने 1,50,000/- रुपये डाला था जब से वह खाता खुला है तब से मेरे लड़कों ने दस हजार से अधिक की धनराशि जमा किया था मैंने नहीं किया है। भारतीय स्टेट बैंक के खाते का संचालन मैं करता हूँ, मेरे पास चार बीघा जमीन थी अब मेरे पास तीन बीघा जमीन है, मैं खेत बेचा हूं परन्तु किसको-किसको बेचा हूं मैं नहीं बता सकता हूं, मैंने तीन बैंक से लोन लिया है। बैंक है। घटना 12 बजे हुई थी मैं रामेन्द्र के साथ उस दिन बैंक में पैसा जमा करवाने के साथ गया था, जिस समय रामेन्द्र 1,50,000/- रुपया मेरे खाते में जमा करने गए थे। घटना के बाद से स्टेट बैंक में मैंने कोई पैसा जमा नही किया था।

परिवादी की तरफ से प्रस्तुत साक्षी संख्या-02 परदेशी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 246 भा.द.सं. में बताया किः-

''मैं गवाही देने आया हूं कोई गवाही के लिए बुलाने नहीं गया था परिवादी ने मुझे बताया था कि आज गवाही है, तो मैं आया हूं मैं इस न्यायालय में पहली बार गवाही देने आया हूं केवल इसी मुकदमे में गवाही देने आया हूं किसी दूसरे में गवाही नहीं दिया हूं मैं किसी पार्टी का नही हूं। घटना के दिन मैं बैंक में था मैं उस बैंक पर अपना खाता जॉच कराने गया था बैंक पर पैसा जमा कराने दोनों गए थे। परिवादी घर से बैंक की दूरी एक किलोमीटर होगी थाने से घटनास्थल की दूरी लगभग 100 मीटर दूर है। बैंक पर मेरे सामने ही पैसा जमा करने को दिया था।

परिवादी की तरफ से प्रस्तुत साक्षी संख्या-03 गंगादीन ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 246 भा.द.सं. में बताया किः-

''मैं घटना के दिन बैंक गया था दो लोगों का कार्य था इस नाते मैं बैंक गया था दोनों लोगों का नाम एक राजपति एवं एक का नाम लक्ष्मण था, बैंक में खाता खोलना था उसी दिन उनका खाता खुला, उन लोगों का खाता ''भारतीय स्टेट बैंक शाखा घोड़हवा में खुला था'' वहीं पर विवाद हो रहा था। परंतु मैं यह नहीं जानता कि विवाद कितने पैसे का था। फिर इस साक्षी ने अपने जिरह दिनांक-03.12.2016 में कथन किया कि ''लम्बी कतार में खड़े होकर खाता खुलवाये थे। यह कहना गलत है कि परिवादी और मैं बौद्धिक हूं इसलिए मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।''

प्रश्नगत मामले में परिवादी के तरफ से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्यों के आधार पर परिवादी व उसके परिवाद-पत्र का विश्लेषण करना होगा। परिवादी की तरफ से प्रस्तुत दोनों

साक्षियों के मुख्य कथन अन्तर्गत धारा-244 सी.आर.पी.सी. के अनुसार, वे परिवादी के साथ ही गए जबकि वे भी बैंक पर अपने कार्य से गए थे और दोनों साक्षी परिवादी के हितबद्ध व साथी हैं क्योंकि दोनों ने स्वीकार किया है कि वे परिवादी से जुड़े हैं। जो साक्षी संख्या-02 ने अपने जिरह अन्तर्गत धारा-246 सी.आर.पी.सी. में बताया है कि बैंक पर पैसा जमा कराने दोनों गए थे, जबकि परिवादी ने अपने जिरह अन्तर्गत धारा-246 सी.आर.पी.सी. में यह कथन किया है कि मैं उस दिन बैंक में पैसा जमा करवाने अभियुक्त के साथ गया था स्वयं परिवादी के कथनों व साक्षी संख्या-02 के कथनों में पर्याप्त विरोधाभाष है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि परिवादी साक्षी संख्या-02 परदेशी मौके पर नहीं था तथा वह मात्र परिवादी को लाभ पहुॅचाने के लिए गवाही दे रहा है जिसके लिए उसके विरुद्ध धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना समीचीन है।

परिवादी साक्षी संख्या-03 द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में पैसे के लेन-देन के विषय में किसी जानकारी के होने से इन्कार किया है इसने मात्र झड़प होने का कथन किया है।

परिवादी भुलई ने अपने परिवाद-पत्र में यह कथन किया है कि उसके पास दो लाख रुपया था जिसे वह बैंक में जमा करने के लिए अभियुक्त को दिया तथा अभियुक्त ने बैंक का कागज भरकर मात्र डेढ़ लाख रुपया जमा कर दिया एवं पचास हजार रुपया का गबन कर लिया। परिवादी द्वारा अपने पूरे परिवाद-पत्र में यह कथन कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है कि उसने इससे पहले किसी और व्यक्ति से कभी भी पैसा जमा नहीं कराया था। यह दायित्व परिवादी पर था कि वह यह स्थापित करता कि किन परिस्थितियों में उसने अभियुक्त के माध्यम से पैसा जमा कराया था, जबकि उसके तरफ से जो साक्षी प्रस्तुत किए गए हैं उन्होंने परिवादी के कथनों का समर्थन नहीं किया है। बैंक मे जमा की रसीद व बैंक कर्मचारी को भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में परिवाद-पत्र के समर्थन में परिवादी व उसके साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि परिवादी द्वारा एक कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को झूठे मुकदमें में फंसाने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया एवं झूठा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि अभियोजन/परिवादी पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा-406,504 भा.द.सं. को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुए दोष-मुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रामेन्द्र को धारा-406,504 भा.द.सं. के अन्तर्गत अपराध के आरोप से दोष-मुक्त किया जाता हैं। अभियुक्त जमानत पर है, उनके बन्ध-पत्र व जमानतनामा निरस्त करते हुए प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है।

इस निर्णय एवं आदेश की प्रतिलिपि धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रकीर्ण

पत्रावली पर रखी जाए।

दिनांक : 18.10.2017 (---------)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद का नाम...

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक : 18.10.2017 (---------)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद का नाम...

2- **उप-जिलाधिकारी द्वारा शांतिभंग की दशा में पारीत आदेश के पुनरीक्षण का निर्णयः-**

उप-जिलाधिकारी द्वारा व.प्र.स. की धारा 107, 116 के तहत पारित आदेश के अपील का आदेश

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-2, जनपद का नाम...

उपस्थित-पीठासीन अधिकारी का नाम .....उच्चतर न्यायिक सेवा

आपराधिक अपील संख्या-29/2011

हरेन्द्र सिंह पुत्र रामदुलारे सिंह

निवासी-ग्राम डिगही,थाना-कोतवाली रामपुर, जनपद का नाम...

.....अपीलार्थी

बनाम

1- उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

निर्णय

1- प्रस्तुत आपराधिक अपील उप-जिला मजिस्ट्रेट रामपुर द्वारा दाण्डिक वाद संख्या-852 अन्तर्गत धारा-107/116 द.प्र.सं. थाना-रामपुर जनपद का नाम राज्य बनाम बेचई वगैरह में दिनांक-02.08.2011 को पारित आदेश के विरुद्ध संस्थित की गई है। आलोच्य आदेश द्वारा योग्य उप-जिला मजिस्ट्रेट, जिला ने धारा-107/116 द.प्र.सं. के मामले में अपीलार्थी एवं उनके जमानतदारों द्वारा दाखिल व्यक्तिगत बन्ध-पत्र जब्त करते हुए जमानत धनराशि मुव. 25,000-25,000 रु. प्रत्येक से वसूलने का आदेश पारित किया गया है।

2- इस प्रकारण के तथ्य जो अवर न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है, इस प्रकार है कि दिनांक 17-01-2011 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के चालानी रिपोर्ट के आधार पर धारा-107/116 द.प्र.सं. डिगही के मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध उभय पक्षो के मध्य चुनावी व जमीन की रंजिश को शांति भंग एवं संज्ञेय अपराध किए जाने की प्रबल सम्भावना के आधार पर प्रारंभ की गई। इस चालानी रिपोर्ट के आधार पर दिनांक-28-01-2011 को पारित आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता को अन्तगर्त धारा 111 द.प्र.सं. की नोटिस जारी की गई और अभियुक्त द्वारा दिनांक 11-02-2011 को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत कराया तथा प्रत्येक द्वारा 25,000-25,000 रु. का जमानतदार तथा उतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल किया गया । इसके बाद संबंधित थाना प्रभारी की रिपोर्ट दिनांक 04-04-2011 के अनुसार, उपरोक्त अभियुक्त ने दिनांक 11-03-2011 को ग्राम डिगही में हत्या, मारपीट, आगजनी की घटना कारित की जिसके आधार पर स्थानीय थाना पर मुकदमा अपराध संख्या-301/2011 धारा-307,302 भारतीय दण्ड संहिता एवं मुकदमा अपराध संख्या-302/2011 धारा-147,148,149,436,307,302,506,396,427 भा.द.सं. एवं धारा-7 क्रिमिनल ला एक्ट तथा मुकदमा अपराध संख्या-303/2011 धारा-147,332,335,336 भा.द.सं. एवं धारा-7 क्रिमिनल ला ऐक्ट पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त अभियुक्त के कृत्य से अत्यन्त बड़े पैमाने पर शांतिभंग किया गया है। आस-पास के गांवों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। इस प्रकार इस अभियुक्त ने दिनांक 11-02-2011 को न्यायालय में दिए गए बन्ध-पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया तथा जमानतदार भी शांतिभंग बनाए रखने के कर्तव्य में विफल रहे। इस रिपोर्ट के आधार पर जमानत और बन्ध-पत्र का धनराशि अभियुक्त एवं जमानतदारों से वसूल करने का कारण बताओ नोटिस दिनांक-06-04-2011 को जारी किया गया। इस आदेश के बाद पत्रावली बहस में नियत की गई और दिनांक-02-08-2011 को अन्तिम रूप से जमानतदार से जमानत की धनराशि व अभियुक्त से बन्ध-पत्र की धनराशि की वसूली का आदेश पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील संस्थित की गई है।

3- अपील का यह आधार है कि विद्वान उप-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्राविधान का सम्यक् रूप से अवलोकन न कर विधिक मंशा के विपरित आदेश दिनांक 02-08-2011 पारित किया है, जो एक विधि विरुद्धआदेश है। अपीलार्थी द्वारा विद्वान उप-जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा-107/116 द.प्र.सं. की कार्यवाही के दौरान प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित करने व होने हेतु जमानत बन्ध-पत्र व व्यक्तिगत बन्ध-पत्र दिनांक 11-02-2011 को दाखिल किया गया था। अपीलार्थी द्वारा दाखिल जमानत बन्ध-पत्र व व्यक्तिगत बन्ध-पत्र धारा-117 द.प्र.सं. के प्राविधान में प्रस्तुत जमानत बन्ध-पत्र व व्यक्तिगत बन्ध-पत्र कत्तई नहीं है ऐसी स्थिति में कोई अपराध घटित हो जाने के पश्चात न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित

होने वाला जमानत बन्ध-पत्र व व्यक्तिगत बन्ध-पत्र में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया जाएगा। अपीलार्थी द्वारा धारा-107,116 द.प्र.सं. में जमानत कराने के पश्चात कत्तई कोई शांति भंग नहीं किया गया है न ही आपीलार्थी के प्रति कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है, जो उप-जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 02.08.2011 से भी स्पष्ट है कि तथा यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पति जमानतदार हैं, जिससे भी स्पष्ट है कि विद्वान उप-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांक-02.08.2011 विधि विरुद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है। याचना की गई है कि अपील स्वीकार कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाए।

4- उक्त पदों के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

5- धारा-107 द.प्र.सं. के अन्तगर्त जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि सम्भाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे सम्भाव्यतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष में अनधिक कि इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए उसे प्रतिभूओं सहित या रहित बन्ध-पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि धारा-111 द.प्र.सं. यह प्राविधानित करता है कि ऐसी नोटिस के साथ मजिस्ट्रेट को प्राप्त इत्तिला का सार, उस बन्ध-पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है और अवधि अंकित करते हुए लिखित आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा। नोटिस पर संबंधित व्यक्ति के उपस्थित होने पर धारा-116 द.प्र.सं. के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच की जाएगी और यह जांच सम्मन मामलो के विचारण की भांति किया जाएगा ऐसी जांच आरंभ की अवधि से 6 माह के अन्दर पूरी की जाएगी और यदि जांच कार्यवाही प्रारंभ होने के 06 माह तक समाप्त नहीं की जाती है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर संपूर्ण कार्यवाही पर्यवसित हो जाएगी जब तक विशेष कारणों के आधार पर जो लेखबद्व किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं करता है।

6- उपरोक्त प्राविधानों के आलोक में अवर न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन करने से विदित होता है कि नोटिस अन्तर्गत धारा-111 द.प्र.सं. विधि अनुरूप नहीं है क्योंकि उसमें कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस कारण नोटिस दिया गया है और कार्यवाही भी 6 माह के भीतर समाप्त नहीं की गई है। बल्कि आलोच्य आदेश कार्यवाही प्रारंभ होने के 6 माह के बाद पारित की गई है। दिनांक-28-01-2011 को अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी की गयी है। अपीलार्थी उपस्थित हो

गए और आपत्ति दाखिल किए। इसके बाद विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 02-08-2011 को आदेश पारित किया गया। जबकि उपरोक्त प्राविधान के अनुसार, धारा-107 द.प्र.सं. की संपूर्ण कार्यवाही दिनांक-28-07-2011 के बाद स्वतः पर्यवसित हो चुकी थी क्योंकि दिनांक-28-01-2011 को कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद कार्यवाही का समापन दिनांक-28-07-2011 तक हो जाना चाहिए था और यदि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझते कि अग्रतेर 6 माह कार्यवाही लम्बित रखता है तो इसका समुचित कारण उल्लेख करते हुए लिखित आदेश पारित करना चाहिए था। दिनांक 28-07-2011 के बाद पत्रावली पर ऐसा कोई भी आदेश नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने जांच का समय परिवर्धन का कोई आदेश पारित किया है। आदेश-पत्र के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 11-02-2011 के बाद तिथि दिनांक 04-03-2011 तिथि नियत की गई उसके बाद दिनांक 06-04-2011 प्रभारी निरीक्षक कोतवाली झुन्नीबारी की रिपोर्ट के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने बन्ध-पत्र की धनराशि वसूली हेतु नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। दिनांक 29-07-2011 को अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दिनांक 02-8-2011 को आलोच्य आदेश पारित करते हुए बन्ध-पत्र की धनराशि की वसूली का आदेश पारित किया गया।

7- अवर न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा दाखिल मुचलका उपलब्ध है, जिसके परिशीलन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अवर न्यायालय के समक्ष अथवा सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिए 25,000 रु. (पच्चीस हजार रुपये) का बन्ध-पत्र निष्पादित किया है वास्तव में यह बन्ध-पत्र धारा-120 द.प्र.सं. के अनुरूप नहीं है। इसके बावजूद विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इन बन्ध-पत्रों को स्वीकार किया गया है। प्रश्नगत बन्ध-पत्रो के परिशीलन से केवल यहीं प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु बन्ध-पत्र दाखिल किया था । आदेश-पत्र के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में उपस्थित होने में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है। यदि बन्ध-पत्र हाजिरी के लिए थे और अपीलार्थी द्वारा हाजिरी में कोई व्यतिक्रम नहीं किया गया, तो मजिस्ट्रेट द्वारा किन आधारो पर उनसे वसूली का आदेश पारित किया गया, यह अनुत्तरित रह जाता है। इससे स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया गया है।

8- जांच कार्यवाही 6 माह के अन्दर समाप्त नहीं की गई है। अतः संपूर्ण कार्यवाही अवैध हो जाती है। माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा सोना खान बनाम राज्य, ए.आई.आर. 1981 एन.ओ.सी.30, उड़ीसा एवं भगवान प्रधान बनाम जय राम मोहन्ती 1995 क्रि.ला. जरनल 607, उड़ीसा एवं पटना उच्च न्यायालय द्वारा कृष्ण देव सिंह बनाम राज्य 1985 क्रिमिनल ला जरनल 1763 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा-107 द.प्र.सं. के अन्तर्गत जांच की कार्यवाही 6 माह के अन्दर समाप्त कर लिया

जाना चाहिए। प्रस्ततु मामले में नोटिस के माध्यम से कार्यवाही दिनांक 28-01-2011 को प्रारंभ की गई है और आलोच्य आदेश दिनांक 02-8-2011 को पारित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से वैधानिक अवधि के उपरान्त पारित किया गया है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध है।

9- यदि अपीलार्थी को जारी नोटिस अन्तर्गत धारा-111 द.प्र.सं. का परिशीलन किया जाए तो यह विदित होता है कि नोटिस एक छपे हुए प्रारूप पर है। इस नोटिस में कार्यवाही का कोई आधार अंकित नहीं है केवल यह छपा हुआ है कि दोनों पक्षों के बीच रंजिश इतनी बढ़ गयी है कि किसी भी समय शांतिभंग हो सकती हैं। यह रंजिश किस प्रकार की है, इसका उल्लेख नोटिस में नहीं है। जब कि जो चालानी रिपोर्ट थाने से दाखिल की गई है उसमें चुनावी व जमीनी रंजिश को आधार बनाया गया है। यह नोटिस विधि विरुद्ध है।

10- नोटिस अन्तगर्त धारा-111 द.प्र.सं. जो विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी किया गया है, उसमें रुपये 15,000 की दो जमानतें और उतनी ही धनराशि की व्यक्तिगत बन्ध-पत्र का उल्लेख किया गया है जब कि जो मुचलके अपीलार्थी से दाखिल कराए गए हैं, वह रुपये 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) के लिए दाखिल कराये गये है। मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा कोई भी आदेश पत्रावली पर नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा 15,000 रु. के स्थान पर 25,000 रु. का बन्ध-पत्र निष्पादित कराया गया। इस बिन्दु पर भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों के विपरीत की गई है। उल्लेखनीय है कि आदेश दिनांक 06-04-2011 में कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को जारी किया गया है। वह इस आशय से की गई है कि अपीलार्थी ने जमानत/बन्ध-पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया है। जबकि धारा-122 द.प्र.सं. का प्राविधान यह उपबन्ध करता है कि जहां कोई व्यक्ति धारा-106 या 117 द.प्र.सं. के अधीन नियत तिथि पर या उससे पूर्व प्रतिभूति दाखिल नहीं करता है तब प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर उसे कारावास प्रति प्रेषित किया जाएगा। इस मामले में धारा-107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रतिभूति दाखिल करने का कोई आदेश अपीलार्थी को नही दिया गया है, इसके बावजूद विद्वान अवर न्यायालय द्वारा धारा-122 द.प्र.सं. का अवलम्बन लेते हुए दिनांक-06-04-2011 को आदेश पारित किया गया है जो विधि, विरुद्ध है।

11- इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 02-08-2011 विधि विरुद्ध है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा पारित दाण्डिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार किया जाता है। विद्वान उप-जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा

पारित आलोच्य आदेश दिनांक 02-08-2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय एवं आदेश की प्रतिलिपि सहित अवर न्यायालय की पत्रावली यथाशीघ्र अवर न्यायालय को वापस भेजी जाए।

दिनांक-29.03.2018 (पीठासीन अधिकारी का नाम)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-2,
जनपद का नाम...

निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक-29.03.2018 (पीठासीन अधिकारी का नाम)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-2,
जनपद का नाम...

3. परिवाद पर आधारित मामला जिसमें दहेज मांगने व क्रुरता से संबंधित निर्णयः-

अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद पर अभियुक्तगण को धारा 498ए, 323, 504, भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिरोध अधिनियम में पारित तलबी आदेश के विरुद्ध दाखिल निगरानी का आदेश।

मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिवाद पर अंकितगण को तलब किए जाने के बाद उक्त आदेश का पुनरीक्षण का आदेश-

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,(त्वरित न्यायालय-02) जनपद का नाम।

उपस्थित : पीठासीन अधिकारी का नाम, एच.जे.एस.,

दाण्डिक निगरानी संख्या-10/2017

1- कमलेश पुत्र जगदीश उम्र करीब 33 वर्ष
2- जगदीश पुत्र लालचन्द्र उम्र करीब 55 वर्ष
3- सुभावती पत्नी जगदीश उम्र करीब 51 वर्ष
4- मनोरमा देवी पत्नी राजेश उम्र करीब 31 वर्ष

साकिन्नान मौजा-परतावल बाजार, थाना श्यामापुर, जनपद का नाम...

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1- उत्तर प्रदेश सरकार
2- रीता देवी उम्र करीब 24 वर्ष पुत्री बृजराज पत्नी कमलेश
साकिन, थाना श्यामापुर, जनपद का नाम...

.....विपक्षीगण

निर्णय

1- प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, दाण्डिक परिवाद संख्या-0089/2015 रीता देवी बनाम कमलेश वगैरह, धारा-498ए.,323,504 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना, जिला, में अभियुक्तगण को तलब किए जाने के आदेश दिनांकित-24.08.2016 के विरुद्ध संस्थित की गई है। आलोच्य आदेश के द्वारा योग्य अवर न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्तागण तथा तीन अन्य को जांच प्रक्रिया के उपरान्त उनके विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या दाण्डिक मामला अन्तर्गत धारा-323,504,498ए. भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पाते हुए उन्हें विचारण हेतु आहूत किया है।

2- इस प्रकरण के निस्तारण के लिए आवश्यक तथ्य, जो अवर न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होते हैं, इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या-02 रीता देवी परिवादी ने कमलेश, राजेश, जगदीश, सुभावती, मनोरमा देवी के विरुद्ध अवर न्यायालय के समक्ष परिवाद इन तथ्यों के साथ दाखिल किया कि परिवादी की शादी अर्सा करीब 7 साल पूर्व हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक विपक्षी कमलेश पुत्र जगदीश के साथ हुई थी और विदा होकर अपने पति के साथ उनके घर गई और हक जौजियात अदा करने लगी, शादी में उसके पिता अपने हैसियत के मुताबिक दान-दहेज, जेवर, कपड़ा, बर्तन, मेज, कुर्सी, पलंग आदि सारा सामान दिए थे तथा नकद एक लाख रुपया देने के बावजूद परिवादिनी के पति कमलेश, ससुर राजेश व ससुर जगदीश, सास सुभावती देवी व जेठानी मनोरमा देवी खुश नहीं थे और कहते थे कि तुम्हारा पति बेरोजगार है, तुम्हारे पिता के पास खेती-बारी है उनसे एक लाख रुपया ले आओं ताकि तुम्हारा पति कोई रोजगार करे नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और बात-बात पर प्रताड़ित करते थे तथा ताना मारते थे, परिवादिनी उपरोक्त सारी बातें अपने माता-पिता-भाई व सगे संबंधियों से कहा करती थी, दिनांक 15 जनवरी, 2015 को समय करीब 8.00 बजे रात उपरोक्त मुल्जिमान गाली-गुप्ता, घुड़की-धमकी देते हुए मार-पीट कर गम्भीर रूप से घायल करके कमरे में बन्द करके सादे कागज पर दस्तखत बनवा लिए तथा सारे जेवर, कपड़े रखवा लिए और एक अनजान आदमी के साथ टैम्पों से परिवादिनी के माता-पिता के घर पहुंचवा दिए। परिवाद दाखिल करने के उपरान्त योग्य अवर न्यायालय द्वारा परिवादिनी का बयान अन्तर्गत धारा-200 सी.आर.पी.सी. तथा गवाहान सुरेश तथा बृजराज का बयान अन्तर्गत धारा-202 सी.आर.पी.सी. अंकित किया गया। योग्य अवर न्यायालय ने परीक्षित गवाहान तथा दाखिल किये गये प्रलेखों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या आपराधिक मामला अन्तर्गत धारा-323,506,498ए0 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पाते हुए आलोच्य आदेश के माध्यम से उन्हें विचारण हेतु आहूत किया, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्तगण कमलेश, जगदीश, सुभावती एवं

मनोरमा देवी द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका संस्थित की गई है।

3- पुनरीक्षण के यह आधार दिए गए है कि अवर न्यायालय ने तथ्यों एवं परिस्थितियों का सम्यक् रूप से अवलोकन नहीं किया और वादिनी द्वारा कहे गए तथ्य हर दृष्टि से गलत है क्योंकि तथाकथित घटना के समय के काफी पूर्व से परिवाद के अभियुक्तगण कमलेश व राजेश सऊदी अरब में रह रहे थे और आज भी रह रहे हैं, उपरोक्त तथ्य के बाबत सबूत हवाई जहाज टिकट, वीजा, पासपोर्ट की कॉपी अवर न्यायालय में प्रस्तुत कर कहा गया था कि प्रार्थीगण तथाकथित घटना के समय से काफी पहले से सऊदी अरब में रह रहे है लेकिन अवर न्यायालय द्वारा मेरे उक्त कथन को विचार किए बिना उपरोक्त आदेश पारित कर दिया है। इस प्रकार उनके द्वारा किसी प्रकार का अपराध प्रश्नगत समय पर किया जाना सम्भव नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा बिना किसी नियम कानून को ध्यान में रखते हुए गलत आदेश पारित कर दिया गया है। आलोच्य आदेश गलत एवं तथ्यों से परे है।

4- उपरोक्त निगरानी के साथ प्रश्नगत आदेश की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गई है तथा अवर न्यायालय की पत्रावली भी तलब होकर प्राप्त है।

5- पुनरीक्षण पर याची के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी तथा प्रत्यर्थी संख्या-2 रीता देवी के विद्वान अधिवक्ता को याचिका पर सुना तथा अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का परिशीलन किया।

6- यह सुस्थापित है कि परिवाद के मामलों में अभियुक्तगण को तलब किए जाने के पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है अथवा नहीं और इस हेतु मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षित नहीं है कि वह धारा-200 व 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिए गए बयान की त्रुटियों का आकलन करे।

7- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स बनाम रोशन लाल अग्रवाल, ए.आई.आर. 2003 सुप्रीम कोर्ट 1900 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्तगण को तलब किए जाने के लिए यह देखना होगा कि कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला है अथवा नहीं। इस हेतु यह नहीं देखा जा सकता है कि साक्ष्य की प्रकृति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है या नहीं। यही सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डॉक्टर श्रीमती नुपुर तलवार बनाम सी.बी.आई. दिल्ली, 2012 (77) ए.सी.सी. 718 तथा जगदीश राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, 2004 (49) ए.सी.सी. 9 में भी प्रतिपादित किया गया है।

8- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केवलकृष्ण बनाम सूरजभान व अन्य, 1980 क्रिमिनल ला जरनल 1271 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त को तलब किए जाने के लिए परिवादी की तरफ से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन उस प्रकार से नहीं किया जा सकता है जैसे विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्योपरान्त गुण-

दोष पर निस्तारण के लिए किया जाता है।

9- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि निर्मलजीत सिंह हून बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए.आई.आर. 1972 सुप्रीम कोर्ट 2639 में प्रतिपादित किया गया है कि युक्ति-युक्त सीमा तक विश्वसनीय गवाहान का साक्ष्य उपलब्ध होने पर कार्यवाही का पर्याप्त आधार माना जाएगा। अभियुक्त को तलब किये जाने के स्तर पर साक्ष्य का आकलन करने के लिए यह नहीं देखा जा सकता है कि साक्ष्य इस प्रकृति का है अथवा नहीं कि जिससे दोषसिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो।

10- उपरोक्त निर्णयज विधियों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विश्वसनीय साक्ष्य व सामग्री उपलब्ध होने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या दाण्डिक मामला बनना माना जाएगा और मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को तलब किया जा सकेगा। यह सही है कि न्यायालय द्वारा साक्ष्य की मीमांसा इस स्तर पर उस प्रकार से नहीं की जाएगी जैसा कि आरोप बनाने के उपरान्त विचारण में किया जाता है और न ही यह देखा जाएगा कि साक्ष्य इस श्रेणी का है या नहीं कि जिससे दोषसिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। फिर भी साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रत्येक मामले में परखना न्यायालय का दायित्व है और यदि साक्ष्य विश्वसनीय है, तो अवश्य ही अभियुक्तगण को उस साक्ष्य के आधार पर तलब किया जा सकेगा।

11- योग्य अवर न्यायालय द्वारा तलबी आदेश पारित करने के पूर्व परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा-200 सी.आर.पी.सी. तथा गवाहान सुरेश तथा बृजराज के बयान अन्तर्गत धारा-202 सी.आर.पी.सी. तथा दाखिल किए गए अभिलेख के आधार पर प्रथम दृष्ट्या दाण्डिक मामला अन्तर्गत धारा-323,506,498ए0 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अभियुक्तगण के विरुद्ध बनना पाया है और उसी आधार पर योग्य अवर न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्तागण को विचारण हेतु आहूत किया है। अवर न्यायालय के समक्ष परीक्षित किए गए गवाहान के साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह परिलक्षित होता है कि गवाहान ने न्यायालय के समक्ष युक्ति-युक्त रूप से विश्वसनीय साक्ष्य दिया है और इसी आधार पर योग्य अवर न्यायालय ने निष्कर्श निकालते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। जहां तक निगरानीकर्तागण ने अपने निगरानी के प्रस्तर चार में यह कहा है कि सऊदी अरब में राजेश व कमलेश के बाबत सबूत हवाई जहाज टिकट, वीजा, पासपोर्ट की कॉपी अवर न्यायालय में प्रस्तुत कर कहा कि प्रार्थीगण कथित घटना के काफी पहले से सउदी अरब में रह रहा है लेकिन अवर न्यायालय द्वारा उक्त कथन पर विचार किए बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा-204 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहूत किए जाने से पूर्व अभियुक्तगण को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अवर न्यायालय द्वारा धारा-203 व धारा-204 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश पारित करने के पूर्व अभियुक्तगण के

किसी भी बात पर विचार नहीं करना है। अवर न्यायालय ने धारा-200 व 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पर अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब किया है। अवर न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं कारित की है।

12- उपरोक्त निर्णयज विधियों के आलोक में आलोच्य आदेश विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है और पुनरीक्षण के माध्यम से आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, निष्कर्शतः पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।

इस निर्णय एवं आदेश की प्रतिलिपि सहित अवर न्यायालय की पत्रावली यथाशीघ्र वापस भेजी जाए।

दिनांक 04.06.2018 (पीठासीन अधिकारी का नाम)

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ दर्ज अभियोग में निर्णयः-

इस निर्णय में वादनी द्वारा अपने ससुराल के लोगों पर दहेज मांगने व मारपीट कर क्रूरता का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत होता है, परन्तु वादनी बाद में न्यायालय में पक्षद्रोही हो जाती है।

प्रस्तुत समस्या पर निर्णय का प्रारुप

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जनपद का नाम)...

उपस्थितिः- पीठासीन अधिकारी का नाम– उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा

आपराधिक वाद संख्या–491/2011

सरकार----------अभियोजन पक्ष

बनाम

हसमुद्दीन पुत्र मुस्लिम
नसीबुननिशा पत्नी मुस्लिम
हाजरा खातून पत्नी नहीरुद्दीन
मेजिमा पत्नी कमरुद्दीन
निवासीगण-जगदीशपुर, थाना-पुरी, जनपद क,ख,ग... - अभियुक्तगण

मु.अ.सं.-36/2009
धारा-498ए.,323भा.द.सं.व
3/4 डी.पी.एक्ट
थाना- पुरी
जनपद- .....

राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित श्री ----

अभियुक्तगण व विद्वान अधिवक्ता श्री ------

निर्णय

थाना पुरी की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप-पत्र के आधार पर अभियुक्तगण हसमुद्दीन, नसीबुननिशा, हाजरा खातून एवं मेजिमा को धारा- 498ए.,323भा.द.सं.व 3/4 डी.पी.एक्ट के दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए विचारण किया गया।

वादिनी का संक्षेप में कथन यह है कि वादिनी की शादी अभियुक्त हसमुद्दीन के साथ हुई थी। दिनांक- 21.10.2010 को समय करीब 9.00 बजे दिन को अभियुक्तगण हसमुद्दीन, नसीबुननिशा, हाजरा खातून एवं मेजिमा दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे कहे कि तुम अपने बाप से दहेज में हीरो होण्डा मोटरसाइकिल की मांग की तथा उपरोक्त मांग पूरा न होने पर उक्त अभियुक्तगण ताना मारते एवं प्रताड़ित करते हुए मारे पीटे।

वादिनी ने इस घटना की सूचना दिनांक 29.12.2009 को स्थानीय थाने पर दिया तथा मुकदमा अपराध संख्या 36/2009 धारा- 498ए.,323भा.द.सं. व 3/4 डी0पी0एक्ट के तहत उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया और मुकदमा कायमी का इन्द्राज अभियोग दैनिकी में रपट सं.-20 समय 08.40 बजे दिनांक- 29.02.2010 को किया गया।

बाद विवेचना ने अभियुक्तगण हसमुद्दीन, नसीबुननिशा, हाजरा खातून एवं मेजिमा उपरोक्त के विरुद्ध धारा- 498ए.,323भा.दं.सं. व 3/4 डी.पी.एक्ट के अर्न्तगत आरोपत्र मय नक्शा-नजरी न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रेषित किया है।

आरोप-पत्र प्राप्त होने पर अभियुक्तगण को आहूत किया गया। वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत कराए और जमानतनामा दाखिल किए। तदोपरान्त अभियुक्तागण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा- 498ए.,323भा.द.सं.व 3/4 डी.पी.एक्ट दिनांक 14.07.2016 को आरोप विचरित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

अपने पक्ष कथन को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से वादिनी मुकदमा परवीन ने स्वयं को पी.डब्लू-1 के रूप में परीक्षित कराया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन प्रपत्रों आरोप-पत्र, नक्शा-नजरी आदि की प्रमाणिकता को स्वीकार कर लिया है। इसलिए अभियोजन को औपचारिक साक्षी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हुई।

अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के बाद अभियुक्तगण का बयान धारा- 313 द.प्र.सं. दिनांक 08.08.2016 को लेखबद्ध किया गया है। अभियुक्तगण ने गवाहान के गवाही में कुछ नहीं कहा है।

मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष को सभी युक्ति-युक्त शंकाओं से परे यह साबित करना है कि अभियुक्तगण वादिनी मुकदमा को दहेज में हीरो होण्डा मोटरसाइकिल की मांग पूरा न होने पर गाली-गुप्ता दिए मारे-पीटे एवं मानसिक प्रताड़ना दिए।

अभियोजन अपने कथानक में सभी युक्ति-युक्त शंकाओं से परे साबित करने में सफल है या नहीं, इसके लिए अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाह के बयान का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

पी.डब्लू-1 स्वयं वादिनी मुकदमा परवीन ने अपने मुख्य परीक्षा में मामले का समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसकी शादी अभियुक्त हसमुद्दीन से आठ नौ वर्ष पूर्व हुआ था। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि "मैं अपने पति को पसंद नहीं करती थी इस बात को लेकर प्रायः मुझसे व मेरे पति व ससुराल के लोगों से विवाद होता रहता था'' मैंने इस कारण एक मुकदमा अपने पति के खिलाफ किया दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज करा लिया था। आगे इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया था तथा न ही दहेज की कोई मांग कर रहे थे। अपने मुख्य परीक्षा में ही घटना का समर्थन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी वादिनी मुकदमा को पक्ष-द्रोही घोषित किया गया है।

पी.डब्लू.-1 परवीना ने अपने जिरह बयान में यह कथन किया है कि मुझे हसमुद्दीन, नसीबुननिशा, हाजरा खातून एवं मेजिमा न तो मारा पीटा था न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया था इस साक्षी को 161 का बयान पढ़कर सुनाया गया जिसे इस साक्षी ने इन्कार किया।

यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि वादिनी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-1 थाना घुघली में दर्ज कराई और मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया परन्तु अपने जिरह में उसने घटना का समर्थन नहीं किया जबकि स्वयं वादिनी के प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग दर्ज हुआ इस प्रकार उसने अभियुक्तगण पर मिथ्या आरोप लगाया और न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। जिसके लिए उसके विरुद्ध धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना समीचीन है।

इस प्रकार तथ्य के साक्षी के शपथ साक्ष्य से अभियोजन कथानक युक्ति-युक्त संदेह से परे सिद्ध होना नहीं पाया जाता है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन प्रलेखीय साक्ष्य के निष्पादन की यर्थाथता स्वीकार कर ली है किन्तु जब अभियोजन के मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित आरोप युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित नहीं है, तो मात्र अभियोजन प्रलेखों के निष्पादन की यर्थाथता स्वीकार कर लेने से अधिरोपित अपराध स्वयं साबित नहीं होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के अधिमूल्यांन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण हसमुद्दीन, नसीबुननिशा, हाजरा खातून एवं मेजिमा को अन्तर्गत धारा-498ए.,323भा.द.सं. व 3/4 डी.पी. एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानत व बंध-पत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उन्मोचित

किया जाता है।

यह समाधानप्रद रूप से साबित हो चुका है कि वादिनी मुकदमा ने अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठा अभियोग दर्ज कराया था। अतः उनके विरुद्ध धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रकीर्ण वाद पंजीकृत करते हुए उसे कारण बताओं नोटिस इस आशय की जारी किया जाए कि क्यों न फर्जी अभियोग दर्ज कराए जाने के लिए उन्हें दण्डित किया जाए।

इस निर्णय एवं आदेश की प्रतिलिपि धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रकीर्ण पत्रावली पर रखी जाए।

दिनांकः (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांकः (पीठासीन अधिकारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद का नाम...

5. पारिवारिक न्यायालय के धारा 125 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत भरण-पोषण संबंधी वाद में पारित निर्णयः-

न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार, (जनपद का नाम)
पीठासीन अधिकारी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

वाद संख्या-32/2016

1- अमीरुनिशा पत्नी सलीम
2- समीर वर्तमान में उम्र करीब 13 वर्ष पुत्र सलीम
3- शब्बो वर्तमान में उम्र करीब 06 वर्ष पुत्री सलीम
4- साहिल वर्तमान में उम्र करीब 04 वर्ष पुत्र सलीम

नाबालिगा जरिए संरक्षिका माता स्वयं अमीरुनिशा
साकिनान मौजा बरगदवा विशुनपुर, थाना- पुरी, जनपद का नाम...

-----याचीगण

बनाम

सलीम पुत्र इस्लाम, साकिन मौजा बरगदवा विशुनपुर, थाना- पुरी, जनपद का नाम...

----- विपक्षी

पत्नी व बच्चों द्वारा पति के विरुद्ध भरण-पोषण के लिए प्रस्तुत वाद में पारित निर्णय

का प्रारूप

निर्णय

यह वाद, याची अमीरुनिशा एवं उसके दो नाबालिग पुत्र एवं एक पुत्री क्रमशः समीर, शब्बो एवं साहिल की ओर से विपक्षी के विरुद्ध धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण-पोषण हेतु दिनांक 10.01.2016 को प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 125 द.प्र.सं. के अनुसार याची संख्या-1 का विवाह विपक्षी के साथ याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से करीब 14 वर्ष पूर्व मुस्लिम धर्म एवं रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था, जिसमें याची संख्या-1 विदा होकर अपने पति अर्थात विपक्षी के साथ अपनी ससुराल आयी और विपक्षी के साथ रहते हुए अपने पत्नी धर्म का पालन करने लगी। शादी में याची संख्या-1 के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार पचास हजार रुपये नकद, सोने की माला व साइकिल आदि दिया था। विपक्षी के संसर्ग से याची संख्या-1 को तीन संतानें समीर, शब्बो एवं साहिल क्रमशः 2 तथा 4 पैदा हुए हैं। विपक्षी करीब पांच वर्षों से सऊदी अरब में रहकर कमाता है और अभी करीब दो माह पूर्व ही सऊदी अरब से वापस आया है। विपक्षी का अवैध संबंध उसकी चाची की लड़की से हो गया है, जिसे वह बतौर पत्नी रखना चाहता है। याची संख्या-1 ने जब इसका विरोध किया तो विपक्षी ने उसे गाली देते हुए मारपीट कर कहा कि तुम यहां से भाग जाओ। दिनांक 09.01.2016 को सुबह करीब 7 बजे विपक्षी सलीम एवं उसके परिवार के लोग एकजुट होकर याची संख्या-1 को बुरी तरह मारपीट कर घर से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे तो याची ने इसकी लिखित शिकायत स्थानीय थाना पुरी में दिया, जिस पर एन.सी.आर. संख्या-04/2016 दर्ज हुआ। याची संख्या-1, विपक्षी के घर में एक कमरे में किसी तरह से अपने बच्चों को लेकर रह रही है। विपक्षी, याची संख्या-1 एवं उसके तीनों बच्चों को कोई भी भरण-पोषण नहीं देता है। याची संख्या-1 एक पर्दानशीन महिला है और घर के बाहर जाकर काम नहीं करती। जबकि विपक्षी सऊदी अरब में रहकर पचास हजार रुपए महीने कमाता है तथा उसके पास बड़ा घर, लम्बी खेती-बाड़ी एवं गाड़ी आदि है। सभी स्रोतों से विपक्षी की मासिक आमदनी करीब सत्तर हजार रूपए है। विपक्षी, याचीगण का भरण-पोषण करने में समर्थ है, फिर भी उनका भरण-पोषण नहीं कर रहा है। ऐसे में याची के पास भरण-पोषण वाद संस्थित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। उक्त आधार पर याची के द्वारा स्वयं अपने एवं अपने तीनों नाबालिग बच्चों के लिए भरण-पोषण के रूप में विपक्षी से मु0 15,000/– रुपए प्रतिमाह दिलवाए जाने की याचना की गई।

3- विपक्षी को सम्मन व नोटिस भेजा गया, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी को पंजीकृत डाक से भेजी गई नोटिस एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वापस प्राप्त न होने के आधार पर दिनांक 15.12.2016 को तामीला पर्याप्त माना गया, परन्तु इसके उपरान्त भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण

दिनांक 06.02.2017 को विपक्षी पर तामीला पर्याप्त मानकर एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया।

4- याची ने अपने केस को साबित करने के लिए पी.डब्लू.-1 के रूप में स्वयं अपना शपथ-पत्र 10क, पी.डब्लू.-1 के रूप में स्वयं अपना शपथ पत्र 10क, पी.डब्लू.-2 के रूप में अपने भाई अली का शपथ-पत्र 13क एवं पी.डब्लू.-3 के रूप में महमूद का शपथ पत्र 14क प्रस्तुत किया है। इसके अलावा याची ने अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 6ख के जरिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र की छायाप्रति 16ख तथा याचीगण संख्या 1, 2 व 4 के आधार-पत्र की छायाप्रति 17ख/1 ता 17ख/3 को भी दाखिल किया है।

5- याची के विद्वान न्यायमित्र की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6- याची की तरफ से परीक्षित कराए गए साक्षीगण पी.डब्लू.-1 अमीरुनिशा, पी.डब्लू.-2 अली तथा पी.डब्लू.- महमूद के सशपथ अभिकथनों एवं अभिलेखीय साक्ष्य से यह सुस्थापित है कि याची सं0-1 अमीरुनिशा, विपक्षी की विवाहिता पत्नी है और याची संख्या-2 समीर एवं याची तथा याची संख्या-3 शब्बो, याची संख्या-1 व विपक्षी के नुत्फे से उत्पन्न लेने वाली पुत्री है। याची संख्या-1 युक्ति-युक्त कारण से अपने नाबालिग बच्चों के साथ विपक्षी से पृथक रह रही है। याची संख्या-1 अपना तथा अपने नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है और विपक्षी, याचीगण का बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के भरण-पोषण नहीं कर रहा है। याची ने अपनी याचिका एवं साक्ष्य में यह कथन किया है कि विपक्षी सऊदी अरब में रहकर पचास हजार रुपए महीने कमाता है तथा उसके पास बड़ा घर, लम्बी खेती एवं गाड़ी आदि है। सभी स्रोतों से विपक्षी की मासिक आमदनी करीब सत्तर हजार रुपए है। यद्यपि याची की ओर से इस संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी विवाहिता पत्नी एवं नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण का नैतिक एवं वैधानिक दायित्व होता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को दृष्टांत में रखते हुए याची संख्या-1 अमीरुनिशा जो कि विपक्षी की विवाहिता पत्नी है, को मु0 एक हजार रुपए प्रतिमाह तथा याची संख्या-2 समीर एवं याची संख्या-4 साहिल जो कि विपक्षी के नाबालिग पुत्र हैं, प्रत्येक को मु0 पांच-पांच सौ रुपये और याची संख्या-3 शब्बो जो कि विपक्षी की नाबालिग पुत्री है, को मु0 पांच सौ रुपए इस प्रकार कुल दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण हेतु विपक्षी से दिलाया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा। तद्नुसार याचिका एक पक्षीय रूप से अंशतः स्वीकृत किए जाने योग्य है।

आदेश

7(क)– याची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता एक पक्षीय रूप

से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

7(ख)– विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी विवाहिता पत्नी याची संख्या-1 अमीरुननिशा को मु0एक हजार रुपये प्रतिमाह तथा अपने नाबालिग पुत्रगण क्रमशः याची संख्या-2 समीर एवं याची संख्या-4 साहिल में से प्रत्येक को मु0 पांच सौ रुपये और अपनी नाबालिग पुत्री याची संख्या-3 शब्बो को मु0 पाँच सौ रुपये इस प्रकार कुल दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की धनराशि प्रत्येक अंग्रेजी माह के 10 तारीख तक आदेश की तिथि से अदा करे।

7(ग)– यदि याची संख्या-1 अमीरुनिशा द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है, तो वह भरण-पोषण की धनराशि पाने की अधिकारिणी नहीं होगी तथा याची संख्या-2 समीर एवं याची संख्या-4 साहिल भरण-पोषण की यह धनरराशि व्यस्क होने की तिथि तक पाने के अधिकारी होंगे और याची संख्या-3 शब्बो भरण-पोषण की यह धनराशि व्यस्क होने के उपरान्त अपने विवाह की तिथि तक पाने की अधिकारिणी होगी।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (पीठासीन अधिकारी)

दिनांक प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय,

जनपद का नाम...

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक (पीठासीन अधिकारी)

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय,

जनपद का नाम...

6. अभियुक्तगणों द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट करने व मारपीट में घोर उपहति कारित करने के अपराध में निर्णयः-

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय (जनपद का नाम)

उपस्थितिः- पीठासीन अधिकारी (पी.सी.एस.जे.)

सरकार बनाम वृतन्ती आदि

वाद सं.- 30/06

मु.अ.स. 32/87

धारा- 323, 325 भा.द.सं.

थाना-

जनपद का नाम...

निर्णय

थाना पुरी की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण वृतन्ती पंचम, रामफेर व शोभाराम के विरूद्ध धारा 323, 325 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दिनांक 30.6.87 को अपने खेत की मेड़ विपक्षीगण द्वारा तोड़ने से रोक रहा था, तो विपक्षीगण वृतन्ती, पंचम, रामफेर व शोभाराम ने एक राय होकर वादी मुकदमा को लाठी-डण्डे से मारे तथा उसकी हड्डी भी टूट गई जहां एन.सी.आर. नं0 062 के अंतर्गत वाद दर्ज किया गया तथा संबंधित थाने की पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 032/87 धारा 323, 325 भा.दं.सं. के अन्तर्गत अरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण तथा अभियुक्तगण की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरंचित किए गए तथा अभियुक्तगणों द्वारा आरोप से इन्कार किया गया।

अभियुक्तगणों पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है। अपने समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–1 रामबक्स, पी.डब्लू.-2 रामरूप, पी.डब्लू.-3 रामलोट, पी.डब्लू.-4 डा. ए.के. श्रीवास्तव, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट, पी.डब्लू.-5 एस.आई.एस. के सिंह, पी.डब्लू.-6 एस.आइ. श्री ओम प्रकाश व पी.डब्लू-7 सी.पी. अर्जुन प्रसाद का बयान अंकित कराया। साक्षी पी.डब्लू.-4 डा. ए.के. श्रीवास्तव ने एक्स-रे रिपोर्ट प्लेट पर प्रदर्श क-1, साक्षी पी.डब्लू.-5 डा. एस.के.सिंह ने आघात आख्या पर प्रदर्श क-2, साक्षी पी.डब्लू.-6 एस.आई. श्री ओम प्रकाश ने आरोप-पत्र पर प्रदर्श क-4, नक्शा-नजरी पर प्रदर्श क-3 साक्षी सं.7 सी.पी. अर्जुन प्रसाद ने एन.सी.आर. की जुबानी सूचना की कार्बन प्रति पर प्रदर्श क-5, तरमीम की कार्बन प्रति पर प्रदर्श क-6, कायूमी की जी.डी. नकल पर प्रदर्श क-7 डालते हुए प्रमाणित किया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य कोई साक्ष्य न दिए जाने पर, अभियुक्तगणों का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अंकित किया गया।

दौरान विचारण अभियुक्त वृतन्ती की मृत्यु हो गई। अतः उसके संबंध में वाद उपशमित किया गया। अभियुक्त ने अपनी सफाई में दस्तावेजी साक्ष्य नकल आदेश दिनांक 31.03.1992 न्यायालय नायब तहसीलदार मु.नं. 13/17/22/34/516 अंतर्गत धारा 29 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत किया। अन्य कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

जहां तक अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 323 का प्रश्न है, इस संबंध में वादी द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की मौखिक सूचना दी गई कि दिनांक 30-06-1987 को समय 10.00 बजे दिन अभियुक्त वृतन्ती, पंचम, शोभा व रामफेर द्वारा उसे लात-घूसे व लाठी-डण्डे से मारा गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना हाजा पर एन.सी.आर.नं. 062/87 अंतर्गत

धारा 323 का अभियोग पंजीकृत किया गया। पत्रावली में सलंग्न रपट प्रदर्श क-7 से वादी द्वारा थाना हाजा पर दी गई मौखिक सूचना साबित होती है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू.-3 वादी मुकदमा रामलोट ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि यह घटना 4 साल पहले की है। बारह बजे दिन का समय था, मैं अपने खेत का मेड़ बांध रहा था वहीं पर शोभा, वृतन्ती, रामफेर तथा पंचम आए और मुझे हाथ-मुक्का व डण्डा से मारने लगे और उठाकर पटक दिया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट उसने जुबानी थाने पर लिखाई थी और रिपोर्ट के बाद चोटों का सदर अस्पताल में डॉक्टरी कराया तथा एक्स-रे भी हुआ। इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसके बाएं तरफ गर्दन के पास की पसली लाठी मारने की वजह से टूट गई थी। दौरान जिरह पृष्ठ सं.-2 पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना में मुझे काफी चोट लगी थी। यहीं पर इसने यह भी कथन किया है कि चोट मेरे दोनों हाथों व पैरों में चोट लगी थी तथा गर्दन के पास पसली भी टूट गई थी। डॉक्टरी होने के दूसरे दिन इस साक्षी ने एक्स-रे कराया जाना भी कहा है और यह कथन किया हे कि एक्स-रे के बाद वह थाने नहीं गई। घटना के पांचवें दिन दरोगा जी गांव आए थे। इस साक्षी ने यह कथन किया है कि चोट खाने के बाद रिपोर्ट लिखाने थाने गया था। इसके बाद थाने नहीं गया था। इस प्रकार इस साक्षी ने दौरान जिरह अभियुक्तगण द्वारा अपने को मारा जाना तथा उनके मारे जाने से चोट आने का कथन किया है। इस संबंध में प्रस्तुत अभियोजन साक्षी रामवख्श व रामरूप जिन्हें मौके पर उपस्थित होना बताया गया है, घटना का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं। किन्तु वादी मजरूब के मुख्य परीक्षा तथा प्रति-परीक्षा में अभियुक्तगण तथा चोटों के बाबत कोई विरोधाभास नहीं है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष के तरफ से प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू.-5 डा. एस.जे. सिंह जिनके द्वारा मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है ने अपने सशपथ बयान में आघात आख्या प्रदर्श क-2 को साबित करते हुए यह कथन किया है कि दिनांक 1.07.1983 को उनके द्वारा 11 बजे सुबह रामलौट उम्र करीब 60 वर्ष निवासी गौरा थाना तारून का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। दौरान परीक्षण उनके द्वारा मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाई गईं-

1- सूजन 5 सेमी.4 सेमी. बाएं कालर बोन पर जिसके लिए एक्स-रे की राय दी गई।

2- पपड़ी के साथ खरास 2 सेमी.1 सेमी. बाएं कंधे के बाहर तरफ।

3- पपड़ी शुदा खरोच 1 सेमी. 1सेमी. बाएं घुटने पर।

4- पपड़ी शुदा खरास 1 सेमी. 1 सेमी. दाहिने घुटने पर।

चोट नं. 1 को छोड़कर सभी चोटें साधारण पाई गईं, दौरान जिरह इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त चोटें मोटरसाइकिल से गिरने पर रगड़ से आ सकती हैं।

मेडिकल रिपोर्ट के प्रकाश से वादी मुकदमा पी.डब्लू.-3 के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसने अपने को मुक्का-घूसा व डण्डे से मारना बताया है तथा स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे उठाकर पटक दिया गया और अभियुक्तगण के मारने से बाएं तरफ गर्दन के पास की पसली टूट गई थी, दौरान जिरह चोटों को और स्पष्ट करते हुए पृष्ठ सं.-2 पर इस

साक्षी ने कहा है कि उसके दोनों हाथ के गांठ व पैर के दोनों गांठ पर चोट आई थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट नं.-3 व 4 बाएं व दाएं घुटने पर आना बताया गया है। जिसमें मजरूब द्वारा चोटों के बाबत किए गए कथन की पुष्टि होती है। अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू.-7 कां. अर्जुन प्रसाद चौधरी ने अपने सशपथ बयान में वादी द्वारा थाना हाजा पर घटना के बाबत दी गई सूचना की पुष्टि करते हुए सूचना के आधार पर एन.सी.आर.नं. 162 पर धारा 323 भा.द.सं. का अपराध दिनांक 30.06.1987 को पंजीकृत किया जाना तथा सूचना जुबानी की कार्बन प्रति प्रदर्श क-5 को साबित किया है तथा एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर बहवाले रपट नं. 23 पर अभियोग को तरमीम करते हुए मु.अ.सं. 132/87 अंतर्गत धारा 323, 325 भा.द.सं. के तहत तरमीमी रिपोर्ट प्रदर्श क-6 व नकल जी.डी. प्रदर्श क-7 को प्रमाणित किया है। अभियोजन साक्षी सं.6 एस.आई. ओम प्रकाश द्वारा सशपथ बयान में एन.सी.आर. नं0 162 को एक्स-रे व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बा हवाले रपट नं0 24 के तहत अभियोग को धारा 325 में तरमीम कर विवेचना किया जाना कहा गया है तथा संलग्न पत्रावली नक्शा-नजरी प्रदर्श क-3 तथा आरोप-पत्र प्रदर्श क-4 को प्रमाणित किया गया है।

अपरोक्त साथियों के बयान से वादी मुकदमा द्वारा थाना हाजा पर घटना की दी गई सूचना तथा अन्य पुलिस प्रपत्र बखूब साबित है तथा साक्षी सं0-3 व साक्षी सं.-5 के बयान से अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति भी साबित है। उपरोक्त साथियों के बयान में घटना के बाबत कोई विरोधाभास नहीं है।

जहां तक अभियुक्तगुण पर लगाए गए आरोप धारा 325 भा.द.सं. का प्रश्न है, इस संबंध में वादी मुकदमा पी.डब्लू.-3 रामलोट द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण उसे हाथ-मुक्का तथा डण्डा से मारा व उठाकर पटक दिया, डण्डा के मारने से उसके बाएं तरफ गर्दन के पास की पसली टूट गई थी, दौरान जिरह मुख्य परीक्षा में किए गए कथन की पुष्टि करते हुए पृष्ठ सं.-2 इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना में उसे काफी चोट लगी थी तथा गर्दन के पास हसुली भी टूट गई थी। इस संबंध में साक्षी सं.-5 डा. एस.जे. सिंह ने की। मजरूब के बायें कालर बोन पर 5 सेमी.4 सेमी. सूजन का उल्लेख चोट नं. 1 में किया है ओर उसके लिए एक्स-रे की भी सलाह दी गई है। इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी पी.डब्लू.-4 डा. ए.के. श्रीवास्तव रेडियोलॉजिस्ट ने अपने सशपथ बयान में मजरूब रामलोट के बाएं क्लेविकल हड्डी का एक्स-रे अपने देख-रेख में कराया जाना कहा है और एक्स-रे प्लेट के सीरियल से यह पाया है कि मजरूब के बाएं क्लेविकल हड्डी का निचला तिहाई हिस्सा टूटा हुआ था। इस साक्षी ने एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श क-1 को प्रमाणित किया है। इस साक्षी का बयान साक्षी-3 द्वारा किए गए बयान की पुष्टि करता है और इसके बयान से यह स्पष्ट होता है कि मजरूब रामलोट के बाएं क्लेविकल हड्डी का निचला हिस्सा टूटा है। जैसा कि मजरूब द्वारा बाएं तरफ गर्दन के पास की पसली का टूटना बताया गया है। साक्षी सं0-4 व 5 के बयान से चोट के बाबत् आपस में मेल खाते हैं और इनके बयानों में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है जो युक्ति-युक्त सारवान् हो।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह साबित पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा मजरूब वादी मुकदमा को डण्डे से मारकर गंभीर चोटें कारित की गई।

संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि अभियुक्तगण पंचम, रामफर व शोभाराम धारा 323, 325 भा.दं.सं. के तहत लगाए गए आरोप में दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। उनकी जमानतें व बंध-पत्र निरस्त की जाती हैं।

दिनांक- 20.12.06 (पीठासीन अधिकारी)

अभियुक्त के विद्वान अभिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना जिसमें विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण को प्रोबेशन पर छोड़े जाने की याचना की गई, जिसमें यह कथन किया गया कि मुकदमा लगभग 19 वर्ष पुराना है तथा अभियुक्त पंचम की आयु 75 वर्ष है एवं रामफेर व शोभाराम की आयु 60 वर्ष से ऊपर की है। इस आधार पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रोबेशन पर छोड़े जाने की मांग की गई। जिसका विरोध सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।

दिनांक- (न्यायायिक दण्डाधिकारी)

जनपद का नाम...

आदेश

अभियुक्तगण पंचम, रामफेर व शोभाराम को मु.अ.सं. 132/87 धारा 323, 325 भा.दं.सं. के अधीन दोषी करते हुए उन्हें तत्काल दण्डित करने के स्थान पर 6 माह के सदाचरण के परीविक्षा पर इस शर्त के साथ छोड़ा जाता है कि अभियुक्तगण उपरोक्त अवधि में सदाचरण बनाए रखेंगे तथा परिशांति कायम रखेंगे। अभियुक्तगण उक्त संबंध में पंद्रह-पंद्रह हजार का व्यक्तिगत बंध-पत्र व इसी राशि की दो-दो जमानतें प्रस्तुत करें। इसके साथ अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी रामलोट को प्रतिकर के रूप में एक हजार रुपये अदा करें। उपरोक्त शर्तों का भंग होने पर अभियुक्तगण न्यायालय में आहूत किए जाएंगे और उन्हें सूचित रूप से दण्डादिष्ट किया जाएगा। अभियुक्तगण को यह आदेशित किया जाता है कि दिनांक 9.1.07 को परीविक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों एवं प्रतिकर की राशि जमा करें। आदेश की एक प्रति जिला परीविक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाए।

दिनांक : (पीठासीन अधिकारी
न्यायिक दण्डाधिकारी

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक : (पीठासीन अधिकारी
न्यायिक दण्डाधिकारी
जनपद का नाम...

*****

अध्याय-7
सिविल मामले में निर्णय

सिविल प्रकृति के वादों की शुरुआत वाद-पत्र से होती है। अतएव सिविल मामलों के लिए वाद-पत्र रचना एक आवश्यक तथ्य है। उ.प्र. न्यायिक सेवा की परीक्षा के द्वितीय प्रश्न-पत्र में निर्णय लेखन संबंधी अंश को वाद-पत्र व प्रतिवाद-पत्र दोनों की रचना करने के प्रश्न आते हैं।

वाद-पत्र

वाद-पत्र व प्रतिवाद-पत्र को सामूहिक रूप से अभिवचन कहते हैं।

(1) किसी की सिविल प्रकृति के वाद को न्यायालय में दाखिल करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि वह किस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धांत है कि प्रत्येक वाद अपने लघुत्तर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) वाद-पत्र में कम-से-कम एक वादी व एक प्रतिवादी का होना आवश्यक है।

(4) वाद लाने का स्थान भी स्पष्ट होना आवश्यक है जिसका प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15, 16, 17, 18, 19, 20 में दिया गया है।

(5) वाद-पत्र के संबंध में प्रमुख प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 में दिए गए हैं जिसके अनुसार वाद पत्र में निम्न विशिष्टियां होनी चाहिए–

(1) उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है।

(2) वादी का नाम वर्णन और निवास स्थान।

(3) जहां तक अभिनिश्चित किए जा सके प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान।

(4) जहां वादी या प्रतिवादी अव्यस्क हों वहां इस भाव का कथन।

(5) वे तथ्य जिनसे वाद हेतुक गठित है और वह कब पैदा हुआ।

(6) यह दर्शित करने वाला तथ्य कि न्यायालय को अधिकारिता है।

(7) वह अनुतोष जिनका वादी दावा करता है।

(8) जहां वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है, वहां ऐसी अनुज्ञात की गई या त्यागी गई रकम।

(9) अधिकारिता के और न्यायालय-फीस के प्रयोजनों के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है।

(10) जहां वादी धन की वसूली चाहता है वहां दावा की गई ठीक रकम वाद-पत्र में वर्णित होनी चाहिए।

(11) यदि विवादित सम्पत्ति स्थावर सम्पत्ति है, तो वाद-पत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा, जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है।

(12) जहां वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है वहां वाद-पत्र में न केवल यह दर्शित होगा कि उसका विषय-वस्तु में विद्यमान हित है, वरन यह भी दर्शित होगा कि उससे संपृक्त वाद के संस्थित करने के लिए उसको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम वह उठा चुका है।

(13) वाद-पत्र में यह दर्शित किया जाएगा कि प्रतिवादी विषय-वस्तु में हित रखता है या रखने का दावा करता है और वह वादी की मांग का उत्तर देने के लिए अपेक्षित किए जाने का दायी है।

(14) हर वाद-पत्र ये उस अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन होगा जिसके लिए वादी सामान्यतः या अनुकल्पतः दावा करता है।

(15) जहां वादी कई सुभिन्न दावों के वाद हेतुकों के बारे में जो पृथक और सुभिन्न आधारों पर आधारित हैं, अनुतोष चाहता है वहां वे जहां तक हो सके पृथकतः और सुभिन्नतः कथित किए जाएंगे।

वाद-पत्र का प्रारूप

1. किसी मामले में वाद-पत्र संस्थित करते समय वाद-पत्र सबसे ऊपर अपर न्यायालय का नाम अंकित किया जाता है।

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) (जनपद का नाम)

2. इसके उपरान्त मामले के पक्षकारों का नाम अंकित किया जाता है, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि वाद-पत्र में वादी कौन है और किसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

मोहन चन्द्र पुत्र राम कुमार 32 वर्ष

निवासी ... जिला ... वादी

बनाम

(1) प्रत्येक कुमार पुत्र शम्भू उम्र 70 वर्ष

(2) रमेश कुमार पुत्र प्रत्येक कुमार उम्र 32 वर्ष

निवासीगण ... जिला ... प्रतिवादीगण

3. इसके उपरान्त वाद-पत्र में किस प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका वर्णन रहता है। जैसे-

(1) स्थायी निवेधाज्ञा का वाद

(2) धन वसूली का वाद

(3) बटवारे का वाद

(4) भरण-पोषण का वाद

4. ठीक इसके नीचे वाद का मूल्यांकन भी लिखा जाता है।

5. वाद के मूल्यांकन के बाद वादी की तरफ से मामले का पूर्ण कथन स्पष्ट रूप से धारा के रूप में अंकित किया जाएगा।

6. वाद-पत्र के अन्त में वादी द्वारा याचित अनुतोष का वर्णन रहता है।

7. वाद के पक्षकारों या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

प्रतिवाद-पत्र

(1) प्रतिवाद-पत्र, प्रतिवादी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत वादी के कथनों का जवाब होता है, जिससे वह अपने तर्क रखता है। **सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 8 प्रतिवाद पत्र** के संबंध मे प्रावधान करती है।

(2) प्रतिवाद-पत्र दो भागों में होता है। प्रथम भाग के वाद-पत्र में किए गए कथनों का इन्कार या स्वीकार्य किया जाना है, जबकि दूसरे भाग में जो विशेष कथन के रूप में होता है, उसमें प्रतिवादी अपने तर्कों को रखता है।

(3) प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद-पत्र के विरुद्ध में विधिक बिन्दुओं पर भी आपत्ति की जाती है।

(4) लिखित कथन वाद-पत्र में किए गए कथनों पर आधारित होता है।

(5) प्रतिवाद पत्र तैयार करते समय निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान देना होता है-

1. यदि प्रतिवादी अपना बचाव किसी दस्तावेज पर आधारित करता है अथवा अपने दावे का अथवा प्रतिदावा के समर्थन में ऐसे दस्तावेज पर विश्वास करता है, जो उसके कब्जे में है तो वह इसे सूची मे लिखेगा और लिखित कथन प्रस्तुत करते समय उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज उसके कब्जे में नहीं है तो इसका भी कथन करेगा।

2. प्रतिवाद-पत्र में नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना होता है।

3. प्रतिवादी को अपने अभिवचन द्वारा वे सभी बातें उठानी होगी जिनसे यह दर्शित होता है कि वाद या विधि की दृष्टि में व्यवहार शून्य है या शून्यकरणीय है।

4. प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणतः प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित है,

किंतु प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय ऐसे तथ्य संबंधी हर एक अभिकथन का विनिर्दिष्टतः विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकार्य नहीं करता है।

5. जहां प्रतिवादी वाद में किसी तथ्य के अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है तो उसे ऐसे प्रत्पास्थान के सार की बात का उत्तर देना चाहिए।

विवाद्यक

1. उभयपक्षों के अभिवचनों के आने के उपरान्त विवाधक या वाद बिन्दु का विरचन किया जाता है।
2. वाद बिन्दु विरचित करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। वाद बिन्दु से ही पत्रकारों के मध्य विवाद का अन्तिम निस्तारण किया जाता है।
3. वाद बिन्दु बहुत अधिक भी नहीं होने चाहिए और न ही वाद बिन्दु छोड़ने ही चाहिए।
4. विधि संबंधी सभी तथ्यों को समाहित करना चाहिए।
5. सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 14 में विवाद्यक के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं।

*****

अध्याय-8

वाद-पत्र, प्रतिवाद-पत्र व विवाद्यक के विभिन्न मॉडल

वाद-पत्र व प्रतिवाद-पत्र के मॉडल को एक साथ रखा गया है जिससे अधिवक्ता व विद्यार्थियों को यह सुविधा हो सके कि वाद-पत्र कैसे तैयार करते हैं एवं कुछ प्रतिदावा- पत्र के मॉडल को दिया गया है। इस पुस्तक मे जिस समस्या पर वाद-पत्र बनाया गया है उसी पर प्रतिवाद-पत्र भी बनाया गया है जिससे कि वाद-पत्र व प्रतिवाद-पत्र तैयार करने मे सुविधा हो एवं प्रारूप में दिए गए अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक भी विरचित किए गए हैं।

1. संविदा भंग से संबंधित मामले का वाद-पत्र

काल्पनिक समस्या का विवरण- वादी रामकुमार व महेश कुमार में इस बात की संविदा होती है कि प्रतिवादी वादी को 1000 थान कपड़ा 1000 रुपये/थान की दर से 3 मार्च, 2017 को प्रदान करेगा परंतु प्रतिवादी ने अपनी शर्तों का उल्लंघन किया है। इस समस्या पर वाद-पत्र, प्रतिवाद-पत्र व विवाद्यक की रचना करें।

समक्ष न्यायालय

सिविल जज (जु.डि.)

वाद सं. ..... सन् 2017 .....

रामकुमार पुत्र श्यामकुमार उम्र लगभग 35 वर्ष

निवासी म. सं. 30 ..... वादी

बनाम

महेश कुमार पुत्र वचन उम्र लगभग 40 वर्ष .....

निवासी म.सं. 60 ..... प्रतिवादी

वादी उपरोक्त निम्नांकित कथन करता है कि-

1. यह कि वादी कपड़े के थोक का व्यवसायी है। वादी का व्यापार व्यापार कर विभाग में पंजीकृत है तथा वादी एक कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है।
2. यह कि प्रतिवादी उपरोक्त एक कपड़े के मिल का मालिक है तथा मिल में कपड़ा तैयार करके थोक विक्रेताओं को बेचता है।

3. यह कि प्रतिवादी व वादी के मध्य एक संविदा इस आशय का हुआ कि प्रतिवादी को मार्च, 2017 की तारीख 3 को 1000 थान कपड़े का 1000 रुपया/थान की दर से देगा।

4. यह कि वादी ने उक्त संविदा के क्रम में 50 हजार रुपया अग्रिम भुगतान के रूप में दे दिया था। जिसकी रसीद वाद-पत्र के साथ संलग्न है।

5. यह कि उक्त संविदा का उद्देश्य मार्च माह में होली के त्योहार के दौरान कपड़ा बेचने का था क्योंकि उस समय कपड़े की मांग अधिक रहती है।

6. यह कि दिनांक 3 मार्च, 2017 को प्रतिवादी द्वारा संविदा के अनुपालन में उक्त कपड़े को नहीं दिया गया।

7. यह कि वादी द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2017 को प्रतिवादी को नोटिस दी गई परंतु उसने आज तक उक्त कपड़ा प्रदान नहीं किया।

8. प्रतिवादी द्वारा 4 मार्च, 2017 को नोटिस प्राप्त होने के बाद कपड़ा न देने के कारण वाद करना उत्पन्न हुआ।

9. यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति न्यायालय के प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत स्थित है। अतः न्यायालय प्रस्तुत वाद की सुनवाई हेतु सक्षम है।

10. यह कि क्षेत्राधिकार एवं न्यायालय शुल्क प्रयोजन हेतु वाद का मूल्य 20,000 रुपये है। जिस पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है।

अनुतोष

अतः वादी प्रार्थना करता है कि -

1. एक आदेशात्मक व्यादेश द्वारा प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि प्रतिवादी वादी से प्राप्त 50 हजार की धनराशि मय ब्याज अदा करे।

2. वादी को प्रतिवादी से 5,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति दिलवायी जाए।

3. वाद का खर्चा वादी को दिलाया जाए।

(हस्ताक्षर)
रामकुमार
वादी

सत्यापन

मैं रामकुमार उपरोक्त वादी एतदद्वारा यह सत्यापित करता हूं कि इस वाद-पत्र के पैराग्राफ 1 से 7 की अंतर्वस्तुएं मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य व सही हैं और पैराग्राफ 8 एवं 10 की अंतर्वस्तुओं को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन को आज 2 मई, 2017 को न्यायालय के प्रांगण में हस्ताक्षरित करता हूं।

दिनांक — वादी हस्ताक्षर

स्थान — हस्ताक्षर

एडवोकेट

संविदा भंग के मामले का प्रतिवाद-पत्र -

समक्ष न्यायालय

सिविल जज (जु.डि.)

वाद सं. ..... सन् 2017 .....

रामकुमार पुत्र श्यामकुमार उम्र लगभग 35 वर्ष

निवासी म. सं. 30 ..... वादी

बनाम

महेश कुमार पुत्र वचन उम्र लगभग 40 वर्ष .....

निवासी ..... म.सं. 60 ..... प्रतिवादी

1. स्वीकार्य है
2. स्वीकार्य है
3. स्वीकार्य है
4. पूर्णतः स्वीकार्य है
5. अस्वीकार्य है
6. अस्वीकार्य है
7. अस्वीकार्य है
8. अस्वीकार्य है
9. अस्वीकार्य है
10. अस्वीकार्य है
11. अस्वीकार्य है

विशेष कथन -

12. यह कि वादी एक धूर्त किस्म का व्यक्ति है तथा जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।
13. यह कि वादी ने न्यायालय के समक्ष संविदा की सभी शर्तों का उल्लेख नहीं किया है। शर्तों में यह वर्णित था कि वादी कपड़े के थान मिल से निकलने से पहले शेष सभी धनराशि का भुगतान कर देगें। परंतु वादी द्वारा ऐसा ही किया जाए।
14. यह वादी द्वारा स्वयं शर्तों का अनुपालन नहीं किया इसी कारण संविदा प्रभावी नहीं हो सका।

15. वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा न्याय-शुल्क अपर्याप्त है।

16. दावा वादी विबंध के सिद्धांत से बाधित है।

17. दावा वादी धारा 34 व धारा 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है।

उपरोक्त आधारों पर दावा वादी निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रतिवादी का हस्ताक्षर

अधिवक्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं महेश कुमार उपरोक्त वादी एतदद्वारा यह सत्यापित करता हूं कि इस वाद-पत्र के पैराग्राफ 1 से 14 की अंतर्वस्तुएं मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य व सही हैं और पैराग्राफ 15 एवं 17 की अंतर्वस्तुओं को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन को आज 20 मई, 2017 को न्यायालय के प्रांगण में हस्ताक्षरित करता हूं।

दिनांक वादी हस्ताक्षर

स्थान अधिवक्ता का हस्ताक्षर

संविदा भंग के मामले में ऊपर प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिंदु विरचित किए जाएंगे। उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिंदु उत्पन्न होते हैं।

1. क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर जरिये आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादी को आदेशित किया जा सकता है कि वह वादी को 50 हजार रुपये मय ब्याज भुगतान करें?
2. क्या दावा वादी अधोमूल्यांकित है और न्याय-शुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या दावा वादी विबन्ध के सिद्धांतों से बाधित है?
4. क्या दावा वादी धारा 34 व धारा 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है?
5. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष के पाने का हकदार है?

उपरोक्त वाद बिंदु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिंदु नहीं बनता है और नहीं पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

2. स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में वाद-पत्र, प्रतिवाद-पत्र व विवाद्यक का मॉडल

काल्पनिक समस्या- वादी व प्रतिवादी एक ही मोहल्ले के निवासी हैं। प्रतिवादी द्वारा वादी के मकान में खुली खिड़की बंद करने हेतु अपनी दीवाल बना देता है। वादी को आदेशात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष के वास्ते वाद-पत्र की रचना की गई है जिसमें उसने प्रतिवादी से उक्त दीवाल को हटाने का कथन किया है। इसी वाद-पत्र के आधार पर प्रतिवाद को तैयार किया गया है एवं विवाद्यक की रचना की गई है।

वाद-पत्र

समक्ष न्यायालय

सिविल जज (जू.डि.)

वाद सं. ..... सन् 2017

रामकुमार पुत्र श्यामकुमार उम्र लगभग 35 वर्ष

निवासी म.सं. 30 ..... वादी

बनाम

महेश कुमार पुत्र वचन उम्र लगभग ..... 40 .....

निवासी ..... म. सं. 60 प्रतिवादी

वादी निम्नलिखित कथन करता है-

1. यह कि वादी जिला गोरखपुर मकान सं. 30 का एकमात्र स्वामी सदैव से रहा है और आज भी है। जिसकी सीमाएं निम्न हैं-

   उत्तर - पक्की नाली

   पूरब - सड़क नगर पालिका

   दक्षिण - मकान सं. 32

   पश्चिम - प्लाट महेश कुमार

2. यह कि वादी का मकान पहले से बना हुआ है तथा प्रतिवादी ने वाद में वहां पर भू विक्रय किया था।

3. यह कि पश्चिम तरफ अर्थात प्रतिवादी के प्लाट की तरफ वादी की खिड़की लगभग 20 वर्षों से खुलती है।

4. यह कि प्रतिवादी द्वारा अपने मकान का निर्माण करते समय वादी व प्रतिवादी के ..... को 3 फीट की गली थी उसे बंद कर दिया जिससे वादी के मकान में रोशनी आने का रास्ता बंद हो गया।

5. यह कि प्रतिवादी ने आपत्ति किए जाने पर यह अस्वीकार कर दिया कि वहां गली का अस्तित्व है।

6. यह कि वादी के मकान की बाजारू कीमत भी घट गई है।

7. प्रतिवादी के उक्त कार्य से वादी के भौतिक सुख-सुविधा में बाधा पहुंच रही है।

8. यह कि 12 मार्च, 2016 को जब वादी ने प्रतिवादी से दिवाल को हटाने को कहा तो प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया और वादी को चुनौती दी कि वह चाहे जो करे दीवाल नहीं हटाएगा।

9. यह कि प्रस्तुत वाद के लिए वाद हेतुक दिनांक 12 मार्च, 2016 को जब प्रतिवादी ने दीवाल हटाने से इन्कार कर दिया, उत्पन्न हुआ।

10. यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति न्यायालय के प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत स्थित है। अतः न्यायालय प्रस्तुत वाद की सुनवाई हेतु सक्षम है।

11. यह कि क्षेत्राधिकार एवं न्यायालय-शुल्क प्रयोजन हेतु वाद का मूल्य 20,000 रुपये है। जिस पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है।

अनुतोष

अतः वादी प्रार्थना करता है कि-

1. एक आदेशात्मक व्यादेश द्वारा प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि प्रतिवादी अपने द्वारा बनवाई दीवाल को हटवा ले।
2. स्थायी व्यादेश द्वारा वादी को उसके मकान के भौतिक सुख-सुविधा एवं सम्पत्ति की बाजार की कीमत को अक्षुण्ण रखा जाए तथा प्रतिवादी के हस्तक्षेप को रोका जाए।
3. वादी को प्रतिवादी से 5,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति दिलवायी जाए।
4. वाद का खर्चा वादी को दिलाया जाए।

(हस्ताक्षर)
रामकुमार
वादी

सत्यापन

मैं रामकुमार उपरोक्त वादी एतदद्वारा यह सत्यापित करता हूं कि इस वाद-पत्र के पैराग्राफ 1 से 9 की अंतर्वस्तुएं मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य व सही हैं और पैराग्राफ 10 एवं 11 की अंतर्वस्तुओं को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन को आज 1 अप्रैल, 2016 को न्यायालय के प्रांगण में हस्ताक्षरित करता हूं।

दिनांक — वादी हस्ताक्षर
स्थान — अधिवक्ता हस्ताक्षर

प्रतिवाद-पत्र

समक्ष न्यायालय
सिविल जज (जू.डि.)
वाद सं. ..... सन् 2014 .....
वाद सं. ..... सन् 2017 .....
रामकुमार पुत्र श्यामकुमार उम्र लगभग 35 वर्ष
निवासी ..... म.सं.30 वादी

बनाम

महेश कुमार पुत्र वचन उम्र लगभग 40 वर्ष ..... प्रतिवादी

प्रतिवादी निम्नलिखित कथन करता है-

1. यह कि पैराग्रॉफ (1) अंतर्वस्तुएं स्वीकार हैं।
2. यह कि पैराग्रॉफ (2) की अंतर्वस्तुएं कथित रूप से स्वीकार हैं।
3. यह कि पैराग्रॉफ (3) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
4. यह कि पैराग्रॉफ (4) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
5. यह कि पैराग्रॉफ (5) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
6. यह कि पैराग्रॉफ (6) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
7. यह कि पैराग्रॉफ (7) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
8. यह कि वादी के पक्ष में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ जैसा कि पैराग्राफ (8) में बताया गया है।
9. यह कि पैराग्रॉफ (9) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
10. यह कि पैराग्रॉफ (10) में कथित न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार है।
11. यह कि पैराग्रॉफ (11) में कथित विवरण अस्वीकार है।

अतिरिक्त अभिकथन

12. यह कि वादी एवं प्रतिवादी के मकान के मध्य कोई भी गली कभी भी विद्यमान नहीं रही।
13. वादी ने अपने मकान की खिड़कियां प्रतिवादी के खाली प्लॉट की तरफ खोल दी थी जबकि प्रतिवादी ने क्रय के उपरांत प्लॉट को खाली छोड़ दिया था।
14. वादी ने खुद को मुहल्ले का पुराना निवासी बताते हुए अपनी दबंगई से मेरे प्लॉट की तरफ अपनी खिड़कियां का मुंह कर दिया जबकि उसे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था।
15. वाद में न्याय-शुल्क अपर्याप्त है।
16. वादी द्वारा नगर पालिका को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण यह वाद पक्षकारों के असंयोजन से दूषित है।
17. वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है।
18. यह कि उक्त कारणों से वाद खारिज किए जाने योग्य है।

अतः वाद व्यय सहित खारिज किया जाए ताकि न्याय हो।

हस्ताक्षर

महेश कुमार

प्रतिवादी

सत्यापन

मैं महेश कुमार उपरिनामांकित प्रतिवादी एतदद्वारा यह सत्यापित करता हूं कि लिखित कथन के पैराग्राफ 1 से 14 तक कि अंतर्वस्तुएं मेरी निजी जानकारी में सत्य तथा पैराग्राफ 15 एवं 18 की अंतर्वस्तुओं को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन को आज दिनांक 3 मई, 2016 को सिविल न्यायालय के प्रांगण में हस्ताक्षरित करता हूं।

दिनांक — हस्ताक्षर

स्थान — महेश कुमार

प्रतिवादी

हस्ताक्षर अधिवक्ता

विवाद्यक

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दु उत्पन्न होते हैं-

1. क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर जरिए आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादी को आदेशित किया जा सकता है कि वह वादी के कब्जादखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे और बनाई गई दीवाल को हटा लेवे?
2. क्या दावा वादी अधोमूल्यांकित है और न्याय-शुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या दावा-वादी धारा 34 व विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है?
4. क्या दावा-वादी पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित है?
5. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष के पाने का हकदार है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और नहीं पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

3. भाटक के संदाय के संबंध में वाद-पत्र, प्रतिवाद-पत्र व विवाद्यक का मॉडल

काल्पनिक समस्या- वादी द्वारा प्रतिवादी को अपना मकान 1000 रुपये मासिक किराये पर दिया गया। परन्तु प्रतिवादी द्वारा किराया नहीं दिया गया। वादी के पक्ष में किराया जमा करने व प्रतिवादी को बेदखल करने के अनुतोष के साथ वाद-पत्र, उससे ही संबंधित प्रतिवाद-पत्र व विवाद्यक की रचना करें।

सिविल जज (जू.डि.)

वाद सं. ..... सन् 2017 .....

रामकुमार पुत्र श्यामकुमार उम्र लगभग 35 वर्ष

निवासी म.सं. 30 ..... वादी

बनाम

महेश कुमार पुत्र वचन उम्र लगभग 40 वर्ष .....

निवासी ..... म.सं. 60 प्रतिवादी

उक्त वादी महेन्द्र कथन करता है कि-

1. ता. 10.10.2017 को सुरेश ने वादी से विवादित मकान 12,000 रुपये वार्षिक भाटक पर, जो (प्रतिमास) संदेय था, 2 वर्ष की अवधि के लिए भाड़े पर लिया।
2. परिसर का पट्टा सुरेश के नाम किए जाने के प्रतिफलस्वरूप प्रतिवादी ने भाटक के यथासमय संदाय की प्रत्याभूति देने का करार किया।
3. दिसंबर, 2017 मास के भाटक का, जिसकी रकम 12,000 रुपये है, संदाय नहीं किया गया है।
4. ता. 10.01.2018 को वादी ने प्रतिवादी को भाटक का संदाय न किए जाने की सूचना दी और उसके संदाय की मांग की। प्रतिवादी ने उसका संदाय नहीं किया है।
5. प्रतिवादी के उपरोक्त क्रय से किरायेनामें की शर्तों का उल्लंघन हुआ है।
6. यह कि प्रस्तुत वाद के लिए वाद हेतुक दिनांक 12 मार्च, 2016 को जब प्रतिवादी ने दीवाल हटाने से इंकार कर दिया, उत्पन्न हुआ।
7. यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति न्यायालय के प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत स्थित है। अतः न्यायालय प्रस्तुत वाद की सुनवाई हेतु सक्षम है।
8. यह कि क्षेत्राधिकार एवं न्यायालय शुल्क प्रयोजन हेतु वाद का मूल्य 20,000 रुपये है। जिस पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है।

अनुतोष

अतः वादी प्रार्थना करता है कि

1. जरिए आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादी को निर्देशित किया जाए कि वह अविलंब वादी के उक्त मकान को छोड़ दे, वादी को प्रतिवादी से शेष किराया मय ब्याज दिलाया जाए।
2. (3) वादी को प्रतिवादी से 5,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति दिलवायी जाए।
3. (4) वाद का खर्चा वाद को दिलाया जाए।

हस्ताक्षर

रामकुमार

वादी

सत्यापन

मैं रामकुमार उपरोक्त वादी एतदद्वारा यह सत्यापित करता हूं कि इस वाद-पत्र के पैराग्राफ 1 से 6 की अंतर्वस्तुएं मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य व सही हैं और पैराग्राफ 7 एवं 8 की अंतर्वस्तुएं को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन को आज 2 अप्रैल, 2016 को न्यायालय के प्रांगण में हस्ताक्षरित करता हूं।

हस्ताक्षर वादी
रामकुमार
हस्ताक्षर अधिवक्ता

प्रतिवाद-पत्र

समक्ष न्यायालय
सिविल जज (जू.डि.)
वाद सं. ..... सन् 2014
रामकुमार पुत्र श्यामकुमार उम्र लगभग 35 वर्ष
निवासी म.सं. 30 ..... वादी
बनाम
महेश कुमार पुत्र वचन उम्र लगभग 40 वर्ष .....
निवासी ..... म.सं.60 प्रतिवादी

वादी निम्नलिखित कथन करता है-

1. यह कि पैराग्रॉफ (1) की अंतर्वस्तुएं स्वीकार हैं।
2. यह कि पैराग्रॉफ (2) की अंतर्वस्तुएं कथित रूप से स्वीकार नही हैं।
3. यह कि पैराग्रॉफ (3) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
4. यह कि पैराग्रॉफ (4) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
5. यह कि पैराग्रॉफ (5) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
6. यह कि पैराग्रॉफ (6) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
7. यह कि पैराग्रॉफ (7) की अंतर्वस्तुएं स्वीकार हैं।
8. यह कि पैराग्रॉफ (8) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।

अतिरिक्त अभिकथन

9. यह कि वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद-पत्र प्रस्तुत किया। वास्तविकता यह है कि पक्षकारों के मध्य लिखे गए किरायेनाम की शर्त संख्या 5 में वादी पर यह दायित्व आरोपित था कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादी को किराए पर उपलब्ध कराए गए प्रतिष्ठान में बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से होती रहे।

10. यह कि वादी ने शर्त संख्या 5 का अनुपालन नहीं किया वादी द्वारा बिजली का बिल का भुगतान न करने के कारण बिजली काट दी गई और प्रतिवादी को इससे काफी नुकसान हुआ।

11. यह कि किरायेनामें की शर्त संख्या 5 में यह तथ्य वर्णित है कि इस शर्त के उल्लंघन पर प्रतिवादी को किराया रोकने का अधिकार होगा, इसी कारण प्रतिवादी ने किराया नहीं दिया।

12. यह कि प्रश्नगत मामले में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। वादी द्वारा जानबूझकर झूठा वाद प्रस्तुत किया गया।

13. कि वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया, वाद में न्याय-शुल्क अपर्याप्त है।

14. कि वाद विबंध के सिद्धांत से बाधित है।

15. यह कि वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है क्योंकि विवादित मकान के मालिक वादी के पिता भी वादी के साथ हैं तथा वे भी एक आवश्यक पक्षकार हैं।

16. यह कि उक्त कारणों से वाद खारिज किए जाने योग्य है।

अतः वाद व्यय सहित खारिज किया जाए ताकि न्याय हो।

हस्ताक्षर
महेश कुमार
प्रतिवादी

सत्यापन

मैं महेश कुमार उपरिनामांकित प्रतिवादी एतदद्वारा यह सत्यापित करता हूं कि लिखित कथन के पैराग्राफ 1 से 7 तथा 10 से 12 तक कि अंतर्वस्तुएं मेरी निजी जानकारी में सत्य तथा पैराग्राफ 8, 13, 14 एवं 15 की अंतर्वस्तुओं को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन को आज दिनांक 3 मई, 2016 को सिविल न्यायालय के प्रांगण में हस्ताक्षरित करता हूं।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
महेश कुमार
प्रतिवादी
हस्ताक्षर अधिवक्ता

विवाद्यक

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निमन वाद बिन्दु उत्पन्न होते हैं।

1. क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर जरिए आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादी को आदेशित किया जा सकता है कि वह वादी के किरायेनामें के आधार पर शेष किराया प्रदान करें?
2. क्या वादी वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर जरिए आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादी से विवादित मकान खाली करा देता है?
3. क्या दावा वादी अधोमूल्यांकित है और न्याय-शुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या दावा-वादी विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है?
5. क्या दावा-वादी पक्षकारों के असंयोजन को दोष से ग्रसित है?
6. क्या दावा-वादी बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है?
7. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का हकदार है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और नहीं पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

4. क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले का वाद-पत्र, प्रतिवाद-पत्र व विवाद्यक

समस्या- वादी व प्रतिवादी के द्वारा एक फर्म का गठन किया गया तथा वाद में फर्म का विघटन हो जाने के बाद एवं देनदारी को लेकर विवाद उत्पन्न होता है।

सिविल जज (जु.डि.)

वाद सं. ..... सन् 2017

रामकुमार पुत्र श्यामकुमार उम्र लगभग 35 वर्ष

निवासी मं.सं.30 ..... वादी

बनाम

महेश कुमार पुत्र वचन उम्र लगभग 40 वर्ष

निवासी ..... म.सं.60 ..... प्रतिवादी

उक्त वादी क ख यह कथन करता है कि-

1. ता. 10.10.12 को वादी और प्रतिवादी ने, जो रामकुमार ट्रेडर्स के नाम से एक भागीदारी फर्म बनाया तथा भागीदारी फर्म में लाभ न होने के कारण फर्म विघटन की स्थिति में आ गई।
2. कि पक्षकारों के मध्य यह करार हुआ था कि प्रतिवादी फर्म के शेष बची सम्पत्तियां अपने पास रखेगा और फर्म के ऋण भी चुकाएगा।

3. कि यदि वादी के विरुद्ध कोई वाद योजित होता है, तो वह वादी को क्षतिपूर्ति भी देगा।

4. वादी ने करार के अपने भाग की सब शर्तों का सम्यक पालन कर दिया।

5. मोहन कुमार का फर्म के पक्ष में 100000/- का ऋण था जिसके लिए उसने न्यायालय से डिक्री प्राप्त की जिसमें वादी और प्रतिवादी को 50-50 हजार रुपये देने थे। वादी ने अपने हिस्से की धनराशि दे दी परंतु अब प्रतिवादी शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा है और धनराशि देने से दिनांक 12.12.2017 को मना कर दिया।

6. प्रतिवादी ने वादी को उस रकम का संदाय नहीं किया है।

7. यह कि प्रस्तुत वाद के लिए वाद हेतुक दिनांक 12 दिसंबर, 2017 को जब प्रतिवादी ने धनराशि देने से इंकार कर दिया उत्पन्न हुआ।

8. यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति न्यायालय के प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत स्थित है। अतः न्यायालय प्रस्तुत वाद की सुनवाई हेतु सक्षम है।

9. यह कि क्षेत्राधिकार एवं न्यायालय शुल्क प्रयोजन हेतु वाद का मूल्य 20,000 रुपये है। जिस पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है।

अनुतोष

अतः वादी प्रार्थना करता है कि-

1. जरिए आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादी को निर्देशित किया जाए कि वह अविलंब वादी को 50,000/- रुपये मय ब्याज अदा करे।

2. वादी को प्रतिवादी से 5,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति दिलवायी जाए।

3. वाद का खर्चा वाद को दिलाया जाए।

हस्ताक्षर
रामकुमार
वादी

सत्यापन

मैं रामकुमार उपरोक्त वादी एतदद्वारा यह सत्यापित करता हूं कि इस वाद-पत्र के पैराग्राफ 1 से 7 की अंतर्वस्तुएं मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य व सही हैं और पैराग्राफ 8 एवं 9 की अंतर्वस्तुओं को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन को आज 2 फरवरी, 2018 को न्यायालय के प्रांगण में हस्ताक्षरित करता हूं।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर
वादी हस्ताक्षर
रामकुमार
हस्ताक्षर अधिवक्ता

प्रतिवाद-पत्र

सिविल जज (जू.डि.)

वाद सं. ..... सन् 2017

रामकुमार पुत्र श्यामकुमार उम्र लगभग 35 वर्ष

निवासी म.सं. 30 .....वादी

बनाम

महेश कुमार पुत्र वचन उम्र लगभग 40 वर्ष

निवासी ..... म.सं. 60 प्रतिवादी

वादी निम्नलिखित कथन करता है-

1. यह कि पैराग्रॉफ (1) की अंतर्वस्तुएं स्वीकार हैं।
2. यह कि पैराग्रॉफ (2) की अंतर्वस्तुएं आंशिक रूप से सही हैं सम्पूर्ण तथ्य नहीं रखे गए हैं।
3. यह कि पैराग्रॉफ (3) की अंतर्वस्तुएं आंशिक रूप से सही हैं सम्पूर्ण तथ्य नहीं रखे गए हैं।
4. यह कि पैराग्रॉफ (4) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
5. यह कि पैराग्रॉफ (3) की अंतर्वस्तुएं स्वीकार हैं।
6. यह कि पैराग्रॉफ (6) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
7. यह कि पैराग्रॉफ (7) की अंतर्वस्तुएं स्वीकार हैं।
8. यह कि पैराग्रॉफ (8) की अंतर्वस्तुएं स्वीकार हैं।
9. यह कि पैराग्रॉफ (8) की अंतर्वस्तुएं स्वीकार हैं।

अतिरिक्त अभिकथन

10. यह कि वादी द्वारा वास्तविक तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी या प्रतिवादी के मध्य एक फर्म का निर्माण हुआ था परंतु लाभ न होने के कारण फर्म का विघटन कर दिया गया और यह शर्तें आरोपित की गई कि प्रतिवादी को फर्म की शेष सम्पत्ति इस शर्त पर मिली कि यदि फर्म पर कोई देनदारी होती है, तो प्रतिवादी की देयता होगी।
11. यह कि प्रतिवादी उक्त शर्त से तभी बाध्य होगा जब वह देयता फर्म के किसी कार्य से हुआ हो प्रतिवादी वादी के किसी कृत्य से होने वाले क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है।
12. यह कि मोहन कुमार के पक्ष में जो एक लाख रुपये की देयता थी वह वादी के स्वयं का कृत्य था वादी ने बिना प्रतिवादी को बताए फर्म की तरफ से कार्य न करते हुए संविदा कर ली थी जिसके लिए वादी स्वयं जिम्मेदार है।

13. यह कि प्रश्नगत मामले में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है।वादी द्वारा जानबूझकर झूठा वाद प्रस्तुत किया गया।

14. कि वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया वाद में न्याय-शुल्क अपर्याप्त है।

15. कि वाद विबंध के सिद्धांत से बाधित है।

16. यह कि उक्त कारणों से वाद खारिज किए जाने योग्य है।

अतः वाद व्यय सहित खारिज किया जाए ताकि न्याय हो।

हस्ताक्षर
महेश कुमार
प्रतिवादी

सत्यापन

मैं महेश कुमार ऊपर नामांकित प्रतिवादी एतदद्वारा यह सत्यापित करता हूं कि लिखित कथन के पैराग्राफ 1 से 7 तथा 10 से 12 तक कि अंतर्वस्तुएं मेरी निजी जानकारी में सत्य तथा पैराग्राफ 8, 9, 14, 15, 16 की अंतर्वस्तुएं को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन को आज दिनांक 3 मार्च, 2018 को सिविल न्यायालय के प्रांगण में हस्ताक्षरित करता हूं।

दिनांक हस्ताक्षर अधिवक्ता
स्थान

विवाद्यक

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दु उत्पन्न होते हैं।

1. क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर जरिये आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादी को आदेशित किया जा सकता है कि वह वादी को संविदा की शर्तों के अनुरूप क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रूपये मय ब्याज प्रदान करें?

2. क्या दावा वादी अधोमूल्यांकित है और न्याय-शुल्क अपर्याप्त है?

3. क्या दावा वादी विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है?

4. क्या दावा वादी विबंध के सिद्धांतों से बाधित है?

5. क्या दावा-वादी बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है?

6. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष के पाने का हकदार है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और नहीं पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

5. वादी के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण अभियोजन चलाने के वाद क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत वाद-पत्र का मॉडल

सिविल जल (जू.डि.) लखनऊ

वाद सं0....सन् 2017

रामकुमार पुत्र श्यामकुमार उम्र लगभग..... वादी

बनाम

महेश कुमार पुत्र वचन उम्र लगभग 40 वर्ष

निवासी....म.सं. 60....लखनऊ..... प्रतिवादी

उक्त वादी राजकुमार यह कथन करता है कि–

1. वादी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा वादी सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात है और अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन करता चला आ रहा है तथा समाज में उसे काफी इज्जत और प्रतिष्ठा प्राप्त है।
2. प्रतिवादी जिसका मकान वादी से सटा है उससे पारिवारिक विवाद भी है तथा वह वादी से जलन रखता है इस कारण उसने एक झूठा परिवाद न्यायालय में दाखिल कर दिया तथा न्यायालय द्वारा उसमें गैर-जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया और मुझे 3 दिन कारावास में रहना पड़ा।
3. कि बाद में वादी को दोषमुक्त इस आधार पर किया गया कि प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर झूठा मुकदमा किया गया था इससे मुझे काफी मानसिक संताप हुआ तथा उस मुकदमें में 20,000 रुपये व्यय भी हुआ।
4. यह कि प्रस्तुत वाद के लिए वाद हेतुक दिनांक 12 दिसंबर, 2017 को जब प्रतिवादी ने झूठा मुकदमा दायर किया तब उत्पन्न हुआ।
5. यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति न्यायालय के प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत स्थित है। अतः न्यायालय प्रस्तुत वाद की सुनवाई हेतु सक्षम है।
6. यह कि क्षेत्राधिकार एवं न्यायालय शुल्क प्रयोजन हेतु वाद का मूल्य 20,000 रुपये है। जिस पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है।

अनुतोष

अतः वादी प्रार्थना करता है कि–

1. जरिए आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादी को निर्देशित किया जाए कि वह वादी को 20,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करे।
2. वादी को प्रतिवादी से 5,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए।
3. वाद का खर्चा वाद को दिलाया जाए।

दिनांक (हस्ताक्षर)

स्थान रामकुमार

वादी

सत्यापन

मैं रामकुमार उपरोक्त वादी एतदद्वारा यह सत्यापित करता हूं कि इस वाद-पत्र के पैराग्राफ 1 से 3 की अंतर्वस्तुएं मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य व सही हैं और पैराग्राफ 3 व 6 की अंतर्वस्तुओं को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन को आज 1 फरवरी, 2018 को लखनऊ न्यायालय के प्रांगण में हस्ताक्षरित करता हूं।

लखनऊ

1 फरवरी, 2018 हस्ताक्षर

रामकुमार

वादी हस्ताक्षर

एडवोकेट

वादी की तरफ से प्रस्तुत विद्वेष पूर्ण अभियोजन के वाद-पत्र के प्रतिवाद-पत्र का मॉडल

समक्ष न्यायालय

सिविल जज (जू.डि.) इलाहाबाद

वाद सं.....सन् 2014

रामकुमार पुत्र श्यामकुमार उम्र लगभग 50 वर्ष

निवासी ..... जनपद ..... वादी

बनाम

महेश कुमार पुत्र वचन उम्र लगभग 40 वर्ष

निवासी ..... जनपद ..... प्रतिवादी

प्रतिवादी निम्नलिखित कथन करता है–

1. यह कि पैराग्राफ (1) की अन्तर्वस्तुएं स्वीकार हैं।
2. यह कि पैराग्राफ (2) की अंतर्वस्तुएं कथित रूप से स्वीकार नहीं हैं।
3. यह कि पैराग्राफ (3) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
4. यह कि पैराग्राफ (4) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
5. यह कि पैराग्राफ (3) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।
6. यह कि पैराग्राफ (6) की अंतर्वस्तुएं अस्वीकार हैं।

7. यह कि वादी के पक्ष में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ जैसा कि पैराग्रफ (7) में बताया गया है।

8. यह कि पैराग्राफ (8) में कथित न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार है।

9. यह कि पैराग्राफ (9) में कथित विवरण अस्वीकार है।

अतिरिक्त अभिकथन

10. यह कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध कोई झूठा मुकदमा प्रस्तुत नहीं किया था बल्कि वास्तविक घटना के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया था।

11. कि वादी बदमाश किस्म का व्यक्ति है इसके प्रभाव में आकर परिवाद के साक्षियों ने घटना का सही विवरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।

12. कि वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया वाद में न्याय शुल्क अपर्याप्त है।

13. कि वाद विवन्ध के सिद्धांत से बाधित है।

14. यह कि उक्त कारणों से वाद खारिज किए जाने योग्य है।

अतः वाद व्यय सहित खारिज किया जाए ताकि न्याय हो।

दिनांक हस्ताक्षर

स्थान महेश कुमार

प्रतिवादी

सत्यापन

मैं महेश कुमार उपरिनामांकित प्रतिवादी एतदद्वारा यह सत्यापित करता हूं कि लिखित कथन के पैराग्राफ 1 से 7 तथा 10 से 13 तक कि अंतर्वस्तुएं मेरी निजी जानकारी में सत्य तथा पैराग्राफ 14 एवं 9 की अंतर्वस्तुओं को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन को आज दिनांक 3 मार्च, 2018 को सिविल न्यायालय लखनऊ के प्रांगण में हस्ताक्षरित करता हूं।

लखनऊ

3 मार्च, 2014

हस्ताक्षर

महेश कुमार

प्रतिवादी

हस्ताक्षर

एडवोकेट

विवाद्यक

1. क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर वादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है?

2. क्या वाद का मूल्यांकन सही किया गया है?
3. क्या पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?
4. क्या दावा वादी पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित है?
5. क्या दावा वादी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधनों से बाधित है?
6. क्या वादी किसी अन्य अनुताष के पाने का हकदार है?

वाद-पत्र के साथ प्रस्तुत होने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप

सक्षम न्यायालय

सिविल जज (जू.डि.) जनपद का नाम...

वाद सं. ..... सन् .....

वादी का नाम, पिता का नाम ..... उम्र ..... पता .....

बनाम

प्रतिवादी का नाम पिता का नाम ..... उम्र ..... पता .....

शपथकर्ता वादी का नाम ..... वादी के पिता का नाम ..... उम्र .....

पता ..... निम्न कथन शपथपूर्वक करता है कि

1. वादी नाम ..... पिता का नाम ..... उम्र ..... पता ..... का निवासी है तथा वादी द्वारा यह वाद योजित किया गया है।
2. इस वाद-पत्र का पैरा सं. ..... से ..... तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से एवं पैरा सं. ..... से ..... तक विधिक राय के अनुसार है जिसके सही होने का विश्वास है।

दिनांक

स्थान

शपथकर्ता

(वादी का नाम)

प्रतिवाद-पत्र के साथ प्रस्तुत होने वाले शपथ-पत्र का मॉडल

सक्षम न्यायालय

सिविल जज (जू.डि.) जनपद का नाम

वाद सं. ..... सन .....

वादी का नाम ..... पिता का नाम ..... उम्र ..... पता .....

बनाम

प्रतिवादी का नाम ..... पिता ..... उम्र ..... पता .....

शपथकर्ता वादी का नाम ..... वादी के पिता का नाम ..... उम्र ..... पता .....

निम्न कथन शपथपूर्वक करता है

1. कि प्रतिवादी नाम ..... पिता का नाम ..... उम्र ..... पता ..... का निवासी है तथा इस वाद का प्रतिवादी है।
2. कि प्रतिवादी का पैरा सं. ..... से ..... पैरा तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य है तथा पैरा ..... से ..... तक विधिक राय के अनुसार है जिसके सत्य होने पर विश्वास है।

दिनांक

स्थान

शपथकर्ता

(वादी का नाम)

6. विभिन्न मामलों में विरचित वाद बिन्दुओं का मॉडल

(1) विवादित भूमि पर मालिक काबिज घोषित करने के संबंध में।

(2) वसीयतनामा को शून्य घोषित करने के संबंध में।

(3) मालिक काबिज घोषित करने के संबंध में।

(4) वसीयतनामा के निरस्तीकरण के संबंध में।

(5) वाद पत्र निरस्त किए जाने के संबंध में।

(6) वसूली के वाद का विवाद्यक।

(7) ,, ,, ,, ,,

(8) ,, ,, ,, ,,

(9) विवादित भूमि पर मालिक काबिज का विवाद्यक।

(10) बंटवारे के वाद का विवाद्यक।

(11) भूमि पर पुनः कब्जे का विवाद्यक।

(13) बंटवारे के वाद का विवाद्यक।

(14) कब्जा हटाने संबंधी वाद का विवाद्यक।

1. वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद विन्दु उत्पन्न हुएः-

1. क्या वादी विवादित सम्पत्ति जिसका विवरण वाद-पत्र के अन्त में दिया गया है का मालिक काबिज व स्वामी है?
2. क्या दावा वादी अधो मूल्यांकित है व न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

3. क्या दावा वादी श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है?

4. क्या दावा वादी धारा-34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

5. क्या दावा वादी दफा 331 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम से बाधित है?

6. क्या दावा वादी मौन सम्मति व विवन्ध के सिद्धांत से बाधित है?

7. क्या दावा वादिनी पक्षकारों के कुसंयोजन के दोष से बाधित है?

8. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया। दिनांक 14.12.2017 को पेश हों।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम...

2. वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुएः-

1. क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर वसीयतनामा दिनांकित 14.12.2017 को पेश है?

2. क्या दावा वादिनी अधोमूल्यांकित है व न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

3. क्या दावा वादी श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है?

4. क्या दावा वादी काल बाधित है?

5. क्या दावा वादिनी धारा-34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

6. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 जा.दी. से बाधित है?

7. क्या दावा वादी मौन सम्मति व विवन्ध के सिद्धांत से बाधित है?

8. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

अपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया। दिनांक 14.12.2017 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम...

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम

श्रीमती सहबुनिशा बनाम श्रीमती सितारा

मूलवाद संख्या

3. वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत/पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुए-

1- क्या दावा वादिनी अराजी संख्या-1199 रबका 0.860 हे. के जुज भाग 02 डिसमिल जिसे वाद-पत्र में अक्षर ए, बी, सी, डी से दर्शित किया गया है पर मालिक काबिज व दाखिल हैं?

2- क्या दावा वादिनी अधो मूल्यांकित है व न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

3- क्या दावा वादिनी पोषणीय नहीं है?

4- क्या दावा वादिनी धारा-34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

5- क्या दावा वादिनी विवन्ध के सिद्धांत से बाधित है?

6- क्या दावा वादिनी पक्षकारों के असंयोजन व कुसंयोजन के दोष से बाधित है?

7- क्या वादिनी किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारिणी है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया। वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-02 दिनांक 14.12. 2017 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम...

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम

लोकनाथ बनाम जयश्री

मूलवाद संख्या

4. वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत/पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुए-

1- क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांकित 14.09.2003 में वर्णित सम्पत्ति धनराशि को वादी पाने का अधिकारी है बैनामा दिनांकित 16.12.2003 निरस्त किए जाने योग्य है?

2- क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

उपरोक्त बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों

द्वारा बल दिया। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 20.11.2017 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम...

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम
गनेशदास बनाम शिव पार्वती मंदिर
मूलवाद संख्या

5. वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत/पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुए-

1- क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर दानपत्र दिनांक 26.12.1986 निरस्त किए जाने योग्य है?

2- क्या दावा वादी अधो मूल्यांकित है व न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

3- क्या दावा वादी श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है?

4- क्या वादा वादी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा-38 व 41 से बाधित है?

5- क्या दावा वादी मौन सम्मति व विवन्ध के सिद्धांत से बाधित है?

6- क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया। वास्ते निरस्तारण वाद बिन्दु संख्या-02 दिनांक 07.10.2017 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम...

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम
भारतीय स्टेट बैंक बनाम रमेश चंद्र मिश्रा
मूलवाद संख्या

6. पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुए-

1- क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर वादी मु. 1,57,851/- रुपये वसूल कर पाने का अधिकारी है?

2- क्या दावा वादी काल बाधित है?

3- क्या दावा वादी पोषणीय नहीं है?

4- क्या दावा वादी आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से बाधित है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया। कोई प्रारंभिक वाद बिन्दु नहीं बनता है। पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत की जाती है एवं वादी प्रत्येक स्थिति में दिनांक 16.10.2017 तक अपने संपूर्ण साक्षियों की सूचीमय शपथ-पत्र प्रस्तुत करें। नियत तिथि तक इस आदेश का अनुपालन न करने पर उसके साक्ष्य का अवसर स्वमेव समाप्त हो जाएगा।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम
भारतीय स्टेट बैंक बनाम रमेश चंद्र मिश्रा
मूलवाद संख्या-72/2000

7. 04.10.2017 वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत/पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुए-

1- क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर वादी मु. 56, 656/- रुपये वसूल कर पाने का अधिकारी है?

2- क्या दावा वादी काल बाधित है?

3- क्या दावा वादी पोषणीय नहीं है?

4- क्या दावा वादी आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से बाधित है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम
भारतीय स्टेट बैंक बनाम रमेश चंद्र मिश्रा
मूलवाद संख्या

8. वाद पुकार पत्रावली प्रस्तुत पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिक्क्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिक्चनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिदु उत्पन्न हुए-

1- क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर वादी मु. 48,543/- रुपये वसूल कर पाने का अधिकारी है?

2- क्या दावा वादी काल बाधित है?

3- क्या दावा वादी पोषणीय नहीं है?

4- क्या दावा वादी आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से बाधित है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम
सुवाष आदि बनाम नथुनी आदि
मूलवाद संख्या

9. 27.09.2018 वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत/पुकार उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद-बिन्दु उत्पन्न हुए :-

1- क्या वादीगण अराजी संख्या-641 रकबा 0.462 हे. में स्थित विवादित भू-भाग जिसे वाद-पत्र में अक्षर च, छ, ग, घ से दर्शित किया गया है पर मालिक काबिज व दाखिल हैं?

2- क्या दावा वादीगण अधो मूल्यांकित है व न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

3- क्या दावा वादीगण श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है?

4- क्या दावा वादीगण विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा-38 व 41 से बाधित है?

5- क्या दावा वादीगण मौन सम्मति व विवन्ध के सिद्धांत से बाधित है?

6- क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,

जनपद का नाम

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम

कोइली उर्फ कलावती बनाम सत्यनारायन

मूलवाद संख्या

10. 27.09.2017 वाद पुकार पत्रावली प्रस्तुत/पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुए-

1- क्या वादी वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर वाद में प्रदर्शित नक्शा नजरी अक्षर ए,बी,सी,डी,ई,एफ,आई व खाली भूमि अक्षर एम,एन,ओ,पी में 1/3 भाग पाने की अधिकारिणी है?

2- क्या दावा वादी अधो मूल्यांकित है व न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

3- क्या दावा वादी स्टांप एवं एक्वीजेंस दोष बाधित है?

4- क्या वादिनी किसी अन्य अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम

गोपाल नारायन बनाम मकतब जामिया

मूलवाद संख्या

11. 18.09.2018 वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत/पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुए :-

1- क्या वादी वाद-पत्र में अक्षर क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, थ से दर्शित भू-भाग को खाली कराकर उसे प्राप्त करने का अधिकारी है?

2- क्या दावा वादी अधो मूल्यांकित है?

3- क्या दावा वादी न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

4- क्या दावा वादी पक्षकारों के असंयोजन तथा कुसंयोजन के दोष से बाधित है?

5- क्या दावा वादी 34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

6- क्या दावा वादी काल बाधित है?

7- क्या दावा वादी श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम

रघुनाथ बनाई ईश्वरचंद्र

मूलवाद संख्या

12. वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत/पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुए-

1- क्या वादीगण वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर बैनामा दिनांकित 12.05.2000 को मंसूख करा पाने का अधिकारी है?

2- क्या दावा वादीगण अधो मूल्यांकित तथा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

3- क्या दावा वादीगण मौन सम्मति एवं विवन्ध सिद्धांत से बाधित है?

4- क्या दावा वादीगण विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के धारा 38 व 41 से बाधित है?

5- क्या दावा वादीगण श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है?

6- क्या दावा वादीगण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा-331 से बाधित है।

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड जनपद का नाम

शैलेश बनाम श्रीमती श्यामदेव

मूलवाद संख्या

13. वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत/पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुए :-

1- क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर वादी अराजी संख्या-208 रकबा 0.2870 हेक्टेयर के 1/4 भाग यानि 28 डिसमिल जिले वाद-पत्र में अक्षर क, ख, ग, घ से दर्शित किया गया है का वादी स्वत्व अधिपत्य भोगी है?

2- क्या दावा वादी असंयोजन तथा कुसंयोजन दोष से बाधित है?

3- क्या दावा वादी 34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

4- क्या दावा वादी काल बाधित है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम...

14. वाद पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत/पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु उत्पन्न हुए :-

1- क्या वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर वादिनी के पक्ष में इस आशय का व्यादेश जारी किया जा सकता है कि अराजी संख्या-1742 रकबा 0.022 हे. पर प्रतिवादी जो इंटरलार्किंग की गई है उसे हटाकर उसको साफ कर दिया जाए?

2- क्या वाद का मूल्यांकन सही किया गया है एवं पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?

3- क्या दावा वादी आदेश 1 नियम 10 जा.दी. अधिनियम से बाधित है?

4- क्या दावा वादी धारा-34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया।

पीठासीन अधिकारी का नाम
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
जनपद का नाम...

*****

अध्याय-9
सिविल मामले में निर्णय का प्रारूप

(1) सिविल मामलों में निर्णय की पद्धति आपराधिक मामलों से भिन्न होती है। क्योंकि सिविल मामलों में साक्ष्यों के अवमूल्यन की पद्धति अलग होती है।

(2) जिस पेज पर आप निर्णय लेखन का कार्य करते हैं उस पेज के सबसे ऊपर न्यायालय का नाम लिखते हैं।

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) (जनपद) का नाम

(3) इसके उपरान्त पीठासीन अधिकारी अर्थात न्यायाधीश का नाम लिखते हैं। ध्यान रहे आपको परीक्षा में नाम नहीं लिखना है।

2- पीठासीन अधिकारी उ.प्र. न्यायिक सेवा

(4) वाद के पक्षकारों का नाम व पता

श्री.....

.....

वादी

बनाम

श्री.....

.....

प्रतिवादी

(5) पक्षकारों की तरफ से उपस्थित अधिवक्तागण का नाम-

वादी के अधिवक्ता श्री.....

प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री

(6) इसके उपरान्त कागज के मध्य में निर्णय लिखेंगे।

निर्णय

(7) निर्णय के प्रथम पैराग्राफ में वादी द्वारा जिस हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, उस संबंध में विवरण संक्षिप्त में लिखते हैं।

वादी द्वारा प्रतिवादी पक्ष के विरुद्ध यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

(8) निर्णय के अग्रिम चरण में वादी द्वारा प्रस्ताव वाद-पत्र में जो कथन किया गया है उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना होता है।

वाद-पत्र का संक्षिप्त कथन

(9) पुनः प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत प्रतिवाद-पत्र का संक्षिप्त कथन लिखा जाता है।

प्रतिवाद-पत्र का कथन

(10) प्रतिवाद-पत्र के कथनों को अंकित करने के बाद मामले से संबंधित वाद बिन्दु को अंकित करते हैं।

वाद बिन्दु पूर्व में ही विरचित किए जा चुके होते हैं।

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दु विरचित किए गए हैं :-

1-

2-

3-

(11) वाद बिन्दु के संबंध में विवरण अंकित करने के वाद वादी की तरफ से प्रस्तुत मौखिक साक्षी व दस्तावेजी साक्ष्य तथा प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का वर्णन किया जाता है।

(12) इसके उपरान्त अग्रिम पैराग्राफ में निम्न कथन अंकित किया जाता है-

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना एवं संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

(13) इसके उपरान्त परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर जो विवाद्यक विरचित किए गए हैं उनमें से एक-एक विवाद्यक पर अपना मत रखते हैं, जो पक्षकारों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर आधारित होता है। यहीं पर पक्षकारों द्वारा किए गए बहस को अंकित करते हैं।

निस्तारणवाद बिन्दु सं. 1

निस्तारणवाद बिन्दु सं. 2

(14) समस्त वाद बिन्दुओं के निस्तारण के बाद न्यायालय वाद को स्वीकार्य करने या अस्वीकार्य करने के निश्चित मत पर पहुंचती है एवं यह भी निर्धारित करना होता है। वाद के निस्तारण करते समय वाद सव्यय स्वीकार्य करना है या खारिज करना है।

आदेश

वादी का वाद सव्यय स्वीकार्य किया जाता है। प्रतिवादी पक्ष को (जो अनुतोष याचिक है उसके संबंध में लिखा जाएगा)

या

दावा वादी सव्यय खारिजा किया जाता है।

या

दावा वादी खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे

दिनांक न्यायालय का नाम

15- निर्णय का अन्तिम भाग निम्नवत होगा

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक न्यायालय का नाम

*****

अध्याय-10
सिविल मामले से संबंधित मॉडल निर्णय

2. स्थायी व्यारेश के मामले में पारित निर्णयः-

न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड).....

उपस्थितः .....(उ.प्र. न्यायिक सेवा)

मूलवाद संख्या-

शंकर पुत्र धुमई उम्र 45 वर्ष

निवासी मौजा ..... तप्पा-..... परगना

तहसील- ..... जिला .....

बनाम

फूला देवी पत्नी बसन्त

निवासी मौजा ..... तप्पा-..... परगना

तहसील- ..... जिला .....

.....प्रतिवादिनी

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादिनी के विरुद्ध स्थायी व्यादेश हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में वाद-पत्र के अनुसार, वादी का कथन इस प्रकार है कि वादी मौजा बसन्तुपुर वटौरा, तप्पा- .... परगना-..... तहसील..... जिला .....का पुश्तैनी निवासी है जहां वादी पूर्वजों के जमाने से मालिक काबिज चला आ रहा है। वादी ने जमींदारी उन्मूलन के बहुत पहले एक टुकड़ा जमीन अक्षर अ,ब,स,द रकबा 5 डि. हासिल किया और हासिलकर्ता भूमि के एक टुकड़े में एक फूस का मकान बगिया भूमि को नांद व बांस आदि लगाकर बतौर सहन एवं गृहस्थी कार्य करते चले आ रहे हैं। बादहू वादी ने पुराने फूस के मकान की जगह पक्की दिवार बनवा कर उस पर झोपड़ी डलवा कर बाकी जमीन बतौर सहन, नांद व बांस आदि का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादिनी भी मौजा ....., तप्पा ..... परगना ..... तहसील .... जिला ..... की निवासिनी है। वादी ने ग्राम सभा के चुनाव ग्राम प्रधान का खुलकर विरोध किया तथा जिससे वह वादी के रंजिश के कारण वादी की

पुश्तैनी भू-खण्ड में स्थित पक्की दिवार पर स्थित फूस की झेपड़ी मय नांद सहन मय बांस आदि से बेदखल कर देना चाहती है। प्रतिवादिनी अनुसूचित जाति की महिला है। दिनांक 24.04.1997 को करीब 8.00 बजे सुबह एक नाजायज गोल कायम करके लाठी डण्डा से लैश होकर प्रतिवादिनी वादी के नांद व मकान को क्षतिग्रस्त करने की धमकी देने लगी, मना करने पर आमादा फौजदारी होने लगी। जिससे वाद कारण उत्पन्न होना बताने हुए इस न्यायालय के क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत स्थायी आदेश का वाद योजित किया गया। वादी ने यह अनुतोष याचित किया कि प्रतिवादिनी को जिरिये इम्तनाई व्यादेश मना किया जाए कि वह .....तप्पा-....परगना.....तहसील.... जिला.... में स्थित भू-खण्ड नक्शा नजरी अक्षर अ,ब,स,द रकबा 04 डि0 त्तरंग सुर्ख में स्थित पोख्ता झोपड़ी, नांद, बांस आदि के कब्जा दखल में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे और न ही वादी को बेदखल करे और नही क्षतिग्रस्त करे।

प्रतिवादिनी की एक तरफ जवाब दावा 25 क व आपत्ति 28 ग प्रस्तुत कर, वाद-पत्र के पैरा'-1 या 24 में दिए गए कथनों से इन्कार किया गया और अतिरिक्त कथन किया है कि वादी प्रश्नगत भू-खण्ड पर ना तो काबिज दाखिल है और न ही उनका स्वामी है। वादी का एक कथन असत्य है कि उसने जमींदारी उन्मूलन के बहुत पहले से मौजे के जमींदार से एक टुकड़ा अक्षर अ,ब,स,द रकबा 04 डि0 हासिल किया और उस भूमि में एक टुकड़े में फूस का मकान तथा शेष भूमि में नांद व बांस आदि लगाकर बतौर सहन एवं अन्य गृहस्थी कार्य करता चला आ रहा है और उक्त भूमि पर काबिज दाखिल है तथा उक्त भू-खण्ड दफा 9 जमीन्दारी विनाश अधिनियम के तहत वादी के साथ सेटिल्ड हो गया। सत्य कथन यह है कि वादी कभी भी उक्त भू-खण्ड पर न तो काबिज दाखिल रहा हौर न तो उक्त भू-खण्ड उसे जमींदार से प्राप्त हुआ। उक्त भू-खण्ड पर प्रतिवादिनी के पति पूर्वजों के जमाने से काबिज दाखिल चले आ रहे हैं तथा उक्त में बांस व फूस भवन के स्वामी प्रतिवादिनी के पति हैं। वादी प्रतिवादिनी के सहन में कब्जा करके निर्माण कर लेना चाहता था इसी क्रम में दिनांक 19.11.1996 को प्रश्नगत भू-खण्ड पर वादी कब्जा करने लगा जिस पर प्रतिवादिनी ने मना किया तो प्रतिवादिनी के सिर पर कुदाल से प्रहार कर दिया जिससे प्रतिवादिनी को काफी चोटें आई। प्रश्नगत भू-खण्ड प्रतिवादिनी के पति के मकान के सामने स्थित था और उक्त भू-खण्ड का प्रयोग बतौर सहन पूर्वजों के जमाने से ही करते चले आ रहे हैं। उक्त में दक्षिण-पश्चिम तरह एक कोठ बांस भी लगाए हैं जिसका उपयोग पति प्रतिवादिनी ही करते चल आ रहे थे। चूंकि उक्त भूखण्ड खाली था और अराजी संख्या-667 का भाग था, इसलिए उप-जिलाधिकारी .....द्वारा प्रतिवादिनी के पक्ष में पट्टा कर दिया गया और पट्टे की स्वीकृति दिनांक 28.01.1996 को कर दी गई। पति प्रतिवादिनी ने विवादित सहन भूमि में एक झोपड़ी भी डाल दिया है और पशुओं को चारा खिलाने के लिए नांद भी बनवाया है। अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं है तथा वाद पक्षकारों के असंयोजन के दोष से दूषित है। वाद का मूल्यांकन कम किया गया है एक प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है, दावा विवन्धन एवं मौन स्वीकृति के सिद्धांत से बाधित है, दावा काल बाधित है। उपरोक्त आधारों पर दावा वादी खारिज किए जाने की याचना की गई है।

वादी के जवाबुल जवाब कागज संख्या-36 ग में यह कथन किया गया है प्रतिवादिनी का यह कथन बिल्कुल गलत है कि प्रश्नगत विवादित भू-खण्ड पर प्रतिवादिनी के प्रति पूर्वजों के जमाने से काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। जबकि सत्यता यह है कि वादी ने जमींदारी उन्मूलन के बहुत पहले से एक टुकड़ा जमीन अक्षर अ,ब,स,द रकबा 04 डि हासिल किया और उस भूमि में एक टुकड़े में फूस का मकान तथा शेष भूमि में नांद व बांस आदि लगाकर बतौर सहन अन्य गृहस्थी कार्य करता चला आ रहा है। उक्त भूमि दफा 9 जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत वादी के साथ सेटिल्ड हो गया। प्रतिवादिनी के जवाबदेही के पैरा 21 व 19 आपस में स्वयं विरोधाभास पैदा कर रहे हैं यदि प्रश्नगत विवादित भू-खण्ड जियमें वादी का फूस का भवन आदि है जिस पर वादी काबिज दाखिल चला आ रहा है यदि प्रतिवादिनी के पति का पुश्तैनी सम्पत्ति होता तो तथा कथित जाली व फर्जी ढंग से एक पट्टा की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती तथा यदि किसी प्रकार गलत एवं फर्जी ढंग से पट्टा वजूद में आया हो तो उसका कोई प्रभाव वादी के प्रश्नगत विवादित भू-खण्ड पर नहीं पड़ेगा। अतः प्रतिवादिनी का कथन वादी के विरुद्ध कपोल कलिपत बनावटी तथा फर्जी है।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 09.04.2002 को निम्नलिखित वाद बिन्दु निर्मित किए हैं:-

1. क्या वादी विवादित अराजी प्रदर्शित नक्शा नजरी वाद-पत्र अक्षर अ,ब,स,द रकबा 04 डि. वरंग सुर्ख का स्वामी व अधिपत्य भोगी है?
2. क्या दावा अधो मूल्यांकित है एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या दावा विवन्धन व मौन सम्मति के सिद्धांत से बाधित है?
4. क्या आप के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है?
5. क्या दावा में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?
6. क्या दावा अवधि विधान से बाधित है?
7. क्या दावा दफा-34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
8. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष का अधिकारी है?

वादी की तरफ से अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया तथा मौलिक साक्ष्य में बतौर पी.डब्लू.-1 स्वयं वादी शंकर, बतौर पी.डब्लू.-2 अनिल कुमार तथा पी.डब्ल्यू.-3 मातवर को परीक्षित हुआ है। अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

दस्तावेजी साक्ष्य

प्रतिवादिनी की तरफ से तथा मौखिक साक्ष्य में बतौर डी.डब्लू.-1 स्वयं प्रतिवादिनी फूला देवी डी.डब्लू.-2 बसन्त तथा डी.डब्लू.-3 रामनरायन व डी.डब्लू.-4 कैलाश को परीक्षित कराया गया और उनकी तरफ से अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कपूर्ण बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का सम्यक् आवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात, प्रत्येक वाद बिन्दु पर निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः-

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-1ः-

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित अराजी प्रदर्शित नक्शा नजरी वाद-पत्र अक्षर अ,ब,स,द रकबा 04 डी.वरंग सुर्ख का स्वामी व अधिपत्य भोगी है? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है। वादी का कथन है विवादित भूमि वाद-पत्र के नक्शा अक्षर अ,ब,स,द मौजा..... तप्पा..... परगना.... तहसील.... जिला... का निवासी है जिस पर वह काबिज दाखिल है। दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं पी.डब्लू.1 के रूप में परीक्षित हुआ है। वादी शंकर ने सशपथ-पत्र पर मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि विवादित भूमि हमारे पूर्वजों की थी उसके पश्चात मुझे मिल गई। जिस पर मैं काबिज दाखिल हूँ विवादित भूमि में मेरा फूस का मकान, बांस 3-4 खूंदा व नांद है तथा कुछ जमीन खाली है जिस पर हमारा कब्जा है। विवादित भूमि में पक्की दीवार पर झोपड़ी स्थित है झोपड़ी के अगल-बगल हमारी सहन की जमीन है। विवादित जमीन की चौहद्दी उत्तर हमारा नांद व पूरब बसन्त की कोलाई है, दक्षिण बसन्त की भूमि है, पश्चिम जंगली का घूरा व केदार का मकान है। विवादित जमीन से फूला देवी का कोई मतलब नहीं है। प्रतिवादिनी फूला देवी जाति की हरिजन महिला है। वर्ष 1997 में मैं ग्राम प्रधानी के चुनाव के विरोध किया था। मेरे विरोध के बावजूद प्रधान जीत गए थे। इसी के विरोध में वह हमारे खिलाफ हो गए। जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा जिरह किया गया। मुख्य परीक्षा में अपने दावे के कथन का पूर्ण समर्थन किया है। दौरान जिरह बताया कि विवादित जमीन का नम्बर मुझे नहीं पता है। सरकारी कागज में विवादित जमीन बंजर तथा आबादी में दर्ज होगा। विवादित जमीन में चकबन्दी के पहले खेती नहीं होता था। चकबन्दी के पहले हमारा ही नम्बर था। साक्षी से यह जब पूछा गया कि विवादित जमीन का प्रतिवादिनी के पक्ष में पट्टा हो गया है तो उसने कहा कि जब मुझे पता चला कि विवादित जमीन का प्रतिवादिनी के पक्ष में पट्टा हो रहा है तब मैंने स्टे ले लिया। पट्टा होने के बाद मैंने स्टे लिया। विवादित जमीन 15-16 हाथ लम्बा व चौड़ा होगा। विवादित जमीन का पट्टा फूला देवी को हुआ है। प्रतिवादिनी के साक्ष्य सूची 40 से

कागज संख्या-41ग जमींदारी विनाश आकार-पत्र 49 च प्रस्तुत किया है। जिसमें विवादित जमीन आराजी संख्या-667 मिलजुला रकबा 1-1/2 डि. अंकित है जिसकी चौहद्दी उत्तर धुमई का चक, दक्षिण 667 अराजी पूरब बसन्त का घर, पश्चिम 667 अराजी। इस भूमि को प्रतिवादिनी के पति बसन्त के पक्ष में दिनांक 28.01.1997 को उप-जिलाधिकारी द्वारा पट्टा किया गया। इस प्रकार वादी ने यह स्वीकार किया कि विवादित भूमि प्रतिवादिनी के पति के पक्ष में पट्टा होने के बाद मुकदमा दाखिल किया गया। इस प्रकार वादी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादिनी के पति के पक्ष में आवंटित है।

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्लू.2 अनिल कुमार ने शपथ लिखित बयान दाखिल किया। जिसमें साक्षी ने कथन किया कि विवादित भूमि शंकर की है जिसमें वह अपने पूर्वजों के जमाने से रह रहे हैं। प्रतिवादिनी फूला देवी हरिजन महिला है। वादी को परेशान करने के लिए वादी के जमीन पर कब्जा करना चाहती है। विवादित जमीन में शंकर की झोपड़ी, बांस, कोठी तथा ईंट की दिवार है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्षी से जिरह किया गया। दौरन जिरह साक्षी के कथन किया कि विवादित जमीन पहले खाली थी। विवादित जमीन का फूला देवी के पक्ष में पट्टा हुआ है कि नहीं। मुझे नहीं मालूम है। मुझे यह जानकारी भी नहीं है कि शंकर द्वारा विवादित जमीन पर कब्जा किया जा रहा है तब फूला देवी ने मना किया तो उसके बीच मार-पीट हुई थी। मैं शंकर के कहने पर गवाही देने आया हूं। इस प्रकार इस साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे वादी के वाद-पत्र में किए गए कथनों का समर्थन मिलता हो।

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्लू.-3 के रूप में मातवर को परीक्षित कराया है। जिसमें साक्षी ने वाद-पत्र के कथनों का समर्थन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह किया गया। दौरान जिरह साक्षी से पूछा गया कि वादी शंकर से आपका कोई रिश्ता है, तो उसने इन्कार कर दिया बादहू अधिवक्ता द्वारा पूछा गया, तो साक्षी ने बताया कि हमारी बहन तथा शंकर की बहन आपस में देवरानी जेठानी है। साक्षी ने आगे कहा कि शंकर हमारे रिश्तेदार हैं। मैं शंकर के कहने पर गवाही देने आया हूं। विवादित जमीन सरकारी अभिलेखों में क्या दर्ज है मुझे नहीं पता। विवादित जमीन का विवाद कब से चल रहा है मुझे जानकारी नहीं है। विवादित जमीन को मैं देख रहा हूं। यह कितने डिसमिल की है मुझे पता नहीं। यह कहना सही है कि मुझे विवादित जमीन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है तथा यह गवाही मैं शंकर के कहने पर देने आया हूं। इस प्रकार साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में अपने मुख्य कथन में इन्कार कर दिया है।

प्रतिवादिनी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में डी.डब्लू.1 स्वयं प्रतिवादिनी फूला देवी ने शपथ पर मुख्य बयान दाखिल किया जिसमें कथन किया कि विवादित जमीन हमारे पूर्वजों की थी। जिस पर वर्तमान समय में मैं काबिज दाखिल हूं। विवादित जमीन में मेरा फूस का मकान, बांस कोठी, 3-4 खूंदा व नांद है। इसके अलावा कुछ जमीन खाली है जिस पर हमारा

कब्जा है। विवादित जमीन की चौहद्दी उत्तर शंकर पुत्र धुमई का घर है। दक्षिण मेरे पति का घर है, पूरब भी मेरा घर है। पश्चिम हमारा सहन दरवाजा है। वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। दौरान जिरह साक्षी ने बताया कि विवादित जमीन की चौहद्दी मैं बता सकती हूं। पुराना मकान के उत्तर मेरा मकान, दक्षिण भी मेरा मकान है। पुराना मकान का निकास पश्चिम है। मेरे पुराने मकान के पूरब खड़ंजा है वह खड़ंजा मेरे मकान से उत्तर-दक्षिण को जाता है। विवादित जमीन में जो भी तामिरात है वह मेरे हैं। विवादित जमीन मेरे पति के पक्ष में पट्टा हुई है। इस प्रकार दौरान जिरह वादी अधिवक्ता ने साक्षी से ऐसा काई साक्ष्य नहीं निकाल पाए जिससे वादी के कथनों का समर्थन होता है।

प्रतिवादिनी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में डी.डब्लू.2 के रूप में बसन्त को प्रस्तुत किया गया है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा का कथन सशपथ दाखिल किया जिस पर वादी के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। दौरान जिरह साक्षी बताया कि विवादित जमीन हमारे मकान के सामने स्थित है जिसका प्रयोग बतौर सहन पूर्वजों के जमाने से करते चले आ रहे है तथा विवादित जमीन में दक्षिण-पश्चिम तरफ एक बांस कोठी है और अन्य जमीन खाली है। चूंकि विवादित भूमि खाली थी और मेरे सहन में प्रयोग आती है जिसका अराजी संख्या- 667 था। इसलिए उप-जिलाधिकारी ..... द्वारा मेरे पक्ष में दिनांक 28.01.1997 का पट्टा कर दिया। उसके बाद उस भूमि में मैंने एक झोपड़ी डाल दिया था पशुओं को खिलाने के लिए नांद खूंदा आदि कायम किया। वादी अधिवक्ता द्वारा जिस तरह किया गया। दौरान जिरह साक्षी ने बताया कि गांव में मेरे पास एक ही जगह मकान है कुछ पक्का व कुछ झोपड़ी है। मेरे मकान से शंकर के मकान की दूरी लगभग 34 मीटर होगी। विवादित जमीन मेरे मकान के सामने है जिसका पट्टा मेरे नाम हुआ है। वह आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व हुआ है। वह पट्टा जमीन पूरी आबादी है। जिसका नम्बर 667 है। पट्टे वाली जमीन की चौड़ाई 12 हाथ व लम्बाई 18 हाथ है वह 1-1/2 डि. है पट्टा मेरे नाम से है। जिसमें मैं पशुओं को खिलाता हूं। इस प्रकार दौरान जिरह साक्षी ने मुख्य परीक्षा को प्रतिपरीक्षा से साबित किया है। साक्षी अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं निकाल पाए जिससे वादी के वाद-पत्र में किए गए कथनों का समर्थन होता है।

प्रतिवादिनी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में डी.डब्लू.3 के रूप में रामनारायन को प्रस्तुत किया गया है। इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। जिससे जिरह नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादिनी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में डी.डब्लू. 4 के रूप में कैलाश को प्रस्तुत किया गया है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा का कथन सशपथ दाखिल किया जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। दौरान जिरह साक्षी ने बताया कि विवादित जमीन का लगभग 18 वर्ष पूर्व प्रतिवादिनी के पति बसन्त के नाम से पट्टा हो गया। जरिए पट्टा का वह काबिज दाखिल है। वादी द्वारा झूठा मुकदमा लाया गया। यह मुकदमा वर्ष 1997 से चल रहा हैं। शंकर और बसन्त में झगड़ा हुआ था। इसकी जानकारी मुझे है। इस झगड़े के अलावा उभयपक्षकारों में और कोई विवाद नहीं है। दौरान जिरह साक्षी ने बताया कि वादी ने अपने ऊपर

कोई मुकदमा नहीं किया है। आज इस मुकदमें ने मुझे गवाही देने के लिए बसन्त लेकर आएं हैं। फूला देवी घर पर है। उन्होंने ने उसे गवाही देने के लिए नहीं कहा था। विवादित जमीन पर शंकर ने स्टे लिया है। स्टे के पहले बसन्त मकान बनावा रहे थे, तब शंकर ने मुकदमा दाखिल किया। स्टे मिलने पर प्रतिपक्षी ने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया और न ही कोई विवाद हुआ था। इस प्रकार दौरान जिरह वादी अधिवक्ता ने कोई ऐसा साक्ष्य नहीं निकाल पाए जिससे वाद-पत्रों के तथ्यों को समर्थन मिलता हो। साक्षी ने विवादित जमीन पर प्रतिवादिनी का कब्जा होना बताया है।

उपयुक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के बावत वादी द्वारा प्रस्तुत मैखिक एवं दस्तावेजों, साक्ष्यों से वाद-पत्र के कथनों को साबित करने में असफल रहा है। दौरान बहस वादी के अधिवक्ता का तर्क था। चूंकि दावा वादी का है, वादी को ही अपने साक्ष्यों से साबित करना होता है। वादी प्रतिवादी की कमी का लाभ नहीं ले सकता। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है। इस प्रकार वाद बिन्दु संख्या- 1 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या- 2:-

यह वाद बिन्दु इस आशय का विचरित किया गया है कि क्या दावा अधो मूल्यांकित है एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है। पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि इस वाद बिन्दु का निस्तारण पूर्व में ही किया जा चुका है। अतएव आदेश दिनांक 09.04.2002 निर्णय एवं आज्ञप्ति का अंश होगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-3:-

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा विवन्धन व मौन सम्मति के सिद्धांत से बाधित है? किन्तु प्रतिवादिनी द्वारा सुनवाई के दौरान इस वाद बिन्दु पर कोई बल नहीं दिया गया, न तो इस संबंध में कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया, तद्नुसार वाद विन्दु संख्या-3 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया गया।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या- 4:-

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादिनी पर है, किन्तु सुनवाई के दौरान प्रतिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा इस वाद बिन्दु पर कोई बल नहीं दिया गया, न तो प्रतिवादिनी की तरफ से प्रस्तुत साक्षी द्वारा ही इस विशिष्ट तथ्य पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तदनुसार वाद बिन्दु संख्या- 4 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-5ः-

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादिनी के अभिवचनों के आधार पर विरचित हुआ है किन्तु सुनवाई के दौरान प्रतिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस वाद बिन्दु पर न तो कोई बल दिया गया, तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-5 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-6ः-

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा अवधि विधान से बाधित है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादिनी के अभिवचनों के आधार पर विरचित हुआ है किन्तु तर्क के दौरान प्रतिवादी पक्ष द्वारा इस वादबिन्दु पर कोई बल नहीं दिया गया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। दावा स्थायी व्यादेश हेतु दाखिल है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-6 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-7ः-

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा दफा-34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादिनी के अभिवचनों के आधार पर विरचित हुआ है, किन्तु सुनवाई के दौरान प्रतिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा इस वाद बिन्दु पर कोई दल नहीं दिया गया, न तो प्रतिवादिनी की तरफ से प्रस्तुत साक्षी द्वारा अपने बयान में ही इस विशिष्ट तथ्यों पर कोई लेशमात्र साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हैं तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-7 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या- 8ः-

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी अन्य अनुतोष का अधिकारी है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विचरित हुआ है, किन्तु सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा इस वाद बिन्दु पर कोई बल नहीं दिया गया, न तो प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत साक्षी द्वारा अपने बयान में ही इस विशिष्ट तथ्यों पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-8 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्त संपूर्ण विवेचनाओं एवं समस्त वाद बिन्दुओं के निस्तारण के फलस्वरूप न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वादी विवादित भूमि पर अपना कब्जा दाखिल साबित नहीं कर पाया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्ष्यों तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी की नहीं है अतः दावा वादी सव्यय खारिज होने योग्य है।

आदेश

वाद वादी सव्यय खारिज किया जाता है।

दिनांक : सिविल जज (अवर खण्ड)

जनपद का नाम

निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक : सिविल जज (अवर खण्ड)

जनपद का नाम

2. स्थायी निषेधाज्ञा में पारित निर्णय

न्यायालय : अपर सिविल जज (क.श्रे.) जनपद का नाम

उपस्थित : पीठासीन अधिकारी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा

मूल वाद संख्या 1116/1997

1. जयराम मौर्य उम्र लगभग 53 वर्ष
2. बलराज उम्र लगभग 56 वर्ष मृतक

निवासीगण मो---थाना----जनपद---

..... वादीगण

बनाम

1. उप-जिलाधिकारी- - - तहसील- - जनपद - - -
2. क्षेत्राधिकारी- - - - -तहसील- - - - जनपद - - -
3. सरकार उ.प्र. द्वारा कलेक्टर।

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा विवादित भूमि के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति हेतु संथित किया गया है।

संक्षेप में वादीगण का अभिकथन इस प्रकार है कि वादीगण भूमि संख्या 437 रकबा 0.057 हे. स्थित मौजा सिरसा परगना मह तहसील के भूमिधर मालिक काबिज व दाखिल है। उक्त भूमि संख्या में उत्तर तरफ वादी के मकान के उत्तर एक कमरा बना हुआ है जिस पर वह कब्जा दाखिल है। विवादित कमरे के उत्तर रामकुमार, सुरेश निवासी ग्राम सिरसा भूमि संख्या 430 स्थित है। उपरोक्त भूमि के बहाने उपरोक्त व उसका पुत्र राम खेलावन व उसके परिवार के लोग विवादित भूमि में वादी के मकान के उत्तर तरफ स्थित कमरे को जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें प्रतिवादीगण उनकी मदद कर रहे हैं। दिनांक 27.05.2017 को प्रतिवादीगण व अन्य कर्मचारी विदित कमरे आकर विवादित कमरे पर कब्जा करने का प्रयास किया मना करने पर धमकी दिए कि जल्दी कब्जा कर लेंगे। वादी ने प्रतिवादीगण व उनके कर्मचारियों व उनके मददगीरों को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा आदेश द्वारा मना किए जाने की याचना की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 राज्य सरकार की ओर से बयान तहरीरी 12 दाखिल करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

उभयपक्ष के अभिवचनों पर दिनांक 21.10.2017 को निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किया गया है–

1. क्या वादीगण विवादित भूमि तथा उस पर स्थित निर्माण के मालिक काबिज व दाखिल है?
2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
3. क्या अदा किया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है?
5. क्या वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं हुआ है?
6. क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?
7. क्या वाद आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है?
8. क्या वाद धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित है?
9. क्या वाद धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित है?
10. वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

वादीगण ने अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में वाद-पत्र के साथ अपने वाद के समर्थन में सूची 8ग के माध्यम से नकल खसरा कागज संख्या 9ग/1 के माध्यम से वाद-पत्र व नक्शा, आदेश-पत्र, प्रार्थना-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि 42ग/2 लगायत 42ग/9 दाखिल किया है।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 के रूप में स्वयं वादी जयराम मौर्य का साक्ष्य शपथ-पत्र 34क/1 लगायत 34क/3 दाखिल किया गया है जिनमें प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। वादीगण द्वारा अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्ततः प्रतिवादीगण के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा मौखिक साक्ष्य एवं पत्रावाली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण विवादित भूमि तथा उस पर स्थित निर्माण के मालिक काबिज व दाखिल है?

वादीगण भूमि संख्या 437 रकबा 0.057 हैं स्थित मौजा परगना तहसील के भूमिधर मालिक काबिज व दाखिल है। उक्त भूमि संख्या में उत्तर तरफ वादी के मकान के उत्तर एक कमरा बना हुआ है जिस पर वह कब्जा दाखिल है। उपरोक्त भूमि के बहाने उपरोक्त व उसका पुत्र राम खेलावन व उसके परिवार के लोग विवादित भूमि में वादी के मकान के उत्तर तरफ स्थित कमरे को जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रतिवादीगण उनकी मदद कर रहे हैं। वादीगण ने रामखेलावन व दौलत के विरुद्ध वाद संख्या - जयराम आदि बनाम रामखेलावन आदि के उन्मान से एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया लेकिन उसके बावजूद विवादित कमरे को जबरन कब्जा करने व अन्य कर्मचारी विवादित कमरे आकर विवादित कमरे पर कब्जा करने का प्रयास किया मना करने पर धमकी दिए कि जल्दी कब्जा कर लेंगे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 राज्य सरकार की ओर से बयान तहरीरी दाखिल करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अब देखना है कि क्या वादीगण अपने साक्ष्य से विवादित भूमि तथा उस पर स्थित निर्माण के मालिक काबिज व दाखिल है या नहीं।

वाद-पत्रों के कथनों को साबित करने के लिए वादी ने अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में वाद-पत्र के साथ संलग्न सूची 8ग के माध्यम से नकल खसरा कागज संख्या 9अ व सूची 42ग/1 के माध्यम से वाद-पत्र व नक्शा, आदेश-पत्र, प्रार्थना-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि 42ग/2 लगायत 42ग/9 एवं वादी ने स्वयं पी.डब्लू. 1 के रूप में परीक्षित कराते हुए अपने मुख्य परीक्षा

में वाद-पत्र में किए गए कथनों का समर्थन किया। वादी द्वारा वाद-पत्र के साथ संलग्न सूची 8ग के माध्यम से नकल खसरा कागज संख्या 9ग व सूची 42ग/1 के माध्यम से वाद पत्र व नक्शा, आदेश-पत्र, प्रार्थना-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि 42ग2 लगायत 42ग/9 राजस्व प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित है कि उपरोक्त अराजी पर कोई निर्माण दर्शित नहीं किया गया है। वादी द्वारा वाद-पत्र के साथ कोई नक्शा नजरी अथवा राजस्व मानचित्र दाखिल नहीं किया गया है। वादी द्वारा विवादित भूमि में न तो कोई लंबाई-चौड़ाई का उल्लेख किया गया है। ऐसे में उक्त अराजी में स्थायी व्यादेश हेतु किसी वास्तविक विशिष्ट माप एवं विशिष्ट भाग पर स्थायी व्यादेश दिया जाए। यह तथ्य वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया गया है।

जहां तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है वादी पी.डब्लू. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया कि भूमि संख्या 437 रकबा 0.057 हे. स्थित मौजा परगना मह तहसील के भूमिधर मालिक काबिज व दाखिल है। उक्त भूमि संख्या 437 के उत्तर तरफ वादी के मकान के उत्तर एक कमरा बना हुआ है जिस पर वह कब्जा दाखिल है। विवादित कमरे के उत्तर दौलत पुत्र बेचई निवासी ग्राम सिरसा भूमि संख्या 436 स्थित है। जिरह में पी.डब्लू.1 ने सशपथ यह बयान किया कि इसी अराजी में मेरा मकान बना हुआ है, जो मकान मैंने अपनी अराजी में बनवाया है उसका विवाद सरकार से है। आगे जिरह में कथन किया कि वर्तमान में सरकार से कोई दिक्कत व परेशानी नहीं है। इस प्रकार पी.डब्लू. 1 वादी जयराम ने जिरह में वाद-पत्र के कथनों के विपरीत कथन किया है।

वादी पी.डब्लू. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया कि विवादित कमरे के उत्तर रामकुमार पुत्र सुरेश निवासी ग्राम सिरसा भूमि संख्या 436 स्थित है। जिरह में कथन किया कि मैं रामकुमार पुत्र सुरेश को जानता हूं इनका मकान मेरे मकान के उत्तर खाली जमीन के उत्तर में स्थित है। खुद कहा कि दौलत का मकान नहीं जमीन है। इस प्रकार पी.डब्लू. 1 वादी जयराम ने वाद व मुख्य परीक्षा जिरह में विरोधाभाषी कथन किए हैं। आगे जिरह में कथन किया कि इस मुकदमें में मैंने वाद-पत्र के साथ विवादित मकान व कमरे की लंबाई-चौड़ाई का नक्शा दाखिल नहीं किया हैं इस प्रकार पत्रावाली पर वादी के साक्ष्य एवं वाद-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखीय साक्ष्य में वर्णित स्थिति से विपरीत स्थिति दर्शित है, जिसका कोई संतोषजनक उत्तर वादी द्वारा नहीं दिया गया है। वादी के मौखिक साक्ष्य अभिलेखीय साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होता है।

प्रतिवादी की ओर से कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया है और प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंततः प्रतिवादीगण के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है। प्रतिवादी की असफलता के आधार पर उसका वाद साबित नहीं माना जा सकता है। यहां माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा एम.एम.वी. कैथोलिकोस बनाम एम.पी. अथनासियश ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट

526 में प्रतिपादित विधि व्यवस्था का अवलोकन उचित होगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया है कि वादी को अपने वाद को साबित करना होगा। प्रतिवादी की असफलता के कारण वह सफल नहीं हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा हबीबुल्लाह आदि बनाम मो. यासिन आदि 1995 आर.डी. 25 पर यह विधि व्यवस्था दी है कि वादी को अपना वाद प्रमाणित करने के लिए अपने ही साक्ष्य पर भरोसा करना पड़ेगा। प्रतिवादी की कमियों के आधार पर वादी का वाद आज्ञप्ति नहीं किया जा सकता। इसी सिद्धांत को पुनः गुरु मुख राममदान बनाम भगवानदास मकान ए.आई.आर. 1998 माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया है कि वादी को अपने वाद को साबित करना होगा। प्रतिवादी की असफलता के कारण वह सफल नहीं हो सकता है। बजरंगलाल शिवचंद्र राय रूइया बनाम शशिकांत एन रूइया (2004) 5 एस.सी.सी. 272 में दोहराते हुए कहा कि वाद-पत्र के कथनों को साबित करने का भार पूर्णतया वादी पर हैं।

इस प्रकार वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वादीगण विवादित भूमि संख्या 437 रकबा 0.057 हे. स्थित मौजा मह तहसील के भूमिधर मालिक काबिज व दाखिल है एवं भूमि संख्या 437 के उत्तर की तरफ वादी जयराम के मकान के उत्तर एक कमरा बना हुआ है जिस पर वादीगण का कब्जा दाखिल है। इस संबंध में वादी द्वारा सूची 8ग के साथ राजस्व प्रपत्र दाखिल किए गए हैं।

वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि विवादित स्थल पर एक कमरा बना हुआ है परन्तु राजस्व प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित है कि उपरोक्त अराजी पर कोई निर्माण दर्शित नहीं किया गया है। वादी द्वारा वाद-पत्र के साथ कोई नक्शा नजरी अथवा राजस्व मानचित्र दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि निर्माण विवादित स्थल पर किस स्थान पर स्थित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नरेंद्र सिंह बनाम सरकार स्वयं सिंह 2008 (71) ए.एल. आर. 399 पर समान तथ्यों के आधार पर द्वितीय अपील का निर्णय करते हुए यह निर्धारित किया कि विवादित संपत्ति सही रूप से पहचान योग्य नहीं है सम्पत्ति सा्म न्यायालय द्वारा सीमांकित होनी चाहिए। अगर सम्पति सीमांकित नहीं है तब सिविल न्यायालय स्थायी व्यादेश का अनुतोष राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज के आधार पर प्रदान नहीं कर सकता है।

उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के उपरान्त यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे यह साबित हो कि विवादित कमरे पर उसका कब्जा है। इस प्रकार वादीगण अपने साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहे हैं कि विवादित भूमि पर कोई निर्माण है एवं वे विवादित भूमि पर मालिक काबिज दखील है। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 व 3

न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु संख्या 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु संख्या 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उक्त दोनों वाद बिन्दुओं का निस्तारण दिनांक 21.10.17 को मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा किया गया है। उक्त आदेश इस निर्णय का अंश समझा जाएगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4

न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है?

उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण दिनांक 21.10.17 को किया गया है। उक्त आदेश इस निर्णय का अंश समझा जायेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5

न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु संख्या 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी को कोई वाद का कारण प्राप्त नहीं हुआ है?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों पर आधारित है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतः यह वाद बिन्दु नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 6 व 7

वाद बिन्दु संख्या 6 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?

वाद बिन्दु संख्या 7 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है?

उक्त दोनों वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिकथनों पर आधारित किया गया है परन्तु प्रतिवादी द्वारा इस वाद बिन्दु पर न तो बल दिया गया है और न ही साबित किया गया है। अतः यह वाद बिन्दु नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं.-9

न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु संख्या 9 इस आशय का विरचित किया गया है कि वाद धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित है?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिकथनों पर आधारित किया गया है परन्तु प्रतिवादी द्वारा इस वाद बिन्दु पर न तो बल दिया गया है और न ही साबित किया गया है। अतः यह वाद बिन्दु नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं.- 10

न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु संख्या 10 इस आशय का विरचित किया गया है कि वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

वाद बिन्दु संख्या 1 के निस्तारण के फलस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादीगण अपने वाद-पत्र में किए गए अभिकथन को साबित नहीं कर सका है। अतः वादी न तो याचित अनुतोष और न ही किसी अन्य अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः दावा वादीगण निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)

अपर सिविल जज (क.श्रे.)

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया है।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)

अपर सिविल जज (क.श्रे.)

3. विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत वाद में निर्णय

न्यायालय सिविल जज व (प्रवरिष्ठ खण्ड) (जनपद का नाम)

पीठासीन अधिकारी–क ख ग, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

मूलवाद संख्या

रामकुमार चौधरी पुत्र श्यामकुमार उम्र 40 वर्ष, पेशा सरकारी शिक्षक

निवासी गांव.....परगना.....तहसील.....जनपद.....वादी

बनाम

राजेश मिश्र पुत्र वी.एन. मिश्र उम्र 42 वर्ष पेशा व्यवसाय

निवासी मो.....परगना.....तहसील.....जनपद.....प्रतिवादी

वादी के विरुद्ध अधिवक्ता श्री.....

प्रतिवादी के विरुद्ध अधिवक्ता.....

निर्णय

वादी की तरफ से यह वाद प्रतिवादी राजेश मिश्र के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकर के लिए प्रस्तुत किया गया है।

वाद-पत्र के कथनों के अनुसार वादी रामपुर प्राइमरी स्कूल में सरकारी शिक्षक के पद पर लगभग 15 वर्षों से कार्यरत है तथा वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से कर रहा था/है। प्रतिवादी वादी के गांव का रहने वाला है तथा वादी से विद्वेष रखता है इस विद्वेष के कारण प्रतिवादी ने झूठा परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिसमें उसने यह कथन किया कि दिनांक 10.10.17 को वादी ने प्रतिवादी के साथ मारपीट किया। प्रतिवादी के इस परिवाद के आधार पर वादी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गैर-जमानतीय वारण्ट जारी किया गया जिस पर पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया और वादी को 5 दिन तक कारावास में रहना पड़ा एवं उक्त वाद में न्यायालय ने विचारणोपरान्त यह पाया कि प्रतिवादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें न्यायालय ने वादी को दोषमुक्त कर दिया था। प्रतिवादी के इस कृत्य से वादी को मानसिक आघात पहुंचा व उसका लगभग 20 हजार रुपया व्यय हो गया एवं समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई।

प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद-पत्र में यह कथन किया है कि उसने सही तथ्यों के आधार पर वादी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था परन्तु प्रतिवादी के गवाह वादी के प्रभाव में आ गए थे इस कारण उन्होंने न्यायालय में झूठी गवाही दी, इस कारण परिवाद खारिज हो गया। वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद स्वीकार्य किए जाने योग्य नहीं है। वादी का यह वाद संख्या 44 खारिज किए जाने योग्य है।

उभयपक्षों के अभिकथनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दु विरचित किए गए।

1. क्या वादी, प्रतिवादी द्वारा चलाए गए परिवाद जिसमें वादी निर्दोष साबित हुआ है उसके लिए विद्वेष पूर्ण अभियोजन के कारण प्रतिकर पाने का हकदार है?

2. क्या वाद-पत्र का मूल्यांकन सही है एवं पर्याप्त न्याय शुल्क दिया गया है?

3. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का हकदार है? वादी द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए वादी साक्षी सं.1 के रूप में अपना साक्ष्य, वादी साक्षी सं.2 के रूप में सत्येन्द्र मिश्र का साक्ष्य क्रमशः कागज सं. 12क व 13क में प्रस्तुत किया गया एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी की तरफ से मौखिक साक्ष्य में अपना साक्ष्य प्रतिवादी साक्षी सं. 1 के रूप में कागज संख्या 19क में दाखिल किया गया था।

उभयपक्षों के विरुद्ध अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु 1-

वाद बिन्दु सं. 1 इस आशय का विरचित किया गया कि क्या वादी वाद-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर प्रतिकर पाने का हकदार है। इस संबंध में वादी की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य संबंधी न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया जिसमें न्यायालय ने यह धारित किया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें न्यायालय ने वादी को दोषमुक्त कर दिया गया था। वादी ने अपने साक्ष्य में भी बताया है कि घटना के समय वह विभागीय प्रशिक्षण में था और इसी आधार पर न्यायालय ने दोषमुक्त किया था।

वादी की तरफ से प्रस्तुत साक्षी संख्या 2 ने भी यह कथन किया गया कि कथित घटना के समय वादी गांव में नहीं था और इसी आधार पर उसे दोषमुक्त किया गया था।

प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है।

अतएव उपरोक्त आधार पर न्यायालय इस मत की है कि वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णित किए जाने योग्य है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं. 2-

इस वाद बिन्दु का निस्तारण प्रारंभिक वाद बिन्दु के रूप में पूर्व में किया जा चुका है, जो निर्णय का भाग है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं. 3-

उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में यह वाद बिन्दु भी सकारात्मक रूप से निर्णीत किए जाने योग्य है एवं वादी प्रतिकर पाने का अधिकारी है।

आदेश

दावा वादी सं. 44 स्वीकार्य किया जाता है। प्रतिवादी वादी को 20000 रुपये प्रतिकर के रूप में निर्णय पारित होने के दो माह के भीतर अदा करेगा।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)

सिविल जज (प्रवरिष्ठ खण्ड)

निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक- (पीठासीन अधिकारी)

सिविल जज (प्रवरिष्ठ खण्ड)

*****

अध्याय-11

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में पूछे गए प्रश्नों का विवरण

प्रश्न 1. 'अ' तथा 'ब' पड़ोसी थे। 5 जनवरी, 1998 को 'ब' ने 'अ' के विरुद्ध जो कि बैंक में कर्मचारी था, एक फौजदारी परिवाद दाखिल किया। परिणामस्वरूप 'अ' को जेल में रहना पड़ा। विचारण के पश्चात 11 फरवरी, 1999 को दण्ड न्यायालय ने 'अ' को इस आधार पर मुक्त कर दिया कि 'ब' का परिवाद झूठा एवं आधारहीन था, अब 'अ', 'ब' के विरुद्ध अभियोजन के लिए वाद लाना चाहता है। 'अ' की ओर से एक वाद-पत्र बनाते हुए छोटा-सा निर्णय लिखिए।

अथवा

'अ' अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी 'ब' द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने गया। भोज के दौरान 'ब' ने शिकायत की कि किसी ने उसकी पत्नी का हीरे का हार चुरा लिया। पुलिस को बुलाया गया तथा वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हीरे का हार अन्य अतिथियों की उपस्थिति में 'अ' के पास से बरामद हुआ। 'अ' का कहना है कि 'ब' ने रंजिश के कारण, उसके ज्ञान के बिना, हीरे के हार को उसके कोट में रखकर झूठा फंसा दिया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोप-पत्र तैयार कीजिए तथा दोषसिद्ध प्रदान करते हुए एक निर्णय लिखिए।

उ.प्र. न्यायिक सेवा वर्ष-2000

प्रश्न 2. (अ) वादी एक मकान का स्वामी है। इसके एक हिस्से में प्रतिवादी 'ब' रहता है। प्रतिवादी ने पिछले 10 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है। वादी इस आधार पर मकान खाली कराना चाहता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मकान खाली कराने एवं बकाया किराया वसूल करने हेतु वाद-पत्र लिखिए।

(ब) उपर्युक्त प्रश्न (अ) के वाद-पत्र के उत्तर में प्रतिवादी की ओर से लिखित कथन का प्रारूप लिखिए।

अथवा

एक खाते-पीते वयस्क व्यक्ति 'अ' ने अपने पड़ोस की एक साधारण परिवार की लड़की 'ब' से जिसकी मां का देहांत हो गया था और जिसका पिता अक्सर पूरे दिन खेत पर काम करने चला जाया करता था, दोस्ती बढ़ा ली। उस व्यक्ति से लड़की को एक

अधर्मज पुत्र पैदा हो गया। लड़की के पिता ने बच्चा उत्पन्न होने से पूर्व 'अ' से अपनी पुत्री 'ब' के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था जिसे उसने मना कर दिया और दोनों के भरण-पोषण के लिए भी मना कर दिया।

इन तथ्यों के आधार पर उपर्युक्त प्रकरण का निर्णय लिखिए।

उ.प्र. न्यायिक सेवा वर्ष 2003

प्रश्न 3. (अ) अरविंद पुत्र श्री मुकुन्द निवासी बांदा का विवाह सुशीला पुत्री श्री दिनेश निवासी कानपुर से दिनांक 20 अप्रैल, 1995 को डालीगंज, कानपुर में हुआ था। विवाह के छह साल बाद भी सुशीला से कोई संतान न होने के कारण सुशीला और अरविंद के संबंध सुखमय नहीं रहे। मुकुंद और उसकी पत्नी भी इस कारण सुशीला को पसंद नहीं करने लगे। वे उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। अरविंद और उसके पिता एवं माता ने सुशीला को वर्ष 2000 में उसके घर भेज दिया और तब से वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।

अरविंद ने इस बीच विगत पांच वर्षों से कोई भरण-पोषण भी नहीं दिया। अरविंद और उसके माता-पिता ने सुशीला की व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसे गले का हार एवं चूड़ियां भी नहीं लौटाई। सुशीला विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करना चाहती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर सुशीला की ओर से विवाह-विच्छेद की डिक्री हेतु एक वाद-पत्र लिखिए।

प्रश्न 3. (ब) उपर्युक्त प्रश्न (अ) के वाद-पत्र के उत्तर में प्रतिवादी अरविंद की ओर से लिखित कथन का प्रारूप लिखिए।

अथवा

1 मार्च, 2000 को मानसी का विवाह इलाहाबाद में हुआ था। मंगनी के समय मानसी के पिता ने मानसी के पति हरीश से पूछा था कि यदि उनकी कोई मांग हो तो शादी से पहले स्पष्ट कर दे। हरीश ने कहा था कि उसके घर सब कुछ है उसे मानसी के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। विवाह के समय जब मानसी ससुराल गई और हरीश की मां ने देखा कि वह पहनने के जेवरों को छोड़कर दहेज में कुछ नहीं लाई है, वह खुश नहीं रही। कुछ महीने बाद जब मानसी अपने पैतृक घर गई तो हरीश एक साल तक उसे बुलाने नहीं गया। मानसी के पिता ने जब कारण जानना चाहा तो हरीश और उसके पिता ने व्यापार के लिए 50,000 रुपये की मांग की। मानसी के पिता ने असमर्थता जताई।

रिश्तेदारों के समझाने पर हरीश मानसी को अपने घर ले आया लेकिन तीन महीने बाद से हरीश तथा उसके मां-बाप मानसी से दुर्व्यवहार करने लगे। मानसी ने पत्र द्वारा इसकी सूचना अपने पिता को दी थी। मानसी के प्रति हरीश एवं उसके मां-बाप पर ऐसा दुर्व्यवहार, उत्पीड़न तथा मारपीट उस घातक दिन तक चला रहा जब तक मानसी जीवित रही।

4 जुलाई, 2004 की रात्रि को हरीश और मानसी में झगड़ा हुआ था। 5 जुलाई, 2004 को लगभग दिन में 11 बजे मानसी, रसोई में जब काम कर रही थी हरीश ने डिब्बे से उसके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया और हरीश की मां ने माचिस की जलती तीली मानसी के ऊपर फेंक दी। रसोई का दरवाजा बंद करके वे लोग घर से कहीं चले गए। मानसी के रोने एवं चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी आए। पड़ोसी मनु ने दरवाजा खोला। मानसी उस समय तक काफी जल चुकी थी और बेहोश पड़ी हुई थी। मनु ने पुलिस को इत्तिला दी। पुलिस मानसी को मनु के साथ सरकारी अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस से पूछताछ करने के बाद हरीश एवं उसके मां-बाप के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी/34 तथा 498-ए/34 के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट भेज दी।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त प्रकरण का निर्णय लिखिए-

उ.प्र. न्यायिक सेवा वर्ष 2006

प्रश्न 4. (अ) 18 जुलाई, 2005 को राधेश्याम गुप्ता ने संजय अग्रवाल जो एक व्यापारी था, के विरुद्ध एक फौजदारी परिवाद दाखिल किया। परिणामस्वरूप संजय अग्रवाल को जेल में रहना पड़ा और उसका व्यापार प्रभावित हुआ। 12 दिसंबर, 2005 को दण्ड न्यायालय ने संजय अग्रवाल को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि उसके खिलाफ परिवाद 'झूठा एवं आधारहीन था। संजय अग्रवाल राधेश्याम गुप्ता के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद लाना चाहते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में संजय अग्रवाल के लिए एक वाद-पत्र तैयार कीजिए।

(ब) उपर्युक्त प्रश्न (अ) के वाद-पत्र के उत्तर में प्रतिवादी राधेश्याम गुप्ता के लिए एक लिखित कथन का प्रारूप लिखिए।

अथवा

'ब' को आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषसिद्ध ठहराए जाने के आशय से 'अ' एक पत्र 'ब' के हस्तलेख की अनुकृति करके लिखता है, जिससे यह तात्पर्यित है कि 'ब' ने उसे ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के सह-अपराधी को संबोधित किया है और उस पत्र को ऐसे स्थान पर रख देता है, जिसके संबंध में वह जानता है कि पुलिस ऑफिसर सम्भवतः उस स्थान की तलाशी लेंगे।

उपर्युक्त कथनों के आधार पर एक आरोप-पत्र तैयार कीजिए और दोषसिद्ध करते हुए एक निर्णय लिखिए।

उ.प्र. न्यायिक सेवा वर्ष 2012

प्रश्न 5. (अ) हरिओम अपने जिस पैतृक मकान में निवास करता है उसके पश्चिम की दिशा वाली निचली तथा ऊपरी मंजिल के कमरों में एक-एक खिड़की बनी हुई है जिनसे मकान में वायु और प्रकाश आता है। अप्रैल, 2013 में एक व्यक्ति महेश कुमार ने उपरोक्त मकान के पश्चिम में स्थित खाली प्लाट क्रय किया और उस पर अपने नए

मकान का निर्माण इस प्रकार किया कि हरिओम के मकान की ऊपरी तथा निचली दोनों मंजिलों की दोनों खिड़कियों के सामने दीवार निर्मित कर दी, जिससे उपरोक्त दोनों खिड़कियों से वायु व प्रकाश का आवागमन पूर्णरूपेण बंद हो गया। महेश कुमार के उक्त कृत्य से हरिओम को न केवल भौतिक सुख-सुविधा की हानि हुई अपितु उसकी सम्पत्ति की बाजारी कीमत भी घट गई।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हरिओम की ओर से एक वाद-पत्र लिखिए जिसमें महेश कुमार के विरुद्ध मांगे जा सकने योग्य सभी प्रकार के मौलिक तथा वैकल्पिक अनुतोषों की मांग की जाए।

(ब) उपरोक्त (अ) के वाद-पत्र के प्रति उत्तर में महेश कुमार की ओर से एक लिखित कथन का प्रारूप लिखिए जिससे उक्त तथ्यों के संदर्भ में सभी संभव प्रतिवाद किए जाएं।

उ.प्र. न्यायिक सेवा वर्ष 2017

प्रश्न 6. (अ) दिनांक 4.7.2000 को राधेश्याम ने रामकुमार के साथ 26,000 रुपये प्रति एकड़ की दर पर कुल 1,30,000 रुपये प्रतिफल पर 5 एकड़ का भूमि का टुकड़ा क्रय करने का करार किया। उसी दिन राधेश्याम ने रामकुमार को इस विशिष्ट शर्त पर 20,000 रुपये का भुगतान कर दिया कि वह विक्रय प्रतिफल का अवशेष भुगतान दिनांक 28.08.2001 को कर दिया तथा भूमि का कब्जा उसे परिदत्त कर दिया गया। तदोपरांत उक्त भूमि पर उसके कब्जे की पुष्टि करते हुए रामकुमार ने राधेश्याम के पक्ष में विक्रय का कब्जे सहित करार दिनांकित 28.08.2001 निष्पादित कर दिया। दिनांक 4.1.2014 को मूर्ति बैंक ने राधे श्याम को विधिक नोटिस भिजवाया कि उक्त भूमि मूर्ति बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधन के अधीन है। तब राधेश्याम ने उक्त भूमि पर अपना अधिकार, स्वत्व तथा हित एवं कब्जा स्थापित करते हुए तथा यह आरोप लगाते हुए कि रामकुमार ने उक्त भूमि मूर्ति बैंक के पास बंधक होने का तथ्य छुपाकर उसके साथ छल किया है, नोटिस का उत्तर भिजवाया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादियों के विरुद्ध मांगे जा सकने योग्य सभी प्रकार के मौलिक तथा वैकल्पिक अनुतोषों की मांग करते हुए राधेश्याम की ओर से एक वाद-पत्र तैयार कीजिए।

(ब) लगाए गए आरोपों के संदर्भ में सभी संभव प्रतिवाद करते हुए उपरोक्त में रचित वाद-पत्र के उत्तर में रामकुमार की ओर से लिखित कथन का प्रारूप तैयार कीजिए।

दिनांक 10.06.2014 को रामकिशन और उसका भतीजा राजीव, एक भूखंड क्रय हेतु रु. 1,50,000 डिग्गी में रखकर , मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जब वह प्रातः 10 बजे गजरौला, जिला ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश में एक फार्म के समीप पहुंचे, तो दो अभियुक्त व्यक्ति- रणजीत और राजेंदर पीछे से मारुति कार में आए उन्होंने देशी तमंचा दिखाकर धमकाया और उन्हें रुकने के लिए कहा तथा जैसे ही वह रुके, रणजीत और राजेंदर ने उनसे रुपया उन्हें सौंप देने को कहा। रामकिशन और राजीव

न उन्हें मोटरसाइकिल की चाबी सौंप दी। रणजीत ओर राजेंदर ने रुपये डिग्गी से निकाल लिए और तेज गति से भाग गए। राम किशन ने इस घटना की सूचना सहायक उप-निरीक्षक अखिलेश कुमार को दी जो उन्हें पुलिस थाना जाते समय रास्ते में मिला। इस सूचना के आधार पर गजरौला पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर ली गई।

घटना वाली तिथि और समय पर रणजीत और राजेंदर के मोबाइल फोन की लोकेशन अपराध के होने के समीप पाई गई। बंद परिपथ कैमरा की रिकॉर्डिंग ने दर्शाया कि अपराध के लिए प्रयुक्त मारुति कार घटना से आधा घंटा पहले राजमार्ग 24 पर गजरौला के समीप टोलबूथ से गुजरी और टोल का भुगतान किया। यह कार अभियुक्त रणजीत के नाम में पंजीकृत थी। रणजीत और राजेंदर ने विवेचना अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति बयान भी दिया तथा कहा कि उन्होंने लूटे गए धन में 94,000 रुपए व्यय कर दिए हैं तथा 56,000 रु. की धनराशि रणजीत के घर पर रखी है। 56,000 रुपए की अवशेष धनराशि रणजीत के घर से बरामद हुई।

रणजीत और राजेंदर ने पुलिस के समक्ष प्रकटीकरण बयान भी दिया जिसमें रामकिशन की फर्म के दो कर्मचारियों राजेश और रमन पर समूह का भेदिया होने की भूमिका का आरोप लगाया और कहा कि राजेश और रमन ने रणजीत और राजेंदर को इस तथ्य की सूचना दी कि रामकिशन मोटरसाइकिल में धन लेकर जा रहा है और वह उसे लूट सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने लुटेरों से 10,000 रुपये प्रत्येक का हिस्सा प्राप्त किया है। इसके प्रकटीकरण कथन का साक्ष्य है जिसके कथित अनुसरण में पुलिस ने 5,000 रु. (अव्ययित राजेश का हिस्सा) तथा 4,000 रु. (अव्ययित रमन का हिस्सा) उनके पास से बरामद किए।

रणजीत और राजेंदर ने पुलिस के समक्ष कोई प्रकटीकरण कथन करने से इन्कार किया तथा आरोप से भी इन्कार किया तथा कथन किया कि घटना के दिन वह गजरौला में नहीं थे एवं अभिवचन किया कि उन्होंने लूट कारित नहीं की है। विचारण के दौरान राजेश और रमन ने भी प्रकटीकरण कथन करने से इन्कार किया तथा मिथ्या फंसाने का अभिवचन किया।

अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 392, 397 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मामले का निर्णय दोषसिद्ध करते हुए लिखिए।

उ.प्र. न्यायिक सेवा वर्ष 2012

प्रश्न 7. दिनांक 5 जनवरी, 2010 को मोहन लाल यादव ने घनश्याम नारायण सिंह, जो एक दुकानदार था, के विरुद्ध एक फौजदारी परिवाद दाखिल किया। परिणामस्वरूप घनश्याम नारायण सिंह को जेल जाना पड़ा और उसकी दुकान भी बंद हो गई। 5 जुलाई, 2011 को विचारण के पश्चात दण्ड न्यायालय ने घनश्याम नारायण सिंह को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि मोहन लाल यादव का परिवाद झूठा और आधारहीन था।

अब घनश्याम नारायण सिंह, मोहन लाल यादव के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद लाना चाहता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वादी घनश्याम नारायण सिंह के लिए वाद-पत्र तैयार कीजिए।

(बी) उपर्युक्त प्रश्न सं. 1 (ए) के वाद-पत्र के उत्तर में प्रतिवादी मोहन लाल यादव के लिए लिखित कथन का प्रारूप तैयार कीजिए।

अथवा

(ए) दिनांक 15.03.2014 को लखनऊ हवाई अड्डे पर एक कस्टम अधिकारी द्वारा जयप्रकाश नारायण की तलाशी ली जाती है। उसके कब्जे से एक धातु बरामद होती है। धातु के परीक्षण के लिए एक अनपढ़ अपितु अनुभवी सुनार को बुलाया जाता है। कब्ज से बरामद धातु के टुकड़े का परीक्षण कर सुनार बताता है कि धातु सोना है। परिणामस्वरूप सोना जब्त कर लिया जाता है एवं विचारण के लिए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। अभियुक्त इस आधार पर अपना बचाव करता है कि – (1) कस्टम अधिकारी की कार्यवाही एवं सोने की जब्ती एक अभियोजन प्रक्रिया थी। अतः न्यायालय में उसका पुनः अभियोजन नहीं किया जा सकता तथा (2) धातु का परीक्षण करने वाला सुनार योग्य विशेषज्ञ नहीं था अतः कार्यवाही विधिसम्मत नहीं थी।

इस प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का प्रारूप तैयार कीजिए।

(बी) भाग (ए) के तथ्यों के आधार पर मामले का निरीक्षण करते हुए अपना निर्णय दीजिए।

उ.प्र. न्यायिक सेवा वर्ष 2016

*****


सम-सामयिक
चर्चा